राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ५५वां दिवस [संख्या ३३

बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११. १२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

तकावी वितरण

१२८२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) Will the Agriculture Minister be pleased to state:—

(a) It is correct that Government of India has advanced Rs. 50 lakhs to the State Government this year for distribution among the agriculturists in the shape of taccavi loan to give fill in to grow more food campaign ?

(b) How and on what basis the Government purposes to allocate this amount amongst the various Districts in the State ?

(c) Is it correct that out of this amount of Rs. 10 lakhs have been allotted to the Districts of Sikar and Jhunjhunu and the remaining districts have been allotted Rs. 2 lakhs each irrespective of its population or area ?

उपकृषि मंत्री : (श्री दौलतराम सारण) : (a) No. Government of India have agreed to advance a sum of Rs. 25,00 lakhs during the year against this, a sum of Rs. 20,00 lakhs has been placed at our disposal for the time being and the rest amount is in reserve.

(b) The basis of further allocation of amount to various districts is their potentiality and requirements.

(c) No. Rs. 5 lakhs have been allotted to Sikar and Jhunjhunu districts (2.50 lakhs each). The amount allotted to other districts ranges from Rs. 0.25 lakhs to Rs. 2,50 lakhs according to potentialities and requirements.

श्री पी० के० चौधरी : सीकर और झुन्झुनु में ५ लाख करके दिया गया है और दूसरों में २५०००) रुपया करके दिया तो इसका कारण क्या है ?

श्री दौलतराम सारण: वहां पर सिंचाई

(श्री दौलतराम सारण)

की संभावनाएं कुंओं के द्वारा ज्यादा हैं और लोगों की मांग भी ज्यादा थी और पहले के बरसों में जो दिया गया था वह इन दो ज़िलों में बहुत कम दिया गया था। ५१, ५२ में दिया ही नहीं गया था।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सिंचाई संभावनाएं दूसरों जिलों में सीकर और झुन्झुनू से ज्यादा है ?

कृषि मंत्री : श्री नाथूराम मिर्धा दूसरे ज़िलों से संभावनाएं ज्यादा नहीं हैं लेकिन पिछले सालों में उनको ऑलटूगेदर बहुत कम मिला था तो सब तरफ से डिमान्ड थी और कास्ट आफ कन्स्ट्रक्शन कुंओं की वहां ज्यादा पड़ती थी इसलिए ज्यादा किया गया है।

श्री भीमसेन : बीकानेर ज़िले में पहले भी नहीं मिला हैं इसलिए क्या सरकार देने का विचार करती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर ज़िले में जरूरत होगी तो जरूर देंगे। लेकिन वहां पर अगला पैसा खर्च नहीं हुआ है वह पैसा खर्च हो जायगा तो देंगे। बीकानेर में अगली पूरी तकावी ही नहीं दी गई है।

प्रश्न संख्या १२८३

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह

(अनुपस्थित)

नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री के कर्मचारियों तथा प्रबन्धक के बीच में संघर्ष

१२८४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

Will the Labour minister be pleased to state :—

(I) Is it carrect that a dispute has arisen between the workers of the National Engineering Industries (N. B. C.) Jaipur and the management over the working of the 2nd Shift on 11. 11. 58 ?

(2) Is it correct that the worker wanted to work the 1st Shift instead of the 2nd shift as it was the Goverdhan Puja Day. In accordance with the pas practice ?

(3) Is it correct that when the workers reported for duties in the 1st shift on 11. 11. 58 they were not admitted in the factory ?

(4) Is it correct that the shift working on 11. 11. 58 was arranged by the managemant without consulting the workers committee ?

(5) Is it correct that the Presidend, treasurer and a member of the executive committee of the Nationai Engineering Industries Labour Union M/s Dwarka Prssad Laxman Singh and Bhagwan Sahai have been suspended since 12. 11. 1958 and served with charge sheet for dismissal from service. even though they were on leaye on 11. 11. 58 for organising the General Body meeting of the union which was held at 3. 30 p. m. on that day.

(6) Is it correct that the National Engineering Industries Labour Union is the sole and the respresen-

Page No.3

(श्री पी० के० चौधरी)

tative union of the workers of the factory ?

(7) Is it correct that this anti trade union action of the management has created acute discontent amongst the workers of the factory and is likely to result in break of industrial peace ?

(8) what action the Government has taken so far to present any breach of industrial peace in the undertaking.

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) Yes.

(2) The answer of the first part of the question is in the affirmative but whether it was in accordance with the past practice is a matter of dispute as it is denied by the management.

(3) As the factory was closed in the 1st shift on 11.11.58 the question of reporting for duty by the workers does not arise.

(4) According to the management workmens' representatives on works Committee were consulted.

(5) Yes, but accordins to the management, they did not apply for leave.

(6) N. E. I. Labour Union is the only registered union of the workers of that factory. The question of being a representative does not arise as there is no law in force about it.

(7) Not so far.

(8) The cases of the three workmen named above are still under enquiry by the management The management is required to obtain permission from the Industrial Tribunal in accordance with Sec. 38 A of the Industrial Disputes Act, 1948 in case they dismiss the workers.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सच है कि प्रेसीडेन्ट, एन. ई. आई. युनियन की सर्विसेज़ को टर्मिनेट कर दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I don't know whether he is a president but three persons have been suspended.

श्री पी० के० चौधरी : No. Their services have been terminated ? The services of Shri Dwarka Prasad has been terminated.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : My information is that he was suspended and his services were not terminated.

श्री मूलचन्द डागा : वर्क कमेटी की मीटिंग जब हुई थी तो क्या लैबरर्स से कन्सल्ट किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I never said this. I said that the representatives on the Works Committee were consulted.

श्री मूलचन्द डागा : वे कौन थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I cannot tell you the names. मेरी इत्तिला यह है कि वर्क कमेटी के जो रिप्रजेन्टेटिव थे उनसे कन्सल्ट किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : वर्क्स कमेटी के रिप्रजेन्टेटिव कैसे हैं। वर्क्स कमेटी खुद रिप्रजेन्टेटिव बोडी है। तो वर्क्स कमेटी के रिप्रजेन्टेटिव कौन थे ?

श्री उपाध्यक्ष : वर्क्स कमेटी के मेम्बर्स हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : My reply was that according to the management Workmens' representatives on the Works Committee were consulted.

श्री पी० के० चौधरी : मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि वर्क्स कमेटी में जो वर्कर्स के रिप्रेजेन्टेटिव हैं उन्होंने लिखकर दिया है कि उनको कोई कन्सल्ट नहीं किया गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी सूचना ऐसी है It may be right or wrong I cant' say. Because it is not responsible to the Government.

श्री पी० के० चौधरी : The workmens' committee was appointed at the instance of the Government ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This is not so.

बीकानेर पॉवर हाउस की उत्पादन क्षमता

१८८४. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) बीकानेर पॉवर हाउस की उत्पादन क्षमता कितनी है और बिजली की मांग कितनी है ?

(२) रेल्वे तथा अन्य व्यक्तियों के कितने आवेदनपत्र बिजली कनेक्शन हेतु विचाराधीन है ?

(३) क्या यह सही है कि एक टर्बाईन जो करीब चार हज़ार किलोवाट बिजली पैदा करने वाला है हाल ही में पुनः खराब हो गया है, जिससे जनता की परेशानी बढ़ गई है ?

(४) सरकार ऐसे क्या प्रिकॉशनरी मैजर्स ले रही है जिससे बीकानेर पॉवर हाउस पर अवलम्बित जनता की जरूरतें पूरी हो सकें ?

(४) बीकानेर पॉवर हाउस से कितने स्थायी एवं अस्थायी बिजली के कनेक्शन दिए हुए हैं ? अस्थायी कनेक्शन्स को स्थायी क्यों नहीं कर रहे हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) श्री विद्युत मन्त्री की अनुपस्थिति में। (१) बीकानेर पॉवर हाउस की उत्पादन क्षमता :

१. स्टीम सेट्स १६०० के. डब्लू
२. डिज़ल सेट्स ४०० के. डब्लू

२३०० डब्लू

बिजली की मांग ३४०० के. डब्लू की है

(२) २००० के. डब्लू. के बीकानेर रेल्वे के हैं और १२४४ आवेदनपत्र अन्य व्यक्तियों के बीकानेर पॉवर हाउस में बिजली के कनेक्शन के लिए विचाराधीन हैं।

(३) अप्रेल १६५६ में ३००० के. डब्लू. बिजली पैदा करने वाला टर्बाइन

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

खराब हो गया था। उसके बाद में कोई टर्बाइन खराब नहीं हुआ।

(४) ३००० के. डब्लू. का टर्बाइन सेट रिवाइज कराया जा रहा है। २५०० के. डब्लू. के इंजन को बदल रहे हैं एक २१५० के डब्लू का डिजल सेट बीकानेर में लगा दिया गया है। इसके अलावा रतनगढ़ में दो डिजल सेट और लगाये जाने की तजवीज है।

(५) यदि हो सका तो भाखरा से बिजली मिलने के बाद दिये जायेंगे।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में उस पॉवर हाउस में रात को भी कई बार बिजली फैल हो जाती है और वहां पर कुंओं से जो पानी मिलता है उसके लिए भी बिजली पूरी नहीं मिल पाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा पिछले वक्त में हुआ था। टर्बाइन सेट खराब हो गया था उसके बाद में इन्तजाम कर दिया गया है।

श्री भीमसेन : अभी सर्दी है और अभी भी वहां बिजली फैल हो जाती है और लोगों को पानी की तकलीफ रहती है तो गर्मी में तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स इस बात के लिये लिए गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी व्यवस्था बैठा दी गई है कि आयन्दा बिजली की तकलीफ न रहे।

श्री भीमसेन : क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्जन लगाये हैं दो सेट्स लग चुके हैं और भाखरा से बिजली आ जायगी तब भी ये स्टेन्ड बाई इन्जन रखे जायेंगे।

श्री भीमसेन : भाखरा में बिजली आयेगी तब आयेगी अभी तो इस गर्मी का सवाल है, उसके बारे में कोई प्रिकॉशनरी मेजर लिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पूरे साधन जुटाये जा रहे हैं ताकि जनता को कोई असुविधा नहीं हो।

श्री भीमसेन : टर्बाइन के लिए आपने बतलाया कि अप्रेल में खराब हो गया था उसको ठीक किया है और अब पुनः खराब हो गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह पुनः खराब नहीं हुआ है। वह खराब हुआ था, एक दफा उसको ठीक किया जा रहा है। ३००० किलोवाट का टर्बाइन वह ५८ में खराब हो गया था; इसके बाद खराब नहीं हुआ है।

श्री भीमसेन : खराब हो गया था वह ठीक करवाया है, लेकिन फिर खराब हो गई है इसलिए....

श्री अध्यक्ष : अब फिर ठीक हो जायगा।

(हंसी)

भरतपुर जिले में बाढ़ का नियंत्रण

१२८६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग)** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न

Page No.6

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भरतपुर जिले में निरन्तर आती रहने वाली बाढ़ के नियंत्रण के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार के पास कोई सुझाव या योजना भेजी है ?

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने उसको कार्यान्वित करने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाये हैं ?

(ग) क्या सरकार के पास भरतपुर के नागरिकों तथा वहां की जनता की ओर से भी इस सम्बन्ध में कोई सुझाव आये हैं ?

(घ) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ङ) क्या हाल ही में देहली में केन्द्रीय सरकार की ओर से बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च अधिकारियों की कोई बैठक हुई थी ?

(च) यदि हां, तो उस बैठक में राजस्थान सरकार ने किन-किन उच्च अधिकारियों को भाग लेने भेजा था ?

(छ) उस बैठक में क्या-क्या निर्णय हुए ?

(ज) भरतपुर जिले के किन-किन भागों में अभी तक पानी भरा पड़ा है ?

(झ) सरकार ने उक्त पानी को खाली करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

(ञ) क्या राजस्थान सरकार ने गुड़गांव जिले में सड़कों पर से पानी हटाने के लिये बर्ते गये तरीकों को भरतपुर में भी अमल में लाने का प्रयत्न किया है ?

राजस्व मंत्री श्री दामोदरलाल व्यास, (सिंचाई मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार ने इस विषय में सिंचाई विभाग से एक रिपोर्ट मंगवाई है, जिस पर आगे विचार किया जा रहा है ।

(ङ) हां, किन्तु यह केवल देहली-मथुरा व देहली-अलवर सड़कों को बाढ़ से बचाने के लिये विचार करने हेतु बुलवाई गई थी ।

(च) राजस्थान सरकार की ओर से सिंचाई विभाग के चीफ इन्जीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग व एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर उसमें सम्मिलित हुए ।

(छ) इस बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में बाढ़ के पानी को निकालने के लिए सुझाव मंजूर हुए जिसमें उपरोक्त सड़कों का बचाव हो सके ।

(ज) भरतपुर जिले के कामा, रूपवास, बयाना व भरतपुर तहसीलों के कुछ गांवों में अभी तक पानी भरा पड़ा है ।

(झ) जहां तक सम्भव है नालियां खोद कर इस पानी को निकाला जा रहा है ।

(ञ) गुड़गांव जिले में सड़कों पर से पानी निकालने के विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । हां, पानी निकालने के लिये

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यथासम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से बाढ़ रोकने के लिए कोई योजना राजस्थान सरकार से नहीं मांगी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां के चीफ इन्जीनियर मि० धीर भरतपुर आये थे, उन्होंने मौका देखा और अपने ओब्जरवेशन्स लिखकर भेजे हैं जिनमें जनरल सुझाव दिये हैं, स्पेसिफिक सुझाव नहीं दिये । जनरल सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एक मास्टर प्लान जिनमें पंजाब, यू. पी. और राजस्थान के सम्मिलित होने की योजना है नालियें खोद कर पानी निकालने की योजना वह आरम्भ हो गई है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नालियां खोद कर पानी निकाला जा रहा है इससे आप खुद वाकिफ हैं, डाइवर्ट किया जा रहा है, इसे आपने भी देखा है और मैंने खुद ने देखा है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जहां पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिये कोई तरीका सोचा गया है क्या ? यू. पी. वाले अपनी तरफ आने नहीं देते, राजस्थान ने क्या सोचा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पानी पहले कई जगह भरा हुआ था और अब कम जगह रह गया है इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि निकालने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि अपनी जमीन को बचाने के लिये दूसरों की जमीन को डेमेज पहुंचाई जाय । उसके लिये कोई रास्ता होना चाहिये इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह प्रयोग कैसे होगा कि जहां पर पानी भरा हुआ है वहां नालियां कैसे होंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पास की सूखी जमीन पर नालियां होंगी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जनता की ओर से जो सुझाव राजस्थान सरकार को दिये गये हैं उनका क्या हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जनता की तरफ से कोई सुझाव नहीं आये लेकिन अलग-अलग लोगों ने सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जा रहा है ।

वैद्यों तथा हकीमों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स बनाया जाना :

१२८७. **जनार्दनराय नागर** (मावली) : क्या चिकित्सा और जन स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) इंडियन एक्ट को राज्य में लागू करने के प्रसंग को लेकर सरकार ने वैद्यों और हकीमों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स के लक्षण एवं स्थिति से बहिष्कृत कर दिया है ?

(२) क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग द्वारा वैद्यों और हकीमों को अधिकृत चिकित्सा की परिभाषा में सर्वदा न लिया जाय, ऐसे आदेश दे दिये थे ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(श्री जनार्दनराय नागर)

(३) सरकार वैद्यों और हकीमों को डॉक्टरों की समानता एवं तुलना में अधिकृत चिकित्सा किस स्थिति, प्रकार, विधि एवं व्यवहार में मानती है और क्या सरकार उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर्स की परिभाषा में सर्वथा मानने के लिये तैयार नहीं हैं ?

(४) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग वैद्यों और हकीमों को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने की नीति नहीं रखता है और इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि आयुर्वेद और यूनानी संक्षेप में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां अवैधानिक परम्परा मात्र हैं ?

(५) राजस्थान में इंडियन मेडिसिन एक्ट के अनुरूप और अनुसार कार्यवाही करने का क्या सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो उसके अनुसार क्या कार्यवाही हो रही है ?

(६) इंडियन ड्रग एक्ट को राजस्थान में लागू करने के प्रसंग में वैद्यों और हकीमों की क्या स्थिति रखी जायेगी ? क्या रजिस्टर्ड वैद्यों और हकीमों को इंडियन ड्रग एक्ट लागू करने के प्रसंग में उचित और आवश्यक अधिकार एवं स्वीकृति दी जायगी ?

(७) क्या ऐसा करने के समय सरकार को अन्य भारतीय राज्यों में वैद्यों और हकीमों की जो अधिकृत स्थिति है और व्यवहार है, उसे मान कर चलना चाहिये ?

(८) वैद्यों और हकीमों को अधिकृत चिकित्सक राजस्थान में उनकी अपनी देशी चिकित्सा पद्धतियां द्वारा चिकित्सा करते रहने देने की सरकार की नीति है या नहीं ? है, तो किस स्थिति एवं प्रकार तक ? क्या सरकार इस विषय में अपनी नीति और अधिक स्पष्ट करेगी ?

(९) वैद्यों और हकीमों में चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की वर्तमान नीति से राजस्थान में काफी असन्तोष फैल गया है ? सरकार इस असन्तोष को असंदिग्ध रूप से दूर करने के लिये क्या कदम उठाने के लिये तैयार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : प्रश्न के भाग १ से ९ का उत्तर यह है कि इंडियन ड्रग एक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार की आज्ञा जारी की थी इस पर वैद्यों ने ऐतराज किया था, इसलिये सारी स्थिति भारत सरकार को रेफर की गई है। वहां से सूचना आने पर आगे कुछ सोचा जायगा।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका अलग अलग उत्तर चाहूंगा। मंत्री महोदय ने १ से ९ धाराओं का उत्तर एक साथ दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो वही आयेगा। उन्होंने वस्तुस्थिति बता दी है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह सवाल शोर्ट नोटिस क्वेश्चन के रूप में दिया गया था, लेकिन यह स्टार्ड क्वेश्चन के रूप आ रहा है। इसका अलग अलग उत्तर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : लम्बे प्रश्न का लम्बा उत्तर होना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : We are satisfied. The reply was very much categorical.

श्री जनार्दनराय नागर: No, No. I am not satisfied.

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member is satisfied with the bulk.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया था कि हमने इंडियन ड्रग एक्ट के अन्तर्गत आज्ञा दी थी उस पर वैद्यों ने ऐतराज़ किया, इसलिये भारत सरकार को रेफर किया गया है। सभी धाराओं का जवाब यही है। अलग अलग अगर आप चाहते हैं तो भी जवाब यही है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि इंडियन ड्रग्ज रूल्स सन् ४५ के हैं उनसे राजस्थान के लोगों को सम्बन्धित कर दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो एक्ट और रूल्स हैं उन्हीं के अंतर्गत आज्ञा जारी की थी।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या यह सही है कि इंडियन ड्रग्ज़ एक्ट के प्रसंग को लेकर सरकार ने वैद्यों और हकीमों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर्स के स्फीयर से निकाल दिया जाय ऐसे आदेश दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी आज्ञा जारी की गई थी। इंडियन ड्रग्ज़ एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजी दवाइयां बेचने के लिये लाइसेन्स लेना पड़ता है और जो वैद्य और हकीम अंग्रेजी दवाइयों के बारे में समझते नहीं हैं, इसके बारे में जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको इसके लिये कैसे इजाज़त दे दी जाय।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही नहीं है कि डाइरेक्टर, जन स्वास्थ्य विभाग ने वैद्यों और हकीमों की प्रेक्टिश को समाप्त कर दिया जाय, ऐसा ड्रग्ज एक्ट को लागू करते समय आदेश दिया था या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज्ञा दी गई थी और ठीक दी गई थी। इंडियन ड्रग्ज़ एक्ट के अनुसार वे डाक्टर हैं नहीं, एलोपेथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेन्ट जांचते हैं नहीं फिर उनको कैसे लाइसेन्स दिया जाय। लेकिन फिर भी स्पष्टीकरण के लिये भारत सरकार को लिखा है। भारत सरकार का जवाब आयगा वैसा किया जायगा।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या मैं यह मान लूं कि इंडियन मेडिसिन्स एक्ट राजस्थान में है उसके अनुसार जो वैद्य और हकीम होते हैं वे आपके ड्रग्ज़ एक्ट की वजह से मेडिकल प्रेक्टिश्नर्स की परिभाषा से दूर रहेंगे, आपने कहा कि यह गलत नहीं है तो इससे स्पष्ट है कि वैद्यों और हकीमों को राजस्थान सरकार रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर्स की परिभाषा के पास तक फटकने नहीं देना चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनके लिये अलग एक्ट है जिसके अंडर में रजिस्टर्ड कर रखा है, इसलिये उनको प्रेक्टिश करने से रोका नहीं है लेकिन यदि कोई वैद्य या हकीम चाहे कि अंग्रेजी ढंग की चिकित्सा की प्रेक्टिस करे तो उसको कैसे इजाज़त दी जा सकती है जब कि वह इसके बारे में जानता नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या यह सही नहीं है कि डाइरेक्टर जनस्वास्थ्य विभाग आयुर्वेद और यूनानी ढंग की चिकित्सा को अवैधानिक परंपरामात्र मानते है और इसके बारे में अधिकृत रिज़ोल्यूशन मौजूद हैं और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि आयुर्वेद की प्रेक्टिस करने की इजाज़त उनकी रहेगी लेकिन जो अंग्रेजी

Page No.10

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दवाइयों के बारे में नहीं पढ़ा, वह यदि चाहे कि उसे डाक्टर मान लिया जाय तो यह कैसे संभव हो सकता है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार उत्तर-प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह फैसला उत्तर प्रदेश पर लागू होता है क्योंकि वहां पर दोनों को कंबाइन्ड कर दिया था लेकिन हमारे यहां ऐसी बात नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या दूसरे में वैद्यों और हकीमों के लिये जो कार्यवाही की है उनसे सरकार सबक सीखना चाहती है ? या सरकार इस प्रकार की नीति रखना चाहती है कि जो हजारों वैद्य और हकीम है उनका कोई भविष्य रखना नहीं चाहती है। असंदिग्धरूप से नीति स्पष्ट करने का प्रश्न है, राजस्थान के हजारों वैद्यों और हकीमों के भविष्य का सवाल है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १२८८.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछला प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

(हंसी)

स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, जयपुर

१२८८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, जयपुर में कितनी महिला श्रमिक काम करती हैं ? भर्ती के हिसाब से वे कितने कितने वर्षों से काम कर रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या उक्त सभी महिला श्रमिक स्थायी हैं ?

(२) क्या कुछ दिनों से इनमें कुछ महिलाओं की छंटनी का सवाल उठा ? यदि हां, तो क्यों ? क्या स्थायी श्रमिकों की छंटनी हो सकती है ?

(३) क्या यह सच है कि एक दम पुरानी महिला श्रमिकों को भी काम का अभाव बता कर कभी कभी लौटा दिया जाता है और पीछे भर्ती हुई महिलाओं को रहने दिया जाता है ?

(४) क्या ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है कि महिला श्रमिकों को उनकी मर्जी के बिना काम से न लौटाया जाय ? यदि हां, तो क्या और कब तक वह व्यवस्था क्रियान्वित हो जायगी ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : १४६। सूची प्रस्तुत है।

(२) जी हां। पहिले प्रत्येक रीलिंग मशीन पर अधिक महिलायें काम करती थीं पर अब प्रबन्धकों द्वारा रीलिंग मशीनें बाहर से मंगाना प्रारम्भ कर दिया है, अतः ३६ महिलाओं की छटनी का प्रश्न उठा। कार्य न होने पर स्थायी श्रमिकों की भी औद्योगिक विकास अधिनियम के अनुसार छटनी की जा सकती है।

(३) ३६ श्रमिक महिलाएं आवश्यकता से अधिक होने के कारण सभी श्रमिक महिलाओं को रोटेशन से बराबर काम दिया जाता है और जिसका नम्बर नहीं आता है उन्हें नम्बर के अनुसार लौटा दिया जाता है।

Page No.11

(डॉ० चन्द्रकला),

(४) संभव नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह संभव है कि जब रीलिंग मशीनें पॉवर से चलने से लगेंगी, धीरे धीरे और महिलाएं बेकार होती जायेंगी, या छंटनी होती रहेगी। तब सरकार की क्या नीति रहेगी आगे के लिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें सरकार की नीति का कोई प्रश्न नहीं है। यूनियन और मैनेजमेन्ट के बीच जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसी के अनुसार हो रहा है। आयन्दा क्या होगा उसके लिये नहीं कह सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या महिलाओं के विशेषाधिकार का ध्यान नहीं रखा जायगा ?

डॉ० चन्द्रकला : समझौता हुआ उसके अनुसार छंटनी शुरू हो रही है, इस संबंध में क्या उन श्रमिकों की राय ली गई थी जिन पर इसका असर पड़ेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो समझौता हुआ है वह यूनियन की मार्फत हुआ है उस पर यूनियन के प्रतिनिधि श्री एन० सी० लाल के दस्तखत मौजूद हैं।

डॉ० चन्द्र कला : लेकिन उनमें से जो महिला श्रमिक हैं, उन पर सीधा असर पड़ने वाला है। उन १४६ महिलाओं की राय कैसे जानी गई ? इसका असर सीधा उन पर पडने वाला है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : उस एग्रीमेंट पर यूनियन के प्रेसीडेन्ट के दस्तखत मौजूद हैं।

डॉ० चन्द्र कला : क्या सरकार ने अच्छी तरह जांच करवा ली है कि जो एग्रीमेंट हुआ है, उससे मजदूर सहमत हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी यही है। मेरे पास कॉपी यह आई है, जो एग्रीमेंट हुआ है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या गवर्नमेंट रेश्नलाइजेशन को एक्सेप्ट करती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हो ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

डॉ० चन्द्र कला : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री और है। क्या सरकार अपनी इस नीति को सही मानती है कि जो महिलायें श्रमिक हैं, उनको बारी बारी से काम करने दिया जाय और बाकी को अनएम्प्लॉयड करके बैठा दिया जाय ? यह सरकार की नीति है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

स्क्रूटिनी ऑफिसर से एक साल तक कोई काम न लिया जाना

१२८६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि श्री गणेशीलाल व्यास, स्क्रूटिनी ऑफिसर ने संचालक सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को यह लिख कर दिया था कि वह ६ माह से बेकार बैठे हैं और उनसे कोई काम नहीं लिया जाता ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

(२) यदि नहीं तो श्री गणेशीलाल व्यास से सन् १९५६-५७ व ५७-५८ में क्या क्या कार्य लिया गया ?

राजस्व मंत्री : (श्री दामोदर लाल व्यास गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) (१) जी हां।
(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : बेकार बैठे हैं, प्रश्न क्यों नहीं उठता ?

श्री दामोदर लाल व्यास : प्रशासनिक कारणों से काम नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं लिया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास : श्री गणेशीलाल जी जिस पद पर काम कर रहे थे, उस पद के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टिज़मेंट किया ५७ में, उन्होंने इस पोस्ट के लिए एप्लाई नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसने एप्लाई किया था और जिसे योग्य पाया था, सलेक्ट कर लिया और उसको नियुक्त किया। अब श्री गणेशी लाल का मामला विचाराधीन है और इस वक्त अवेटिंग लिस्ट में है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री गणेशीलाल इस कारण बेकार नहीं रहे, पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन नहीं हुआ, इस कारण से नहीं पर बल्कि श्री गणेशी लाल के स्थान पर श्री मदन मोहन लाल, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट में डाइरेक्ट ट्रान्सफर कर दिया। इस कारण से दोनों व्यक्ति एक पोस्ट के अगेन्स्ट रहे। इसलिए यह सोचा गया और उनको हटा दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक गणेशी लाल का सम्बन्ध है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं जिनकी वजह से जिम्मेदारी का काम डाइरेक्टोरेट का काम नहीं दिया जा सकता। जिस पोस्ट पर वे काम कर रहे थे, उसका एडवर्टिज़मेंट हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्लीकेशन्स उसके लिए इन्वाइट की, लेकिन इन्होंने एप्लाई नहीं किया...

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में दर्ख्वास्त न देने का कारण न होकर कारण यह था कि मदन मोहन लाल को इनके स्थान पर लगा दिया गया था। दोनों एक पोस्ट पर रहे, इसके लिए ए. जी. ने ऑब्जेक्शन किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मदन मोहन लाल के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने प्रशासनिक कारण बताये जिनके कारण डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी का काम सौंपना उचित नहीं समझा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने जांच की है कि किन कारणों से जिम्मेदारी का काम नहीं दिया जा सकता, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी हुआ है।

श्री दामोदरलला व्यास : अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी होता तो फैसला करने की बात क्यों होती। प्राइमाफेसी जांच करने से जो मेटिरियल पहुंचा, उससे ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति को लगाना ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह बात समझ में आ सकती है कि जिम्मेदार का काम न दिया जाय लेकिन इन्हें बेकार रखा जाय, यह कहां तक सरकार उचित समझती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह : निर्णय लिया है या निर्णय लिया जायगा...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

ग्राम मोहन पुरा, तहसील किशनगढ़ के पास के वन के रुखाले के विरुद्ध शिकायत

१२६० **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मन्त्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम मोहनपुरा, तहसील किशनगढ़ के नज़दीक वन विभाग का कोई रखत है ? यदि हां, तो उक्त रखत का रुखाला कौन है !

(२) क्या यह सही है कि वन विभाग के उक्त रुखाले से सैकड़ों रुपये की लकड़ियां बेच दी दी हैं और उसकी रकम का पता नहीं है !

(३) इस सम्बन्ध में वन विभाग के किन किन अधिकारियों के पास पिछले एक वर्ष में कितने आवेदन पत्र पेश हुए हैं ?

(४) उक्त आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। अब श्री तेजसिंह इस रखत का रुखाला है उससे पहले श्री भवरराम था।

(२) जी नहीं।

(३) दो आवेदन पत्र मई १६५८ में आए। एक वन संरक्षक पूर्वी वृत को दूसरा विषय वन अधिकारी जयपुर को।

(४) श्री भवरीराम का तबादला कर दिया गया है और जांच की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच कब शुरू की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्जेक्ट तारीख मेरे पास नहीं है। पर जांच जरूर चल रही है और चार्ज शीट दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस कारण चार्ज शीट दी गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चार पांच बबूल के दरख्तों की पत्तियां तुड़वा दी, चार नीम के पत्तों की पत्तियां तुड़वा दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आपने प्रश्न २ के उत्तर में नहीं कैसे कहा ? प्रश्न दो यह है कि क्या यह सही है कि वन विभाग के रुखाले ने सैकड़ों रुपये की लकड़ियां बेच दी और उसकी रकम का पता नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सैकड़ों रुपये के लिए कैसे कहूं २५ रुपये का नुकसान हुआ है, वह कह दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप २५ रुपये के लिए भी कह सकते थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : २५ रुपये का नुकसान है, उसके लिए चार्ज शीट दी है। चार्ज शीट इसलिये दी है कि चार नीमडे की पत्ती और पांच बबूल की पत्ती कटवा

Page No.14

(नाथूराम मिर्धा)

दी। उसने दरख्त नहीं कटवाये, पत्तियां कटवाई थीं। मैं फिर सैकड़ों रुपये के लिए कैसे कह दूं।

श्री भैरोंसिंह : इतना कह दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

कोटा चम्बल प्रोजेक्ट की गाड़ियों का दुरुप्रयोग

१२६१. श्री दयाकृष्ण विजय : (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा चम्बल प्रोजेक्ट के इन्जीनियरों के पास जितनी जीप व स्टेशन वैगन गाड़ियां हैं उनका माइलो मीटर यन्त्र निकाला हुआ है ?

(२) क्या यह भी सही है कि चम्बल प्रोजेक्ट की गाड़ियां इन्जीनियर की बच्चियों को स्कूल पहुंचाने व देवियों को घुमाने तथा उन्हें क्लब ले जाने में काम में लाई जाती हैं ?

(३) क्या सरकार के सामने इस तरह की कोई योजना विचाराधीन है कि जीप गाड़ियां एक जगह पूल में एकत्रित हों और आवश्यकतानुसार वहां से गाड़ियों का उपयोग हो ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास सिंचाई मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) गाड़ियों के गहन (इन्टेन्सिव) व उचित उपयोग की प्रज्ञेयता (एडवाइजेबिलिटी) मंजूरी देते समय ही ध्यान में रखी गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आप बता सकते हैं कि चम्बल की गाड़ियां में माईलो मीटर लगा हुआ है। क्या इसकी जांच की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि जी नहीं। यह जांच करके ही जवाब पेश किया जा रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : वह गाड़ी कितने माइल चलती है, इसकी जांच कैसे होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो लॉग बुक रहती है, उसमें दर्ज रहता है, कितना पेट्रोल कन्जूम होता है, जिस काम के लिए गाड़ी चलती है, वह सब दर्ज होता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह गलत है कि चम्बल की जो जीप हैं स्टेशन वैगन्स हैं उनका माइलो मीटर निकाला हुआ है, इस बात की शिकायत की गई है। वे जीप और स्टेशन वैगन्स क्लब के बाहर खड़ी रहती है. बच्चों को ले जाती है और लाती है. स्टेशन ले जाती हैं। अगर चम्बल की स्टेशन वैगन्स स्टेशन पर देखी जाय तो उसका क्या अर्थ निकाला जाना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकारी काम भी हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : एन्टी-करप्शन

(एक माननीय सदस्य)

ने भी चम्बल की गाड़ियों के बारे में एक एक केस बनाया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष - श्री भैरोंसिंह ।

यातायात विभाग में दूसरे विभागों के व्यक्तियों की विभिन्न पदों पर नियुक्तियां

१२६२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) यातायात विभाग में एल० डी० सी०, यू० डी० सी०, सब इन्सपेक्टर्स, इन्स्पेक्टर्स, असिस्टेन्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स के पद पर १ अप्रेल, सन् १९५५ से अब तक किस किस विभाग से किन किन कर्मचारियों को कब कब और क्यों नियुक्त किया गया है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या ऐसी नियुक्तियों के कारण विभागीय कर्मचारियों की उन्नति के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है ? यदि नहीं, तो कृपया सदन की मेज पर एक तालिका रखें जिससे यह मालूम हो सके कि दूसरे विभाग के जिन कर्मचारियों को इन पदों पर नियुक्त किया गया वह विभागीय कर्मचारियों से किस प्रकार से सीनियर हैं और ऐसे पदों पर इनकी नियुक्ति की तारीख क्या क्या है ?

यातायात मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) स्टेटमेंट 'ए' संलग्न है जिसमें पूरा विवरण दिया हुआ है ।

(२) अतिक्रमण नहीं हुआ है एल० डी० सी०, यू० डी० सी० सब इन्सपेक्टर की सीनियोरिटी अभी निश्चित नहीं हुई ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिन ऑफिसरों को दूसरे विभागों से इस विभाग में इम्पोर्ट किया गया, क्या उनके लिए पहले से स्थान रिक्त थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं वे पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्फर्म हो गये । जगह थी, जब ही लिये गये ।

श्री भैरोंसिंह : कन्फर्म हुए या नहीं कन्फर्म तो डिपार्टमेन्ट में आने के बाद हुए।

श्री भैरोंसिंह : जगह जब थी, तो क्या सरकार ने यह दृष्टि में रखा है कि जो ऑफिसर उन जगहों पर काम कर रहे थे, उन्हीं व्यक्तियों की इन पदों पर नियुक्ति हो, उन्हे प्रमोशन दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, वह तो महकमे की जगह थी, दूसरे आदमी इस पोस्ट के लिए नहीं थे, इसलिए इन्हें लिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि दूसरे विभाग के सब इन्सपेक्टर इन पोस्ट पर लिये गये, इस विभाग के सब इन्सपेक्टर पोस्ट के लायक नहीं थी, इस कारण इम्पोर्ट किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब इन्सपेक्टर थे नहीं, लेने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : आपने लिस्ट लम्बी चौड़ी दी है, आपने २८ सब इन्सपेक्टर इम्पोर्ट किये हैं और एक इन्सपेक्टर भी इम्पोर्ट किया है । इनको इस कारण इम्पोर्ट किया होगा कि इस विभाग के व्यक्ति पोस्ट के लिए योग्य नहीं थे जिन्हें प्रमोशन दिया जा सकता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्सपेक्टर कौनसा लिया है ? एक भी नहीं लिया है ।

श्री भैरोंसिंह : श्री सुखराम ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे वापिस चल गये

श्री भैरोंसिह : लिस्ट में है, इसलिये कह रहा हूँ ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह वापिस चला गया ।

श्री भैरोंसिह : आपने यू० डी० सी० की पोस्ट पर श्री पांचूराम को लिया है ? इनको यू० डी० सी० लेने के पहले ये क्या थे ? इस विभाग में जो काम करने वाले थे, क्या वे कॉम्पीटेन्ट नहीं थे कि इनको यू० डी० सी० के पद पर लगाया जाता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एल० डी० सी० से यू० डी० सी० पांच साल में बनते हैं । ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिये नहीं लिया गया ।

श्री भैरोंसिह : आपने एक इन्स्पेक्टर लिया है, श्री हरिसिंह, नम्बर १ पर । इनको लेने से पहले क्या आपने जांच की थी कि इस विभाग में कोई सब इन्स्पेक्टर नहीं है जिसे इन्स्पेक्टर के पद पर प्रमोट किया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हरिसिंह पहले इन्स्पेक्टर इसी विभाग में थे, वे इस विभाग के बाद में मिलिट्री में चले गये । फिर इस सर्विस में वापिस आ गये और इन्स्पेक्टर के पद पर भरती हो गये । इसमें दूसरे विभाग का सवाल नहीं है । कुछ दिनों के लिये वे बाहर चले गये और फिर वापिस आ गये ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजमल बापना ।

श्री जयसिंह राणावत : यह तहसील भीलवाड़ा, कोटड़ी की जनता के स्वास्थ्य का प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : जन-स्वास्थ्य के लिये उत्तर दीजिये ।

कोटड़ी (तहसील भीलवाड़ा) की गवर्नमेंट डिस्पेन्सरी के हेतु

भवन निर्माण

१२६३ श्री तेजमल बापना (बनेरा) : क्या चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटड़ी, तहसील भीलवाड़ा में गवर्नमेंट डिस्पेन्सरी कब से कायम है ?

(२) क्या यह सही है कि यह डिस्पेन्सरी प्रारम्भ से ही एक किराये के मकान में चल रही है जो इनसेनिटेरी हालत में है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेन्सरी के लिये नई बिल्डिंग बनाने की योजना स्वीकृत भी हो गई है तथा उसे अगले वर्ष के बजट में सम्मिलित कर लिया गया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) यह डिस्पेन्सरी दिनांक १८-१०-५४ से चालू है ।

(२) जी हां, भवन की हालत ठीक नहीं है ।

(३) उक्त डिस्पेन्सरी के लिये भवन की योजना स्वीकृत नहीं हुई है । अगले वर्ष के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बिल्डिंग प्रोग्राम में अवश्य सम्मिलित की गई है ।

प्रश्न संख्या १२६४

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थिति)

प्रश्न संख्या १२६५

रावराजा श्री सरदारसिंह !

(अनुपस्थिति)

प्रश्न संख्या १२६६

श्री उम्मेदीलाल !

(अनुपस्थिति)

श्री गोवर्धनसिंह केन !

भरतपुर जिले में चोरी व डाके

१२६७. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस समय जिला भरतपुर में चोरी व डाके अधिक हो रहे हैं ? इस जिले में कितनी चोरियां व डकैती के अपराध हुए ?

(ख) कुल चोरियां कितनी रकम की हुई तथा कितनों का व कुल कितनी रकम का माल बरामद किया गया ?

(ग) चोरियों को रोकने के लिये सरकार ने क्यों कदम उठाया हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास गृहमन्त्री की अनुपस्थिति में)

(क) जी हां १२ डकैतियां और ७१५ चोरियां मय नकबजनियां व सरकाबिलजब्र सन् १९५८ में (नम्बर ५८ तक) व १० डकैतियां और ५२० चोरियां सन् १९५७ (उपरोक्त समयानुसार) हुई है ।

(ख) २५८४०२) और ३०३३०५) का माल चोरी व ५५७५६) और ६२८०८) का माल बरामद क्रमशः सन् १९५७ और १९५८ में हुआ है, यह सु० पु० भरतपुर से मालूम किया जा रहा है कि कितने मुकदमों में माल बरामद हुआ है ।

(ग) लगातार गश्त मुस्तवाह लोगों की गतिविधि की रोकथाम के हेतु नियमित कार्यवाही और सूचना देने वाले लोगों को अपराध रोकने के लिये लगाये गये हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह क्या यह सही है कि गत महीने में २०० साइकिलें चोरी गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं, चोरियों के नम्बर बताये हैं, नम्बर इतने हैं कि हर एक चोरी के माल की सूचना प्राप्त करना मुश्किल है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार ने तुलनात्मक दृष्टि से देखा है कि निरन्तर ये चोरियां बढ़ रही हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां फ्लड और फूड क्राइसेज की वजह से कुछ बढ़ी हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : फ्लड और फूड क्राइसेज के जमाने के अलावा भी अनुपात से पहले से बढ़ी हैं ?

Page No.18

श्री दामोदरलाल व्यास : फ्लड, फूड क्राइसेज़ के जमाने की हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि एक महीने में एक साथ ७ कत्ल हुए हैं एक तहसील में ?

श्री अध्यक्ष : फ्लड और फूड क्राइसेज़ की वज़ह से ।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : चौरियों और डाकों के बारे में पूछा गया, उसका उत्तर दिया गया है, न कि कत्ल के बारे में कत्ल के बारे में अलग पूछें तो उत्तर दिया जा सकता है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या बेकारी भी चोरियों और डकैतियों के बढ़ने में कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, कुछ हद तक ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या साइकिलों की चोरियां भी, इन चोरियों के नम्बर में शामिल हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : साइकिलों की चोरियों का अलग से पूछिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या साइकिल की चोरियां चोरियों में शुमार नहीं होतीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कब मना करता हूं पर मैं तो कहता हूं कि किस केस में साइकिलें चोरी गई यह सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

पंचायत ४२ जी० बी० तहसील अनूपगढ़ के सरपंच का चुनाव

१२६८. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर): १५२ क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि पंचायत ४२ जी० बी० तहसील अनूपगढ़ में सरपंच पद के लिए श्री जगसिंह व श्री केहरसिंह पटवारी उम्मीदवार थे ?

(ख) क्या यह सच है कि श्री जगसिंह का नाम हिन्दी पढ़े-लिखे न होने के कारण और श्री केहरसिंह का नाम सरकारी कर्मचारी होने के कारण नामन्जूर किया जाकर चुनाव स्थगित कर दिया गया था?

(ग) क्या यह सच है कि एडीशनल कलेक्टर श्री इन्द्रसिंह मेहता ने निर्वाचनाधिकारी को बुलाकर और श्री केहरसिंह का अपनी नौकरी से पहले का दिया हुआ त्याग-इस चुनाव से पहले के कुछ दिनों का मन्जूर कर के चुनाव अधिकारी से श्री केहरसिंह के हक में रिपोर्ट करवाई ?

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने को तैयार है ?

स्वायतशासन मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) श्री जगतसिंह न कि जगसिंह व केहरसिंह थे ।

(ख) श्री जगतसिंह की नामजदगी हिन्दी पढ़े-लिखे न होने के कारण अस्वीकार की गई । श्री केहरसिंह सरकारी नौकर न होने से सरपंच घोषित किये जा चुके हैं । चुनाव स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(श्री दौलतराम सारण)

(ग) जी नहीं । श्री केहरसिंह का त्यागपत्र दिनांक २१-११-५७ को मंजूर हो चुका था और चुनाव दिनांक १८-५-५८ को था ।

(घ) उपरोक्त स्थिति में जांच का प्रश्न नहीं उटता ।

श्री **भैरोंसिंह** : नियम के अनुसार कितने दिन पहले सहकारी कर्मचारी को चुनाव लड़ने के लिये स्तीफा देना चाहिये ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : चुनाव के दिन वह सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए ।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि चुनाव हुआ उस दिन वह कर्मचारी था, पटवारी था ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं चुनाव हुए १८-५-५८ को और उसने स्तीफा दे दिया था २१-११-५७ को ।

श्री भैरोंसिंह : स्तीफा मंजूर कब हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : स्तीफा मंजूर हुआ वही तारीख दे रहा हूं ।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि श्री जगतसिंह और केहरीसिंह की दर्ख्वास्त मौके पर नामंजूर की गई और फिर केहरीसिंह का नाम दे दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास जो जानकारी है, वह मैंने दी है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती जेलिया ।

कोटा-जयपुर व कोटा-अजमेर बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण

१२९९. **श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया** (बारां) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार कोटा-जयपुर व कोटा-अजमेर रोड पर बस सर्विस अपने नियन्त्रण में चलाने के लिये विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त दोनों सड़कों पर यह योजना कब से कार्यान्वित करेगी ?

(ग) अब तक इस सम्बन्ध में कोटा अजमेर रोड पर बस सर्विस सीधी चालू किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्राप्ति हो पाई है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) हां ।

(ख) निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या १३००

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास ।

(अनुपस्थित)

श्री वीराराम ।

तहसील पींडवाड़ा, ग्राम भावरी में गायों को चराने हेतु जमीन

१३०१. **श्री वीराराम** (सिरोही) : क्या वन मन्त्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(श्री वीरराम)

क्या ज़िला सिरोही, तहसील पींडवाड़ा, ग्राम भावरी के जंगल में गायों को चराने के लिये जमीन की कमी है और उसमें से भी जंगलात वालो ने कुछ जमीन रोक रखी है ! है यदि हां, तो क्या इस जमीन को छुड़ाने का सरकार विचार रखती है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं।

२००० एकड़ रोक रखा है भूमि को छुड़ाने का विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

बांसवाड़ा जिले के तालाब एवं बांध

१३०२. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बासवाड़ा ज़िला में कौन कौन से तालाब एवं बांध बंधवाने के लिये कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(ख) तहसील गढ़ी में रामोर तालाब बस्सी बड़ी का राज्य सरकार से कार्य अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया हैं ?

(ग) इस तालाब को बंधवाने के लिये किसका टेन्डर कितनी धनराशि का स्वीकृत हुआ है और कार्य कब आरम्भ होगा ?

(घ) उपरोक्त तालाब पर जनता की ओर से कितनी धनराशि का श्रमदान हो चुका है और जो मूल्यांकन होगा टेन्डर में शुमार होगा या नहीं ?

(ड) तहसील गढ़ी में अढ़ाई तालाब को बंधवाने के लिये एक लम्बे अर्से से कई गांवों की आम जनता की मांग होते हुए अब तक उसकी स्वीकृति क्यों नहीं हुई है ?

(च) गत वर्ष सिंचाई विभाग, बांसवाड़ा द्वारा उस तालाब की सर्वे होकर जो कागज पेश हुए हैं उस पर अब तक आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

(छ) तहसील बागीडोरा में बड़ियाव वाला नाला, पंचायत क्षेत्र चांदरवाड़ा की सर्वे हुई या नहीं और नहीं तो क्यों ?

(ज) क्या सरकार इस पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र में ऐसे तालाब जो कृषि उत्पादन में अत्यधिक उपयोगी हो सकें, प्राथमिकता दे कर शीघ्र बंधवायेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास सिंचाई मन्त्री की अनुपस्थिति में) :

(क)

नाम संघ	लागत
१. बसी रामोर	८८२०० रु०
२. पिकप वियर नं ६	२६२८० रु०
३. पिंडारना पिकप वियर	३२००० रु०

(ख) तखमीना मंजूर हो चुका है और कार्य भारत सेवक समाज द्वारा चालू करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(ग) इस कार्य के लिये भारत सेवक समाज २५ प्रतिशत श्रमदान देगा। इस कारण टेन्डरों का प्रश्न ही नहीं उठता कार्य शीघ्र ही चालू हो जयगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(घ) अभी तक श्रमदान प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उसके मूल्यांकन का व टेन्डर में शुमार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सर्वे ज़ारी है।

(च) जिस स्थान पर सर्वे हुई चुकी थी वह २ गांव के डूब जाने के कारण उचित नहीं समझा गया। अब एक माइल ऊपर की तरफ सर्वे करने की तजवीज़ है।

(झ) हां,

(छ) इस क्षेत्र में अन्वेक्षण के लिए एक उपखंड स्थापित किया गया है और प्रारम्भिक सर्वे जारी है।

श्री मूलचन्द डागा : कब से सर्वे जारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कौनसे साल से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि तारीख साल मेरे पास नहीं है, नहीं तो फौरन अर्ज कर देता।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे लिस्ट नहीं मिली है, पिछली बार भी सवाल पूछा था तो सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला था।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन सी लिस्ट ? तीनों तालाबों के नाम मैंने बतला दिये हैं और धनराशि भी बता दी है।

श्री नाथूराम : बस्सी के तालाब पर कहा गया कि श्रमदान नहीं हुआ है पर गत वर्ष १०;१२ हजार का का श्रमदान दिया है, फिर भी वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि २५ प्रतिशत श्रमदान भारत सेवक समाज की मार्फत जो काम होते हैं उनमें आवश्यक होता है, उतना ही हुआ है इसलिये मूल्यांकन को टेन्डर में शुमार नहीं किया गया।

श्री नाथूराम : गढ़ी तहसील में जो रामोर तालाब है उससे १०० गांवों को फायदा पहुंचता है और सरकार की तरफ से हर साल हजारों रुपया तकावी दी जाती है, दो लाख रुपया इस तालाब पर खर्च होगा और इस तरह लाखों रुपये सरकार के बच जायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : कम से कम जमीन, गांव डूबे इस बात का प्रयत्न किया जाता है, इसमें २ गांव डूब रहे हैं, इसलिये थोड़ा ऊपर की ओर लेने का विचार किया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा: अढ़ाई तालाब ऐसा है कि बांसवाडा से ३० मील की दूरी पर है, माही डेम बनने वाला है वहां इससे सिंचाई नहीं होगी और लोगों की मांग १० साल से और १०० गांवों को इससे फायदा होता है, आस पास और कोई सिंचाई का तालाब नहीं नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से सर्वे करा कर स्वीकृति देनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यही तो मैंने अर्ज किया कि सर्वे जारी है।

श्री नाथूराम मिर्धा: गत वर्ष सर्वे होकर कागज पास हुए थे तो उन कागजों का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कोई पता नहीं है, वहां पता लगाते हैं तो कहते हैं आगे भेज दिये और यहां कोई पता नहीं लगता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने मेरे जवाब को अच्छी तरह से सुना नहीं है, सर्वे पिछली साल की गई, दो गांव डूब में आते हैं, इसलिये यह ठीक समझा गया कि १ माइल से ऊपर सर्वे कराई जाय । कागज भी हैं, सर्वे भी हुई पर उसे ठीक नहीं समझा क्योंकि दो गांव डूब रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उन दो गांवों की कितनी आबादी है और रकबा कितना डूबता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री नाथूराम : ढ़ाई तालाब है, ऊपर बांधने की कोई योजना नहीं है, वहां सिर्फ ढ़ाई तालाब ही ऐसा है जिससे कि १०० गांवों को फायदा होता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष मुझे संतोष नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आपको तो संतोष तालाब शुरू होगा तब होगा, अभी तक उसकी सर्वे चल रही है ।

श्री नाथूराम : तालाब का नाम बता दिया जाय, साहब ।

श्री अध्यक्ष : देखिये मन्त्री महोदय ने कहा है कि मामले को ड्रोप नहीं किया है सर्वे किया जा रहा है, दो गांव डूब में आते हैं, इसलिये दूसरी साइट ठीक मिल गई तो कार्य जारी किया जायगा ।

प्रश्न संख्या १३०३

श्री मोहरसिंह

(अनुपस्थित)

तिजारा से फिरोजपुर झिरका तक की सड़क का निर्माण

१३०४ **श्री गोकुलचन्द जाटव** (लछमनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील हैडक्वार्टर, तिजारा (अलवर) से फिरोजपुर झिरका (गुड़गांवा) तक की सड़क कब तक बन कर तैयार हो सकेगी और इसमें कितना रुपया खर्च होगा ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क के लिए केन्द्रीय सहायता भी मिलेगी ? यदि हां, तो कितना रुपया केन्द्र से मिल सकेगा ?

(४) यह सड़क कितने मील लम्बी है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) इस सड़क के तैयार होने में लगभग २ या ३ साल लगेंगे, कुल खर्च का तखमीना ६,७०, ५२० रु० का है ।

(२) जी हां ।

(३) २,२५००० रु०

(४) १४ मील ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । अनूपसिंह ।

अध्यक्ष, जन सम्पर्क विभाग की शैक्षणिक योग्यता

१३०५ **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या मंत्री जन सम्पर्क विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अध्यक्ष जन सम्पर्क विभाग की शैक्षणिक योग्यता सिर्फ मैट्रिक ही है ?

(२) क्या इस पद के लिये यही योग्यता उपयुक्त है ?

(३) क्या इसके लिये अन्य कोई योग्य व्यक्ति सरकार को उपलब्ध नहीं हो सकता था ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) :

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) सरकारी सेवा में उपलब्ध इस पद के लिये अधिकारी की नियुक्ति की गई थी ।

श्री पी० के० चौधरी : उनकी क्या शिक्षण योग्यता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इन्टर-मीडियेट है ।

श्री पी० के० चौधरी : ये जन सम्पर्क विभाग में आने से पहले क्या काम करते थे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

डूंगरपुर नगरपालिका द्वारा ट्रैक्टर खरीदने हेतु ऋण

१३०३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या यह सही हैं कि डूंगरपुर नगरपालिका ने एक ट्रैक्टर खरीदने हेतु कृषि विभाग डूंगरपुर से १०,००० रु० का कर्जा लिया है ?

(२) यदि हां, तो कोई ट्रैक्टर खरीदा गया ?

(३) अगर नहीं, तो क्या यह रकम इस वक्त किसी बैंक में जमा है या वापिस लौटा दी गई है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां ।

(२) अभी तक नहीं ।

(३) रकम राजस्थान बैंक में जमा है ;

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह रकम जमा है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां, वह रकम जमा है और खरीदने के ऑर्डर फाइनल हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

फुलाद स्टेशन (जिला पाली) पर कोयले का डिपो

१३०७. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या मन्त्री, वन विभाग निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री बेनाराम गहलोत)

(१) क्या यह सही है कि फुलाद स्टेशन (जिला पाली) पर भूतपूर्व उदयपुर सरकार द्वारा एक कोल डिपो (कोयले का डिपो) बनवाया गया था ? यदि हां, तो कब और उसमें कुल कितनी कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(२) उक्त डिपो के पट्टे के नजराने की रकम कितनी व किसको दी गई ?

(३) उक्त डिपो अब किसके अधिकार में है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी हां। १९४१ में। १४०५)रु एक आना व्यय हुए।

(२) पट्टे की रकम ६० रुपये यूनियन बैंक में जमा कराई गई।

(३) उपरोक्त डिपो जागीरदार सिरियारी के अधिकार में है।

श्री बेनाराम गहलोत : यह कब से है और क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई झगड़े टन्टे के मामले में ट्रेस पास कर दिया और अब चालान कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है।

श्री नाथराम मिर्धा : फैसला करना गवर्नमेन्ट के हाथ में है।

श्री पी० के० चौधरी : चालान कब किया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नाथद्वारा तहसील में सिंचाई के तालाब

१३०८. **श्री किशनलाल शर्मा** (नाथद्वारा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नाथद्वारे तहसील में सिंचाई के कितने तालाब में हैं और उन तालाबों से कितनी जमीन की सिंचाई होती है ?

(२) क्या गांव गुडा तालाब से और अधिक सिंचाई होने की गुंजाइश है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सिंचाई मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) ८ तालाब हैं और १९५७ में १२६२ एकड़ पिलाई हुई।

(२) जी हां, गांव गुड़ा तालाब से और अधिक सिंचाई होने की संभावना है। इस सम्बन्ध में तखमीना बनाया जा रहा है।

श्री किशनलाल शर्मा : यह तखमीना कब तक बन जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : कई गांव नीचे पड़ते हैं इसलिये पहले ग्राम गुडा तालाब में ३ फुट ऊंचा करने के लिये तखमीना पहले बताया गया था वह ७० हजार रुपये का बनाया गया। लेकिन रिटर्न कम मिलती है इसलिये इसको मंजूर नहीं किया गया। अब दूसरा तखमीना ऑल्टरनेटिव सुझाव के लिये किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़, जिला अलवर द्वारा चमारों के मोहल्लों की जमीन को बेचना

१३०६. **श्री गोकलचन्द जाटव** (लक्ष्मनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, गोविन्दगढ़, जिला अलवर द्वारा कुछ मास पूर्व चमारों के मोहल्ले की एक जमीन को कुण्डी नामक व्यक्ति को १००) रुपये में बेच दिया गया ?

(२) क्या यह भी सही है उस जमीन को अन्य व्यक्ति ५००) रु० तक में लेने को तैयार थे और इस प्रकार की दर्ख्वास्तें भी चीफ पंचायत अधिकारी को दी गई हैं ?

(३) क्या सार्वजनिक नीलाम न करके इस प्रकार मनमाने मूल्य पर जमीन बेच देने की आज्ञा को रद्द किया जा सकता है ? यदि हां, तो ऐसा कौन अधिकारी कर सकता है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां ७० रुपये में बेची ।

(२) जी हां, जांच के बाद नीलाम दुबारा करने के आदेश २४-१०-५८ को दिए जा चुके हैं ।

(३) जी हां ! इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर, बाद जांच ऐसा सरकार द्वारा किया जा सकता है ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : क्या इसे दुबारा नीलाम की जा सकेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके दुबारा नीलाम के आदेश दे दिये गये हैं ।

एक माननीय सदस्य : इसको पहले बेची क्यों गई थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बस सर्विस

१३१०. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

क्या यह सही है कि गंगापुर जयपुर, गंगापुर हिन्डौन गंगापुर सपोटरा, गंगापुर-दौसा, गंगापुर गुढाचन्दजी, गंगापुर मोरां रूट पर चलने वाली गाड़ियों का मिलान गंगापुर रेलगाड़ी से नहीं होने के कारण सवारियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या यह भी सच है कि इन रूटों पर समय की भी कोई पाबन्दी नहीं की जाती है ? सरकार द्वारा जो समय सारिणी उपरोक्त रूटों पर चलने वाली बसों को दी गई हैं वह सदन की मेज पर रखी जावे ।

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ट्रेन का समय रात का है अत: बसों द्वारा रेल का मिलान नहीं होता । समय की पाबन्दी न होने की जो शिकायत आर. टी. ओ. ऑफिस में आई, उसकी जांच इन्सपेक्टर द्वारा की जा रही है । टाइम टेबिल की प्रति संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री पृथ्वीराज : सन् १९५७ से शिकायत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है ।

Page No.26

श्री नाथूराम मिर्धा : अब इसकी जांच करके जल्दी कोशिश करेंगे कि आपकी शिकायत रफा हो जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३११

श्री तेजमल बापना।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३१२

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह।

बाड़मेर के जसोल व तिलावड़ा गांवों के बीच सड़क निर्माण

१३१३. **श्री अनूपसिंह (बालोतरा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ज़िला बाड़मेर के जसोल व तिलवाड़ा गांवों के बीच में कोई सड़क निकालने की योजना हेतु, पी. डब्ल्यू. डी. ने पैमाइश की है ?

(२) उक्त सड़क निकालने हेतु ज़मीन को अवाप्त करने के नोटिस कब शाया हुए ?

(३) उक्त सड़क के निर्माण में कितना समय लगेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) राजस्थान राजपत्र ७ अगस्त सन् १९५८ को।

(३) कार्य पूर्ण हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भीलवाड़ा तहसील के गांवों में सिंचाई का प्रबन्ध

१३१४. **श्रीमती कमला श्रोत्रिय (भीलवाड़ा):** क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

भीलवाड़ा तहसील में गुरलां, गाडरमाला, देवली, राजोला, हमीरगढ़, ओजाड़ापुर, करोई आदि कई गांवों को मेजा बाँध से पानी नहीं प्राप्त होने की स्थिति में उक्त गांवों के सिंचाई के अभाव को मिटाने के लिये राज्य सरकार के पास क्या योजना है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सिंचाई मन्त्री की अनुपस्थिति में) : लघु सिंचाई योजना सरकार के विचाराधीन है और कोई योजना इस क्षेत्र में संभवत: नहीं है।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : इन गांवों के आस पास कोई तालाब नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन सब के लिये जो सिंचाई योजना बन सकती है वह लघु सिंचाई योजना है। इसके अलावा कोई सिंचाई योजना नहीं बन सकती। इन सब की सर्वे के लिये एक योजना पड़ी है।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : ओजाड़ा तालाब है। वहां पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने ओजाड़ापुर लिखा है इसलिये मैंने इसका

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उत्तर दिया है। उसकी सर्वे होकर आई है।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : यह ओजाड़ा अलग है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो यह प्रश्न गलत है।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, बहुत आश्चर्य की बात है कि जो उत्तर माननीय मन्त्री महोदय लोग देते हैं उनसे हमको बिल्कुल सन्तोष नहीं होता।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस में कोई ऐसी बात नहीं है। ओजाड़ापुर लिखा है। इसलिये मैंने अर्ज किया है माननीय सदस्य ने ओजाड़ा के लिये कहा है लेकिन प्रश्न में जो लिखा है, उसके लिये मैं जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पीपाड़ नगरपालिका का चुनाव

१३६५. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पीपाड़ नगरपालिका के चुनाव कराने के निमित्त २५ मई, सन् १९५७ को चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या पीपाड़ में अब नगरपालिका है ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पाड़सोली एग्रीकल्चर फार्म

१३१६. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पड़ासोली एग्रीकल्चर फार्म में संवत् २०११ से लगायत संवत् २०१५ फसल स्यालू व उनालू में किस कदर पैदावार की आय हुई और सरकार को किस किस साल घाटा रहा ?

(२) मौजूदा फार्म इन्चार्ज के वक्त में किस कदर आमदनी हुई ?

(३) क्या इस समय फार्म का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है ? क्या इस फार्म में वृद्धि करने के लिये सरकार की कोई योजना है ?

(४) क्या इस फार्म में कृषि औजारों के रखने के लिए मकान की व्यवस्था है ? अगर नहीं है, तो कब तक की जावेगी ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण): (१) पड़ासोली फार्म में २०११ से २०१५ तक स्यालू और उनालू में पैदावार इस प्रकार हुई।

	वार्षिक व्यय	वार्षिक आय
१०१०:११	२४१०३,१०.६	३२३३८.८.३
२०११:१२	२३८५२.६.०	१८६०२.४.०
	५,२५०.२.० का नुकसान हुआ।	
२०१२:१३	२८०७६.१५,६.	३२८००.३.०
	५,७२३.३.६. का लाभ।	
२०१३:१४	३१९७०.११.०	४९२०६.१४.९
	१७,२३९.३.९. का लाभ।	

(श्री दौलतराम सारण)

(२) मौजूदा फार्म मैनेजर ने २७ मई, १९५६ में काम संभाला। इनका कार्यकाल २०१३:१४ व २०१४:१५ है। जिसमें आमदनी क्रमश: ४६२०६ रु० एवं खर्च ८४८७०) रहा।

(३) सुचारु रूप से चल रहा है, कार्य नई योजना के अनुसार चल रहा है।

(४) कुछ औजारों के लिए व्यवस्था है। बाकी के लिए व्यवस्था की जा रही है जो शीघ्र हो जायगी।

श्री रामधन : यह व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा शीघ्र हो जावेगी।

श्री रामधन : जिस व्यक्ति ने ४६ हजार का फायदा किया, उसको तरक्की और इनाम भी दिया जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : उसको शाबाशी दी जावेगी और जब तरक्की का वक्त आवेगा उस समय तरक्की भी दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम पंचायत पानसल (भीलवाड़ा तहसील) द्वारा बेची गई जमीन पर भवन निर्माण पर प्रतिबन्ध,

१३१७. **श्रीमती कमला श्रोत्रिय** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भीलवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत पानसल द्वारा एक आदर्श आबादी श्री जवाहरनगर निर्माण की योजना जिलाधीश के सम्मुख प्रस्तुत की गई और उनकी स्वीकृति के बाद उक्त पंचायत ने ४०० प्लाट बेच दिये, परन्तु अब इस नगर निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(२) क्या सही है कि अब तक लोगों को प्लाटों पर कब्जा नहीं मिला है और न उनकी रकम लौटाई गई है ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। ऐसी योजना जिलाधीश महोदय के समक्ष पंचायत ने प्रस्तुत की थी उन्होंने जमीन अन्दर हल्के आबादी लेने की कार्यवाही प्रारम्भ भी कर दी थी, उसी कार्यवाही को मंजूरी मान पंचायत ने २७५ प्लॉट बेच दिये। परन्तु बाद में यह जमीन नगरपालिका की सीमा में मिला दी गई और इस प्रकार यह योजना कार्यान्वित न हो सकी।

(२) जी हां।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : अब ये प्लॉट दिये जायेंगे या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह म्युनिसिपैलिटी का कार्य है।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : म्युनिसिपेलिटी नगर को बसाना चाहती है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो नगरपालिका जाने।

श्री पी० के० चौधरी : प्लॉट्स के लिए पैसे कब लिये थे ?

श्री दौलतराम सारण : ६-४-५६ से ११-४-५६ तक २७५००० रु० प्राप्त हुए ।

श्री जनार्दनराय नागर : नगरपालिका को किसने जमीन दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह उसकी सीमा में १७-७-५६ से आ गई ।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यदि सरकार नगरपालिका को पंचायत की जमीन दे देती है तो प्लॉट का कार्य रुक जाता है और जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि नगरपालिका जाने । सरकार के इस उत्तर में कोई वजन नहीं है । यदि प्लाट का कार्य रुक गया है तो यह सरकार जिम्मेदारी है कि वह उसको चालू कराये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चालू है ।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : नगरपालिका को यह काम दे देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : आबादी की जमीन देना और बेचने का अधिकार नगरपालिका को है । जब वह जमीन नगरपालिका में चली गई है तो वह यह काम करेगी । आपने यह पूछा कि जो योजना पंचायत की थी तो उसका क्या हुआ, जब नगरपालिका को दे दी गई है जमीन तो यह हुआ कि नगर बसाने के लिए कलेक्टर को योजना बतायी, कलेक्टर साहब ने कार्यवाही पूरी नहीं की प्लॉट्स बेच दिये गये तो सरकार कैसे लाएबिलिटी ले ।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह तो अजीब से जवाब हैं कि सरकार लाएबिलिटी कैसे ले, जब कि प्लानिंग का जिम्मा ही सरकार का है न कि नगरपालिका का ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नगरपालिका का जिम्मा है और वह कार्यवाही करेगी । जिम्मा यह कि स्कीम के अन्तर्गत कराये ।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा सबमिशन यह कि टाउन इम्प्रूवमेंट का जिम्मा नगरपालिका का है लेकिन सरकार का इसमें परोक्ष दायित्व है और वह उससे हट नहीं सकती, जहां तक नगर के विकास करने का प्रश्न है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है । नगरपालिका के एरिया में वह जमीन आयी है, अब जुरिस्डिक्शन पंचायत का नहीं रहा । नगरपालिका के पास रुपया आ गया है और वह स्कीम को कार्यान्वित करादेगी । नगरपालिका को कहेंगे, इसमें दो राय कहां हैं ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका की जमीन दूसरे आदमी को दे सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

तहसील सिवाना में लघु सिंचाई योजना

१३२८. **श्री अनूपसिंह** (बलोतरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील सिवाना में लघु सिंचाई योजना के सम्बन्ध में कई प्रस्ताव सरकार के पास आये हैं, जिन पर किसी तरह की मुकम्मिल कार्यवाही नहीं हुई है ?

Page No.30

(श्री अनूपसिंह)

(ख) क्या सिवाना में गुडानाल, नानेरी, सैलाग्रामसीन इत्यादि के लघु सिंचाई के लिए प्रस्ताव आये हैं? यदि हां, तो इस विषय में अलग अलग क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या सर्वे किया गया? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है? क्या किसी प्रस्ताव पर निर्माण कार्य करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सिंचाई मंत्री की अनुपस्थित में): (क) लघु सिंचाई योजना के जो प्रस्ताव आये थे उन पर प्रारम्भिक कार्य कार्यवाही की गई है। इन योजनाओं के लिए अभी निरीक्षण किया गया।

(ख) विस्तृत सर्वे अभी नहीं हुआ है। सर्वे होने पर ही निर्माण के लिए विचार किया जायगा।

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष में आगामी योजनाओं का सर्वे कराने का प्रोग्राम है।

प्रश्न संख्या १३१६

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३२०

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित)

ग्राम पंचायत कानोड़ा का चुनाव

१३२१. श्री तनसिंह (बाड़मेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) ज़िला उदयपुर के तहसील वल्लभनगर की ग्राम पंचायत कानोड़ा का कब चुनाव हुआ था?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत के कार्यकाल की अवधि एक साल के लिए और बढ़ाई गई है।

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत को उसकी पूर्ववर्ती पंचायत ने अभी तक चार्ज नहीं दिया?

(घ) सरकार ने भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं? क्या यह सही है कि उपरोक्त भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हैं?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण): (क) ५ अगस्त १९५५ को।

(ख) दिनांक २८-२-५९ तक या नगरपालिका के कार्यारम्भ करने तक, जो भी शीघ्र हो, अवधि बढ़ाई गई है।

(ग) जी हां।

(घ) भूतपूर्व सरपंच को चार्ज देने हेतु कई हिदायतें दी गई किन्तु उन्होंने चार्ज नहीं दिया है। भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री तनसिंह : चार्ज नहीं दिया ऐसी स्थिति में सरकार के पास उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी नहीं रहती है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब पुलिस को लिख दिया गया।

Page No.31

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीनिवास शारदा ।

चित्तौड़ जिले में सड़कों एवं तहसील भवन का निर्माण

१३२२. **श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गत तीन वर्षों में नेशनल हाईवे व स्टेट हाई वे के अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में अन्य किन-किन सड़कों का निर्माण किया गया व उसमें कितना कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) गत तीन वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलों में भवन निर्माण के कार्य में सालवार व तहसीलवार किन-किन कामों में कितना-कितना खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) व (२) सूची प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल : प्रश्न संख्या १३२२ ।

श्री श्रीनिवास शारदा : क्या...

श्री अध्यक्ष : आप पूछना चाहते हैं ?

श्री श्रीनिवास शारदा : जी हां, क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पांच सब डिविजन हैं और उनमें निम्बाहेड़ा सबसे बड़ा डिविजन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह हो सकता है ?

(हंसी)

श्री श्रीनिवास शारदा : चार सब डिविजन में बिल्डिंग्स नहीं थीं, वह बन चुकी हैं लेकिन निम्बाहेड़ा सब डिविजन में तहसील और एस० डी० ओ० के ऑफिस का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सड़कों के बारे में था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसे जैसे रुपया मिलता जाता है कार्य, होता जाता है ।

श्री श्रीनिवास शारदा : बिल्डिंग्स और रोड्स दोनों के बारे में पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

डाकुओं को मारने के फलस्वरूप पुलिस अधिकारिओं को प्रमोशन

२३२३. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सन् ४६ से सन् ५८ तक किन-किन डाकुओं को मारने में किन-किन पुलिस अफसरों की कार्य-कुशलता के कारण कब-कब प्रमोशन दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) पाली जिले में शिवनाथा राई का नामक डाकू को मारने में किन किन पुलिस अफसरों ने कार्यकुशलता दिखाई और उनको प्रमोशन दिया गया अथवा नहीं ? यदि हां, तो किन-किन को प्रमोशन दिया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास; गृह मंत्री की अनुपस्थित मे) : (१) उन्नति

Page No.32

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दिये गये अधिकारियों की तालिकामय पद, दिनांक व नाम के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) मुकाबिले में ३३ व्यक्तियों ने भाग लिया। परन्तु श्री ताराचन्द आई० पी० एस०, भूतपूर्व एस० पी० पाली, श्री रघुवीरसिंह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, श्री विभूतिसिंह कम्पनी कमॉन्डेर, श्री चिमनीराम हैड कॉन्सटेबल, कॉन्स्टेबल भंवरलाल, गोकुलसिंह और कानसिंह ने कार्य कुशलता दिखाई, इनमें से किसी को उन्नति नहीं दी गई, केवल उनकी बहादुरी की सराहना की गई।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री जनार्दनराय नागर : यह उन्नति क्या शब्द है।

(हंसी)

तरक्की का मतलब उन्नति नहीं हो सकता है। यह तो और गलत हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रमोशन।

श्री मनोहर कोठारी।

देवगढ़ (जिला उदयपुर) में डॉक्टर की नियुक्ति

१३२४. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

देवगढ़ (जिला उदयपुर) में कब से डॉक्टर नहीं है तथा डॉक्टर के अभाव में वहां क्या व्यवस्था है व कब तक डॉक्टर भेज दिया जावेगा ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : देवगढ़ (जिला उदयपुर) में २६-६-५८ से डॉ० नहीं है। डॉ० के अभाव में कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी का कार्य चलाता है। जन सेवा आयोग द्वारा चुने हुए डॉ० उपलब्ध होने पर वहां भेज दिया जावेगा।

श्री मनोहर कोठारी : जन सेवा आयोग कब तक सिलेक्शन करके भेज देगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आजकल सिलेक्शन हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

बूंदी जिले में प्रथम एवं द्वितीय योजना में निर्मित बांध

१३२५. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बूंदी जिले में कौन-कौन से नये बांध निर्माण हुए हैं ?

(२) उक्त बांधों के निर्माण प्रारम्भ होने तथा सम्पूर्ण होने की तारीखें देने की कृपा करेंगे ?

(३) उक्त बांधों के अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु व मध्यम सिंचाई योजना के तहत कितने नए बंधों का बूंदी जिले में निर्माण होना निश्चय हुआ है ? ऐसे आयोजित बांधों की सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयोजित बांधों में से अब तक कितनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सिंचाई मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बूंदी जिले में निम्नलिखित बांधों का निर्माण हुआ है।

१. गुढा बांध, २. बूंदी का गोठड़ा, ३. पाई बाला पुरा, ४. भीमलत, ५. पेच की बावड़ी, ६. तलवास।

(२) उनके निर्माण प्रारम्भ की तारीखें निम्न हैं।

नाम बांध	निर्माण प्रारम्भ तारीख
१. गुढा बांध	४-८-५३
२. बूंदी का गोठड़ा	३१-१२-५४
३. पाई बाला पुरा	१८-१-५४
४. भीमलत	३०-१२-५३
५. पेच की बावड़ी	८-२-५५
६. तलवास	१-६-५४

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बूंदी जिले में केवल गोकुलपुरा बांध बनाने की योजना बनाई गई है।

(४) अभी किसी का नहीं।

श्री सज्जनसिंह : आपने नम्बर तीन के उत्तर में किस बांध का नाम बताया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया गोकुलपुरा।

श्री सज्जनसिंह : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कन्स्ट्रक्शन शुरू हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बांध बनाने की योजना बनाई है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने फरमाया कि गुड़ा बांध १-८-५३ को कम्प्लीट हो गया था, लेकिन वाटर सप्लाई ५६ तक नहीं हुई।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको निर्माण की तारीख बतायी ४-८-५३।

श्री पी० के० चौधरी : कम्पलीट कब हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक दो दफा टूट गया। कम्प्लीट ही ५८ में जाकर हुआ है।

श्री सज्जनसिंह : चौथे प्रश्न के उत्तर में यह चाहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने बांधों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि किसी का भी नहीं।

श्री अध्यक्ष : कुमारी शन्नोदेवी।

तहसील पंचायत सुजानगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत चांडवास की शिकायत

१३२६. कुमारी शन्नोदेवी (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील पंचायत, सुजानगढ़ ने पंचायत विभाग से ग्राम पंचायत, चांडवास की कोई शिकायत की है ?

(२) यदि हां तो इन शिकायतों पर क्या निर्णय हुआ ?

उप मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

Page No.34

(श्री दौलतराम सारण)

(२) शिकायतें दो प्रकार की हैं। एक तो विभाग के आदेश के विपरीत ८१४ रुपये १० आने अपने पास रखे, जिस पर डिविजनल पंचायत अधिकारी बीकानेर को लिखा गया कि २५०) रु० से अधिक की राशि जो सरपंच ने नियम के विरुद्ध रखी उसका २) रु० सैंकड़ा प्रति माह की दर से व्याज वसूल किया जाय।

दूसरी शिकायत इस बात की थी कि तहसील पंचायत को विभागीय आदेशानुसार ग्राम पंचायत ५ प्रतिशत रकम अदा नहीं करती थी। इस पर डी० पी० ओ० बीकानेर को यह हिदायत की गई कि ५ प्रतिशत रकम पंचायत से तहसील पंचायत को फौरन दिलाई जाय।

कुमारी शन्नोदेवी : क्या यह रकम दिला दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : आदेश दे दिये गये हैं, रकम दिला दी गई या नहीं, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

गंभीरी बांध के पीछे नदी नालों में पानी बढ़ने से आवागमन में रुकावट

१२२७. **श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गम्भीरी बांध के पीछे किन-किन गांवों के समीप नदी नालों में पानी बढ़ने की वजह से आवागवन में रुकावट पैदा हुई है ?

(ख) उपरोक्त तकलीफ दूर करने के लिये सरकार ने अबतक क्या किया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सिंचाई मंत्री की अनुपस्थिति में) :

(क) सिर्फ केली, अरनियामाली व अरनोदा गांवों के पास नदी नालों में पानी भर जाने से कुछ दिक्कत हुई है जिसके लिये सर्वे होकर पुल व खुर्रे बनने के तखमीने मंजूरी के लिए विचाराधीन है।

(ख) सर्वे कराकर तखमीने बनाये गये।

श्री श्रीनिवास शारदा : यह तखमीना कबतक मन्जूर हे जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विचाराधीन है जल्दी ही मन्जूर हो जाना चाहिए, अर्थ की उपलब्धि पर है।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि लगभग तीन वर्ष से निरन्तर इसी प्रकार होता चला आ रहा है वहां पर इसके अभाव में सैकड़ों बीघा जमीन बेकार पड़ी हुई है लोगों को आवागमन में काफी तकलीफें उठानी पड़ती हैं फिर भी प्रश्न विचाराधीन ही है समझ में नहीं आता।

श्री दामोदरलाल व्यास : आवागमन में दिक्कतें जरूर हैं लेकिन यह बात नहीं है कि आजा नहीं सकते हों बरसात के दिनों में जरूर तकलीफ होती है। इस प्रकार की तकलीफ केवल वहीं होतो हो यह बात नहीं ऐसी बहुत सी जगहें हैं। जहां बरसात के दिनों में आने जाने में तकलीफ हो तीहै।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, सरकार की डिक्शनरी से आप विचाराधीन शब्द निकलवा दें तो बहुत अच्छा हो।

(प्रश्न काल में लिये जाने वाले प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. १२ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले मैं, माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ श्री फतेहसिंह ने दिनांक १७-१२-५८ से इस सत्र के अन्तिम दिन तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

विशेषाधिकार का प्रश्न। श्री श्रीमानसिंह।

६ दिसम्बर, १९५८ को दैनिक पत्र 'नवयुग' में प्रकाशित समाचार सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Mr. Speaker, Sir. Once again I rise in this House to perform my humble duty, to safeguard the ptivileges of this House, enjoyed by the Hon'ble members individually and collectively. Before I go on to make out a case against this Nav Yug daily of Jaipur, I would like to clear certain points which certain Hon'ble members may introduce into their arguments to confuse and cloud this issue. Because they may raise a hue and cry, a cloud about the freedom of Press or they be hypnotised or spell bound by the enshrined freedom of Press and try to make a case before this House wrongly and to misinform the House that my issue is in contradition of or comes in to conflict with Article 19 (1)(a) of the Constitution. I would like to assure this House that in no way this privilege issue conflicts with the freedom given in the Constitution to the citizens of this country or the Article 19 (1) (a) on which hinges the freedom of the Press. In whatever, light certain Hon'ble members may like to interpret this freedom, I would certainly say that the House for the moment is concerned only with the freedom of the Press to point any matter without any fear or without any fear of hindrance or interference from without or from within. Taking these things into consideration, I am invoking the powers of this House, the powers and privileges of this House, not agai nst truth, not against fair and just criticism, but against what I call and what I term an attitude that cannot be called a good standard of jour nalism. I am nvoking the powers not because Iwant to curtail freedom of press but to safeguard that freedom against misuse or against its abuse.

Before I proceed to explain, it is very relevant for this House to know whether this House possesses

(श्री श्रीमानसिंह)

the power to censure a certain paper regarding certain proceedings in the Legislature. For this purpose, we have to draw conclusions from or we have to follow the privileges enjoyed by the House of Commons and as Article 194 of the Constitution clearly says that if any House of the Legislature has not defined its privileges then it will be guided by the Privileges of the House of Commons. Since we have not yet defined our privileges we have to follow those privileges which are enjoyed by the House of Commons. The House of Commons has waived to a certain extent, its privilege of prohibiting the publication of its proceedings but it is very relevant for our members to see that those privileges have been waived because the Press in England follows the principles of just and fair reporting, of just and fair criticism. Only in these circumstances the House of Commons has waived this privilege. But here it is not a question or issue of publishing the proceedings of this House, But it is a question of an Editorial by this Naw Yug Daily with the heading "अनुचित" which I call as improper. If this paper wanted to put a case frame a case against certain members of this House coming from Bharatpur and Dholpur then it was the duty of this paper to report the correct proceedings of this House inorder to make out a case against them. But as regards the correct reporting, this paper did not report what the members from Bharatpur and Dholpur spoke in this House, on the Zamindari abolition Bill.

Suddenly one fine morning I saw a writing with the caption that the stand taken by the members from Bharatpur and Dholpur was wrong, was improper and improper becuse as he writes:—

"जमींदारी उत्सादन विधेयक पर जिस प्रकार का विरोध भरतपुर और धौलपुर के कांग्रेसी सदस्य द्वारा किया गया उससे उनके निहित स्वार्थों का स्पष्ट संकेत मिलता है।

Not only this Sir, but as I said that this Editor has thrown to the winds thegood standard of journalism, He had, I would call it the imprudence to cast aspersions on the members from Bharatpur and Dholpur who spoke on the Bill in the discharge of their duties as members of this Legislature. I wanted to Prove to the House that this lines shows that this Editor has not correctly and justly reported their stand, he has not reported what they explained, what they started in this House. Rather the editor has tried to mis report, to falsify their position. Then if the editor o any Hon'ble member raises a cry that this privilege issue undermines the freedom of the press, then I will ask that is it the freedom of the paper to mis-interpret Hon'ble members with a malafied intent ? Then it is my duty to consure such a press in the interest of the Members. After all we are responsible, we represent the people, we have opinion and those

(श्री श्रीमानसिंह)

opinions the paper can faithfully and truly represent to the public; then Sir, it is discharging its responsibility. If the Editor or any Hon'ble member is to put forward a claim on behalf of of the paper or on behalf of the editor as they have a right to do so, then I will draw the attention of the House to certain things.

The first thing is that rights have responsibilities also. How far this paper which wants to claim freedom of the press has exercised that responsibility, that judiciousness that restraint which is the mark of good journalism? How far it has been exercised by this paper?

श्री अध्यक्ष: Please be brief and come to the point.

श्री श्रीमानसिंह : I am coming to the point, Sir, because this issue is related to the relevant sections...

श्री अध्यक्ष : I knew, but at this stage a long debate of this nature is not consemplated by the rules. You are only to make a short statement and ask permission of the House to move the motion of privilege under rule 58.

श्री श्रीमानसिंह : If, supposing some Hon'ble. Members object, then, I will have a right to reply.

श्री अध्यक्ष : There would not be any debate. Even if the Hon'ble Members object, there would not be any debate, but I will ask how many members support your motion and if 15 members rise, the permission of the House will be given.

श्री श्रीमानसिंह : (जारी) I realies that the freedom of the press is essential for progress, for liberty and also for the success of our democracy. But the press has to function in co-ordination with and has to co operate with this legislature and fulfil its duties which it is supposed to carry out in the interest of the public. The responsibility of the press and the responsibility of this 'Navyuga' daily is that it should reflect, it should guide and it should mould the public opinion in a correct way in a correct manner. It is also the duty of this paper to correctly report speeches and proceedings and to justly and fairly criticise the stand of the members.

Why I have tabled this privilege motion against this paper is firstly that it has mis represented the stand taken by the Hon'ble Members from Bharatpur and Dholpur in the Editorial. It has not only mis-represented their stand. But it has imputed certain motives, motives of self-interest, and this is what I would call as very unjust and unfair criticism of Hon'ble Members who Spoke in this House to faithfully discharge their duties as representatives of the people. This paper has imputed motives and thus by imputing motives or by wrongly representing the Hon'lbe Members from

(श्री श्रीमानसिंह)

Bharatpur and Dholpur the House will agree with me that the paper has not done, has not performed its duties in the public interest or for the public good. Thus, if I come to the conclusion that with the heading 'अनुचित' the paper has tired to unjustly hurt the political reputation and the stand of Hon'ble Members and since it concerns individual members as members of this House, it is a breach of privilege of the whole House. In tabling this privilege motion I must say that I am not being unduly sensitive; I am not trying to claim the protection either as individual or as member; from just and fair criticism from the press, from the true reporting of the opinions which are expressed in this House. From this I do not claim any protection, but I certainly claim protection as an individual member of this House against unjust and malafide criticism, against criticism that distorts the stand of the Hon'ble Members, against a criticism that is wilfully distorted. Against this if I seek protection of this House and if I challenge the freedom of the press, then in that case Sir, you will agree with me that I am only performing the duty of safeguarding the Privileges of this House which are given under the constitution. I am only under the constitution. I am only performing my duty to safeguard democracy and to assure its success, and I am only performing my duty by requesting that editor to adopt good standards of journalism and I am performing this duty not only in my own individual interest, but in the interest of this legislature, and, in the interest of democracy and in the interest of the press itself and, above all, in the interest of public opinion, which this paper is supposed to reflect, mould and guide.

श्री अध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य को आपत्ति है इसमें ?

श्री हरिदेव जोशी : Yes, I oppose the move Sir.

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य इस पक्ष में हैं कि विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाय वे कृपया खड़े हो जायं ।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

(करतल-ध्वनि)

(श्री श्रीमानसिंह जी से) : Please make a motion in terms of Rule 59 that the question be referred to a committee of privileges.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Mr. Speaker, Sir. When once the leave has granted by you, it falls to the leader of the House to move this motion. Therefore, through you, Sir, I wanted to know whether the leader of the House wants to move it.........

एक माननीय सदस्य : On a point of order, Sir...

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Because once a motion is given permission by you, Sir, it becomes the duty of the leader of the House, he is not only the leader of the majority party but leader of the whole House; for smooth running of the Priveliges and of other healthy democratic conventions, I want to know whether the leader of the House will be willing to move this motion.

श्री अध्यक्ष (श्री मुख्य सचेतक, कांग्रेस पार्टी, की ओर अभिमुख होते हुए) आप बोलना चाहते हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर : लीडर ऑफ दी हाउस को मूव करना चाहिये । पर इसमें रूल नम्बर.......

श्री अध्यक्ष : वे तो पूछ रहे हैं कि लीडर ऑफ दी हाउस पेश करने को तैयार हैं या नहीं हैं ?

जो माननीय सदस्य ने कहा कि एक बार अनुमति मिल जाती है अध्यक्ष द्वारा या सदन द्वारा तो दो तरीके सदन के सामने होते हैं; एक तो यह होता है कि जो सदन के नेता हैं वे उस विशेषाधिकार का जो प्रश्न है, उसके बारे में जो प्रस्ताव हो, वह प्रस्तुत करें और अगर वे किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो वह माननीय सदस्य जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया है वे प्रस्तुत करें । जब एक दफा हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ का जो प्रश्न सदन के सामने है वह ऐसा है कि जिस पर विचार करना उचित है तो सामान्यत: यही उचित होना चाहिये था कि सदन के नेता ही उसको मूव करते, लेकिन ऐसे भी कारण हो सकते हैं कि जिनकी वजह से सदन के माननीय नेता उस प्रस्ताव को पेश न करना चाहें । वह शायद अपनी पार्टी को कमिट नहीं करना चाहते हों, उनकी जो स्थिति है उसको उस मोशन के पीछे नहीं रखना चाहते हों, उनके लिये कई कारण हो सकते हैं, यह तो उनके विचारने की बात है । लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सवाल है वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं और जहां तक मेरी जानकारी है वह इसे प्रस्तुत करने के लिए राजी भी नहीं हैं इसलिए रूल्स के अन्तर्गत केवल हमारे सामने यही बात रह जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir, अध्यक्ष महोदय मैं यह जानकारी चाहूंगा कि क्या सदन के माननीय नेता ने इस प्रकार का लिखकर दिया है कि वे इस प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहते हैं या किस प्रकार से यह सूचना मिली है कि वह इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखना चाहते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जो आपने फरमाया उससे ऐसा लगता है कि सदन के नेता को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उन्होंने आपको कोई सूचना भेजी हो । मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आप यह फरमायेंगे, कि आज के यह प्रश्न आने के बारे में, क्या सदन के माननीय नेता को सूचना दी गई थी ?

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता को इत्तला देने के तो दो तरीके हैं; एक तो हाउस में कल ही कह दिया गया था कि इस प्रश्न को कल लिया जायगा और दूसरे....

श्री हरिदेव जोशी : उस समय वह यहां नहीं थे ।

Page No.40

श्री अध्यक्ष : Does not matter. What happens in the House, every member is expected to know. दूसरा प्रश्न यह है कि इसकी प्रति हमने बहुत पहले सदन के नेता को भेज दी थी और दूसरा तरीका यह है कि वैसे तो सदन के माननीय नेता को सूचित रखना होता है अगर वह नहीं होस के तो चीफ व्हिप के द्वारा रखा जाना चाहिए यह बहुत वैले एस्टेब्लिशड प्रेक्टिश है कि the channel of communication with the leader of the House and of the majority party is the Chief Whip, और चीफ व्हिप महोदय, जैसी मेरी जानकारी है, इससे भलीभांति परिचित थे। अगर सदन के नेता इसके बारे में कुछ कहना चाहते तो हमें इत्तला भेज देते। इसको वैसे हमने औपचारिक रूप से उनको भेज दिया था और आपको इत्तला कर दी थी। मैं तो चाहता था कि इस पर बहस नहीं होती ....

श्री हरिदेव जोशी : On a point of explaination. Sir, जैसा आपने फरमाया है कि उनको सूचना थी कि कल यह प्रश्न लिया जाने वाला था, Am I wrong, Sir ?

श्री अध्यक्ष : I would not like to continue the debate.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I would like to say something, Sir. As your honour has observed the breach of privilege is not breach of the privilege of one member of the members of one or region, but of the whole Huose; because the sanction has been granted by your honour or by the whole Houee, and when once our consent has been given. It becomes the property of the whole House. So is becomes obligatory for the leader to move this motion, Sir. In the alternative we have kept another provision and that is only in the rules of this House. If we follow the practice in the House of Commons, once the House of Commons gives consent to the adoption of a motion of breach or privilege, that becomes the property of the whole House and the leader ceases to function as leader of the majority party. He functions leader of the whole House. But we have an alternative here that the member may also move it, in certain exigencies.

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह आब्लीगेटरी नहीं है कि माननीय सदन के नेता उसे मूव करें। जैसा आप स्वीकार भी करते हैं। अगर वह किसी कारण से नहीं रख सकते तो फिर माननीय सदस्य ही रख सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : But the rule is quite clear, Sir.

श्री अध्यक्ष : That is what I say. It is very clear, it is not incumbent.

एक माननीय सदस्य : The question of the leader does not arise because he is not present today.

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : I move that the issue of 'Navyuga' daily be referred to the committee of privileges.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषा-

(श्री अध्यक्ष)

धिकार के प्रश्न को प्रिविलेजेज कमेटी के सुपुर्द किया जाये ?

(स्वीकृत)

विशेषाधिकार का प्रश्न प्रिविलिजेज कमेटी के सुपुर्द किया गया ।

१२.३७ म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगों १६५८-५६ (प्रथम खंड पर मतदान)

मांग संख्या ४५ मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन

श्री नाथूराम मिर्धा : कृषिमंत्री माननीय अध्यक्ष में प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४५ स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४५ स्वीकार की गई

मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक २६ पुलिस

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक २६ पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अनुदान की अनुपूरक मांग पुलिस के सम्बन्ध में जो मांग माननीय मंत्री महोदय ने रखी है उसके सम्बन्ध में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव रखा है । अध्यक्ष महोदय, इस मांग के अन्तर्गत....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information, Sir. Yesterday while these grants were taken, I wanted to move my cut motion about State trading, but a hint was given to me by the Chair that I Should not insist on the cut motion, but we should speak on the Appropriation Bill. I do not understand why this discussion is now allowed on the cut motions. A hint was given to me...

श्री अध्यक्ष : You were wise enough to take the hint.

श्री पी० के० चौधरी : Yes Sir. So I will resquest that the debate should be on the Appropriation Bill and not on the cut motions.

श्री अध्यक्ष : But if the other Members do not take the hint ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है जो इन्होंने (श्री पी० के० चौधरी) कहा था कि सत्र जल्दी से ही खत्म करना चाहते थे और वह माननीय सदस्य जो यह कट मोशन मूव करना चाहते थे । उन्होंने कल ही यह चेयर से रूलिंग दी थी । तो दूसरों को तो बोलने का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मौका नहीं देना और खुद को बोलना उपयुक्त जंचता है । फिर आप विचार कर लें ।

श्री पी० के० चौधरी : He himself was on the Chair and he gave the hint. We accepted it and now we should not go back on it. The Hon'ble Member can speak on the Bill. He gave the ruling himself when he was on the Chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जारी) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई गई है उसके ऊपर थोड़ा सा निवेदन कर दूं । कल जिस समय डिमाण्ड्स ली गई थीं और डिमाण्ड्स जिस समय पेश की जा रही थीं । तो हाउस ५ बजने के बाद बैठ रहा था । उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और पुलिस की डिमाण्ड्स आई थीं । तो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि मैं बोलूंगा । इसलिए उसके आगे डिमाण्ड्स पेश ही नहीं की गई । अतः इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था कि वह डिमाण्ड के रूप में बोलना चाहते हैं। इसलिए डिमाण्ड को पेश नहीं करना चाहते । अगर उस समय वह सेन्स होता कि एप्रोप्रियेशन पर बोलेंगे और डिमाण्ड्स ऐसे ही पास कर देंगे तो कल ही दो मिनट और बैठकर सारी डिमाण्ड्स को पास कर देते । मगर माननीय तनसिंहजी ने कहा था कि मैं बोलना चाहता हूँ इसलिए इन डिमाण्ड्स को ऐसे ही पास न करके एप्रोप्रियेशन पर बोलने के राइट्स को वह एक्सरसाइज़ नहीं कराना चाहते थे । इसलिए कल सदन की कार्यवाही ५ मिनट बाद इसी स्टेज़ पर खत्म कर दी गई और फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं और आपका आदेश है तो मुझे आपत्ति नहीं है । सब डिमाण्ड्स के बाद एप्रोप्रियेशन बिल पर अपने विचार रख दूंगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ को स्वीकार किया गया ।

मांग संख्या ४८ मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा

श्री नाथूराम मिर्धा : यातायातमंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८ मुख्य शीर्षक ३८ चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि मांगसंख्या ४८ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४८ को स्वीकार किया गया ।

मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक ४० कृषि

श्री नाथूराम मिर्धा : कृषिमंत्री अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक ४०, कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५० को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

Page No.43

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या ५२ को स्वीकार किया गया।

मांग संख्या ५३ मुख्य शीर्षक ५४ दुर्भिक्ष

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक ५४ दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५३ को स्वीकार किया गया।

मांग संख्या ५४ मुख्य शीर्षक ५६ लेखन सामग्री तथा मुद्रण

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५६, लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००,००० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५४ को स्वीकार किया गया।

मांग संख्या ५५ मुख्य शीर्षक ५७ विविध

मांग संख्या ५५ मुख्य शीर्षक ५७ विविध

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५५ मुख्य शीर्षक ५७, विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,२२००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५५ को स्वीकार किया गया।

मांग संख्या ५७ शीर्षक ७२ औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ५७ मुख्य शीर्षक ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की और राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५७ को स्वीकार किया गया।

मांग संख्या ५८ मुख्य शीर्षक ८१ राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्य

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५८ शीर्षक ८१, राजस्व लेखे

Page No.44

अजोंपद् गतराग　　राजस्थान एप्रो प्रिपेशन नं. ३ बिल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संख्या ५८ को स्वीकार किया गया।

१२. ४३ म० प०

राजस्थान एप्रोप्रियेशन नं० ३ बिल, १९५८।

(पुरःस्थापित)

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं.......

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तरफ से मूव होना चाहिए। वैसे माननीय मंत्री महोदय इसको मूव कर सकते हैं। जब भी फाइनेन्स के मेटर्स सदन के अन्दर आते हैं, वे सदन में नहीं होते हैं और दूसरे कामों में लगे रहते हैं तो यह एक प्रकार से सदन को मानहानि है। उनको कई बार निवेदन किया गया कि जब फाइनेन्स के मेटर्स यहां हाउस में रखे जायं, तो माननीय वित्तमंत्रीजी उपस्थित हों। मैं समझता हूं कि उनकी अनुपस्थिति में हम अगर एप्रोप्रियेशन बिल पास कर दें तो यह किसी प्रकार से ठीक परम्परा नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उप-मंत्रीजी यहां हैं फाइनेन्स के।

श्री भैरोंसिंह : आप उनको कहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फाइनेन्स और फारेस्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन नं० ३ बिल, १९५८ को, पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियशन बिल जो अभी सदन में पुरःस्थापित किया गया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा.......

श्री अध्यक्ष : I think the Minister should move that it be taken into consideration.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन नं० ३ बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रियेशन बिल के अन्तर्गत जितनी भी अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत की गई हैं उनमें से बहुत सारे विषय अत्यन्त ही आपत्तिजनक हैं। गत दो दिन के वादविवाद में सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपने कटौती के प्रस्ताव रखे, उन प्रस्तावों के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान कई एक बातों की ओर आकर्षित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब शिक्षा की मांग पर सदन में बहस हो रही थी तो माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में विचार प्रकट किये। जनस्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में, और जलबोर्ड के बारे में, पानी की समस्या के बारे में, और कल ही सदन में कई माननीय सदस्यों ने इन्डस्ट्री और सप्लाई की डिमान्ड पर जब विचार हो रहा था। तब राज्य सरकार का ध्यान स्वदेशी कॉटन मिल को दिये गये ३० लाख रुपयों के अनियमित ऋण की ओर आकर्षित किया, और राज्य सरकार पर अनेकों आरोप लगाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उन सारी बातों के द्वारा सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस बात के बारे में कोई चिन्ता नहीं करता कि राजस्थान के अन्दर प्राइमरी एज्युकेशन के बारे में, सेकेन्ड्री एज्युकेशन के बारे में राज्य सरकार की नीति पर्याप्त प्रगतिशील नहीं है। मैं शायद इस बात से असन्तुष्ट नहीं होऊंगा कि राज्य में जितने प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिए उतने प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गये, जितने सेकेन्ड्री स्कूल खुलने चाहिए उतने सेकेन्ड्री स्कूल नहीं खोले गये। मैं इस बात की चिन्ता नहीं करता कि किसको ऋण देना चाहिए और वहां पर एक, दो लाख की छोटी-मोटी अनियमित्तताएं राज्य सरकार ने की हैं। माननीय अध्यक्ष, यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों के बारे में कई बार राज्य सरकार से गलतियां होना स्वाभाविक होता है, और इसके बारे में तर्क पेश हो सकता है। मैं उन सारे वाद विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष, मैं आज इस एप्रोप्रियेशन बिल के अन्दर जो डिमांड रखी गई है. उस डिमांड के बारे में सबसे ज्यादा चिन्तित हूं। वह डिमांड है, पुलिस के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें पुलिस की डिमान्ड के बारे में १,४६,०००) रु० की रकम मांगी गई है। वह १,४६,०००) रु० की रकम इसलिए नहीं मांगी गई है कि हमारे यहां राजस्थान के अन्दर पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह कम है. राजस्थान के अन्दर पुलिस कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता कम है, उनके पास ड्रेसेज नहीं है, उनके घरों की आर्थिक व्यवस्था खराब है। उनको पैसा देने के लिए राज्य सरकार को मनी की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि इस एप्रोप्रियेशन बिल में यह पुलिस डिमान्ड हमारे सामने आई है यह डिमान्ड ग्रान्ट के लिए हमारे सामने आई है जो कि इस एप्रोप्रियेशन बिल एक ब्लैक डाट हो सकता है, जो कि एक काला धब्बा हो सकता है। यह पुलिस की डिमान्ड के जरिये १,४६,०००) की रकम मांग रहे हैं वह पुलिस के भत्ते के लिए नहीं है, पुलिस की तनख्वाह के लिए नहीं है, पुलिस की महंगाई के लिए नहीं है, पुलिस कर्मचारियों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, १,४६,०००) रु० की रकम जो मांगी जा रही है, वह जयपुर में चलने वाले हाई कोर्ट आन्दोलन को दबाने के लिए, पुलिस कर्मचारियों के ट्रेवलिंग भत्ते के लिए है, पेट्रोल का जो खर्चा हुआ है, उनको जो रिफ्रेशमेंट अलाउन्स दिया गया है उसके लिए है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो डिमान्ड हमारे सामने आई है उसके लिए सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हुआ होगा, जो ३,४ महीने पहले के दृश्य उनकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आंखों के सामने आये होंगे, ५ जुलाई सन् ५८ को राजस्थान की राजधानी के नागरिकों के सामने और जयपुर के पूर्वी क्षेत्र के नागरिकों के सामने यह निर्णय दिया था कि जयपुर से हाईकोर्ट की बैंच को हटाकर जोधपुर लेजाया जा रहा है और जयपुर से रेवेन्यू बोर्ड आदि दूसरे महकमों को अजमेर ले जाया जा रहा है। मैं आपके सामने हाई कोर्ट की बैंच को यहां से हटाकर जोधपुर लेजाने के औचित्य और अनौचित्य के बारे में कह कर ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। हाई कोर्ट की बैंच जयपुर से हटाकर जोधपुर ले जाई गई, जोधपुर में एकत्रित हाई कोर्ट का निर्माण किया गया लेकिन किन कारणों से किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, और किन मोटिव्ज से किया गया। इसमें न जाकर, मैं एक बात कह देना आवश्यक समझता हूं और अपने एनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जयपुर से तत्काल हाई कोर्ट की बैंच हटाने और एकत्रित हाई कोर्ट करने का सवाल जुडिशियल डिस्क्रिशन के आधार पर नहीं था या जुडिशियल कंसीड्रेशन के आधार पर नहीं था बल्कि वह केवल पोलिटिकल कंसीड्रेशन के आधार पर था, और इसीलिये था कि लोगों में आपस में संघर्ष रहे। राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन जो फरवरी के अन्त में शुरू हुआ था, उस समय राज्य सरकार के विरूद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव आया था। उस अविश्वास के प्रस्ताव के कारण राज्य भर में राज्य सरकार के खिलाफ एक अविश्वास की लहर दौड़ रही थी और जनता के सामने सरकार के कई घोटाले के मामले थे। पानरवा कांड, नाथद्वारा कांड, भीलवाड़ा कांड आदि के कारनामे जनता के सामने थे और इन कांडों के कारण जनता के मन में सरकार के प्रति घृणा की भावना भरी हुई थी। राजस्थान की जनता समझती थी कि हिन्दुस्तान में कोई भ्रष्ट शासन हो सकता है। तो सारी लिस्ट में सीनियोरिटी के हिसाब से टौप करनेवाला कोई शासन होगा तो वह राजस्थान का शासन होगा। इस सब को शान्त कैसे करना चाहिये यह प्रश्न सरकार के सामने था। इसलिये जनता को आपस में लड़ाने के लिये हाई कोर्ट का सवाल खड़ा कर दिया गया। हाई कोर्ट की बैंच जयपुर से हटाकर जोधपुर ले जाई गई, किन परिस्थितियों में ले जाई गई, यह आपके सामने हैं। राजस्थान की जनता के प्रतिनिधियों की बातचीत मुख्य मंत्रीजी से हुई थी। इस बारे में तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि जयपुर से हाई कोर्ट की बैंच नही तोड़ी जायगी। मुख्य मंत्रीजी ने राव कमेटी के सामने कहा था कि यदि जयपुर से हाई-कोर्ट की बैंच तोड़ेंगे तो जयपुर की जनता इसके लिये आन्दोलन करेगी। ये बातें मुख्य मंत्रीजी के द्वारा राव कमेटी के सामने कही गई थीं। जो बात उन्होंने राव कमेटी के सामने कही थी उसके बाद ही जयपुर से हाई कोर्ट की बैंच तोड़ी जाय, पोलिटिकल कंसीड्रेशन की वजह से और उसके लिये जयपुर में आन्दोलन होता है, पूर्वी इलाकों में आन्दोलन होता है तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, कि राज्य सरकार जानती थी कि आन्दोलन होगा और मुख्य मंत्रीजी को पता था कि जयपुर की जनता इस प्रश्न को उठायेगी। जैसा कल एक मंत्रीजी ने कहा था कि जनता आन्दोलन करें, हम देख लेंगे......

श्री नाथूराम मिर्धा : ये अखबार वाले जो बातें छाप देते हैं। उसको आप सही मान लेते हैं। मैंने कहा था कि रिपोर्ट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

देख लें, आप अखबारों में पढ़ें उसको सही नहीं मानें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप आन्दोलन से घबराते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं घबराता नहीं हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) आन्दोलन से आप घबराते नहीं हैं जनता आन्दोलन करें किसी बात के लिये तो आपको उससे घबराने की आवश्यता नहीं है.......

श्री नाथूराम मिर्धा : जनता गलत आन्दोलन करे तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) जयपुर की जनता में इसके खिलाफ आन्दोलन हुआ । पुलिस के मनमाने अत्याचार आपकी मनोवृत्ति के द्योतक थे । जनता की आवाज पर आप नहीं झुकेंगे, जनता चाहे जैसा आन्दोलन चलाया करें आप तो नहीं झुकेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के डेमोक्रेसी के जमाने में यह बात नहीं चल सकती । इस तरह की भूमिक मनोवृत्ति प्राचीन स्टेट्स के जमाने में हुआ करती थी यह उससे भी घटिया दर्जे की मनोवृत्ति है । आज के युग में हम जब कहीं पर शान्ति के साथ आन्दोलन करते हैं, शान्त जलूस निकले, शान्ति के साथ जनता प्रदर्शन करे तब भी आप इस तरह की मनोवृत्ति रखें । जयपुर में क्या हुआ ? पहले भी यहां पर बड़े बड़े आन्दोलन हुए थे । तब राज्य सरकार कहती थी कि इसमें हिंसा हुई है । लेकिन इस आन्दोलन के बारे में हो सकता है कि गृह मंत्रीजी और यातायात मंत्री जी, गृह मंत्रीजी की अनुपस्थिति में इस तरह का तर्क रखें कि जनता ने पुलिस पर पत्थर फेंके । मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बताना चाहता हूं बाद में इसकी चर्चा करुंगा । लेकिन ५ जुलाई को जब हाई कोर्ट की बैंच यहां से हटाने का निर्णय लिया गया तब जयपुर के लोग शान्त जलूस निकाल कर सेक्रेटेरियट की ओर गये, शान्ति के साथ गये, उनका और कोई नारा नहीं था, मौन जलूस था, उसके बाद में सभाएं हुई, प्रदर्शन हुए, हड़ताल की गई और १३ जुलाई १९५८ को ५० हजार लोगों का जनसमूह मंत्रिमंडल से मिलने के लिये सीविल लाइन्स की ओर जा रहा था । मैं पूछना चाहता हूं यातायात मंत्रीजी से कि उन पर कौनसी विपत्ति आ रही थी कौनसी आफत आ रही थी और कौनसा आसमान या जमीन फटनेवाली थी कि उन्होंने उस जनसमूह से मिलने का साहस नहीं किया और रेलवे का फाटक बन्द कर दिया गया । रेलवे का चौकीदार चिल्लाता ही रह गया कि यह फाटक रेलवे का है आप इसको बन्द नहीं कर सकते लेकिन पुलिसवालों ने जबर्दस्ती से फाटक बन्द कर दिया और जब फाटक खुला तब क्या हुआ ? कोई भी दिलवाला व्यक्ति जिसके हृदय है, वह यह कहे बिना नहीं रहेगा कि किस बेदर्दी के साथ उस जलूस के साथ बर्ताव किया गया । उस जलूस के साथ में बड़े बड़े जिम्मेदार आदमी थे, एडवोकेट्स ऑफ हाई कोर्ट थे, यह रिक्शा चलाने वालों या मजदूरों या निम्नकोटि के लोगों का जलूस नहीं था, इसमें बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स ऑफ हाई कोर्ट्स थे जिनको आप भी वकील कहते हैं और हजारों रुपया उनको मेहनताने के देते हैं और उनमें से कइयों ने राजस्थान सरकार को हाई कोर्ट

Page No.48

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और सुप्रीम कोर्ट में जिताया होगा, ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे, शान्त नागरिक मौजूद थे, वे लोग शान्ति के साथ नारे लगाते हुए, मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से मिलने के लिये कूच कर रहे थे। लेकिन रेलवे फाटक पर रोक दिये गये, लेकिन जब फाटक खुला तब धड़-धड़ गोले चलने लगे, अश्रु गैस या टीयरगैस के गोले चलने लगे। १३ जुलाई की वह घटना राजस्थान के इतिहास में बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखी हुई घटना है। इसी दिन से राजस्थान में पुलिस राज्य आरम्भ हुआ। उसके बाद में शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा। जिस दिन पुलिस के अत्याचार नहीं हुए हों। दिनोंदिन पुलिस के अत्याचार बढ़ते गये, टीयर-गैस, १४४ धारा, लाठी चार्ज आदि इनडिस्क्रिमिनेटली होने लगीं। दिन में पुलिस की गाड़ियों में पुलिस के आदमी घूमने लगे और लोगों को, बच्चों को पकड़कर ले जाने लगे, दुकानों में घुसकर लोगों पर डंडा बरसाने लगे, घरों में घुस कर लोगों को पकड़कर ले जाने लगे। ये घटनाएं ऐसी थीं। जिनका विवेचन करना मेरे वश की बात नहीं है। हम लोग इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा करते थे कि पंजाब में जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। हमने पुस्तकों में पढ़ा था कि कांग्रेस के आज़ादी के जमाने में पंजाब में धारा १४४ लगाई गई और इस धारा को तोड़ने के लिये पंजाब में अमृतसर में जलियांवाले बाग में लोग एकत्रित हुए। तब उन शान्त नागरिकों पर किस प्रकार डायर और ओडायर ने कांग्रेस के सत्याग्रहियों पर, किस प्रकारके जुलम ढाये उन शान्त लोगों पर, गोलियां चलाकर उनको भून दिया गया था। मैं समझता हूँ यदि पंजाब के जलियांवाले कांड को लोगों ने देखा होगा और उन्हीं ने दूसरी ओर जयपुर के हाईकोर्ट आन्दोलन की घटनाएं उनके सामने घटित हुई होंगी तो वे लोग कहेंगे कि सौ जलियांवाले कांड भी उसके सामने कुछ नहीं थे। (शेम) इस प्रकार के अत्याचार उस समय हुए थे। सेन्ट्रल जेल में एक दिन १० बजे रात को १४० छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर लाया गया, उस समय हम अपने क्वार्टर में थे। वे लोग वहां पर चिल्लाने लगे, किसी ने सूचना दी कि छोटे छोटे मासूम बच्चे आये हैं। अध्यक्ष महोदय, हममें से एक व्यक्ति वहां पर गया और उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे लाये गये थे। उनमें से कोई पानी के लिये चिल्ला रहा था तो कोई रोटी के लिये चिल्ला रहा था और कोई चिल्ला रहा था कि मैं मां के पास जाऊंगा। मैं समझता हूँ इस तरह के नज़ारे को देख कर कोई भी व्यक्ति जिसके हृदय है आंसू बहाये बिना नहीं रहेगा। मैं निवेदन करूंगा कि उस सारे दृश्य को देखकर किसी का भी हृदय पसीजे बिना नहीं रहेगा जिसके दिल होगा। ऐसी एक

१ म० प०

नहीं अनेक घटनायें हुईं, जिनमें बच्चों को पकड़ लिया गया और पकड़ कर दौसा के थाने में सात दिन तक रखा। उनके मां बाप दौड़ते रहे। लेकिन पुलिस ने उन बच्चों को पकड़ लिया और दौसा के थाने में रखा और सात दिन के बाद छोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी पुलिस के थाने में जाकर पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर कोई जाकर पूछता कि मेरे लड़के को गिरफ्तार किया है? अगर कोई जाय और पूछे तो कह देते, बैठा दो इसको भी, लगा दो इसके जूते चार। उसको भी पकड़ लेते। ऐसे व्यक्तियों के लिए पानी नहीं है, खाना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं है, सोने का इन्तज़ाम नहीं है । इस प्रकार से नागरिकों का अपमान किया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय यातायात मन्त्री जी, जो इस समय मौजूद हैं, उनके पास एक ही दलील होगी और वह दलील है कि वे इन्स्टान्स के लिए कहेंगे । वे कहेंगे कि पुलिस के अत्याचार की बात कहते हो, लेकिन जनता के द्वारा भी पत्थर फैंके गये । पत्थर की बात मैं नहीं कहता, मैं समझता हूँ कि एक बात मैं कह सकता हूँ चाहे जनता ने पत्थर फैंके या नहीं और वह बात आर्ग्युमेंट के लिए कहता हूं । मान लीजिये कि जनता ने पत्थर फैंके, किसी व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिये तो कौन से कोड में लिखा हुआ है । कि पुलिस के अधिकारी भी पत्थर फैंके ? आप कहेंगे कि आप ये सारी बातें भाषणों में कह देते हैं, इनको साबित कैसे कर सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस की ज्यादतियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर की जनता द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई कि पुलिस की ज्यादतियों की जुडिशियल इन्क्वायरी करनी चाहिए । लेकिन राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया । इस पर जनता ने जुडिशियल इन्क्वायरी करने के लिए एक कमेटी बनाई, फेक्ट फाइडिंग कमेटी । उस कमेटी के अन्दर मैं नहीं था, उसमें कोई राजनैतिक दल नही था, कोई राजनैतिक कार्यकर्ता नहीं था । उस फेक्ट फाइडिग कमेटी मे थे श्री माधोप्रसाद गुप्ता, बी० ए०, एल० एल० बी० रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज एन्ड फोरमर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट । उसके दूसरे सदस्य थे, श्री ताराचन्द गंगवाल, एम० बी० बी० एस० । लखनऊ यूनिवर्सिटी, मेम्बर एन्ड रजिस्ट्रार ऑफ राजस्थान मेडीकल कौंसिल, मेम्बर ऑफ प्लानिंग एन्ड डवेलपमेंट बोर्ड, राजस्थान, मेम्बर ऑफ दी एग्ज़ीक्युटिव कमेटी ऑफ इन्डिया रेडक्रॉस सोसायटी राजस्थान ब्रान्च, विजिटर-मेन्टल हॉस्पीटल, जयपुर और तीसरे सदस्य थे श्री द्वारकालाल, जनरल मैनेज़र ऑफ बैंक ऑफ राजस्थान । अध्यक्ष महोदय, इन तीनों मेम्बरों की एक कमेटी बनाई और इस फेक्ट फाइडिंग कमेटी ने १६,२० अगस्त को एक प्रोसीज़र बनाया, रूल्स फ्रेम किये और एक पब्लिक नोटिस निकाला और सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया कि इस कमेटी को सब प्रकार का सहयोग देगी । सरकार यह बताये कि किन किन पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को चोटें आई हैं, कौन कौन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जनता के पत्थरों द्वारा आहत हुए हैं । उन लोगों की शहादत करवाई जाय, उनकी लिस्ट दी जाय, यह सूचना दी जाया इसके साथ जो एवीडेन्स लेड करना चाहते हैं, वह लेड की जाय । माननीय अध्यक्ष महोदय, फैक्ट फाइडिंग कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास है, उसकी प्रिन्टेड कॉपी है, मैं इसे सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हूँ । इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने इस कमेटी को कोई सहयोग नहीं दिया, इस फेक्ट फाइडिंग कमेटी के सामने इन्जर्ड पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची नहीं रखी, बावजूद इस बात के सरकार को नोटिस दिया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फेक्ट फाइडिंग कमेटी ने जो निर्णय दिया, उसके पहले एवीडेन्सेज़ हुई, ३५ आदमियों ने गवाही दी उनमें से २१ आदमी इन्जर्ड थे । पुलिस अधिकारियों की कोई सूचना नहीं, फेक्ट फाइडिंग कमेटी ने लेटर लिखे जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को कि अनेक मासूम बच्चों की जानकारी नहीं है । मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जेल के अन्दर जो इन्जर्ड पर्सन्स आये उनको डॉक्टर

Page No.50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ने अटेन्ड नहीं किया। मैं समझता हूं वह डॉक्टर नहीं, हैवान है। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। वहां ऐसे सैकड़ों व्यक्ति थे जिनके प्लास्टर चढ़े हुए थे और जो बाहर पड़े हुए थे, कुछ बेरक्स में पड़े हुए थे। जो ऐसे व्यक्ति थे, जिनको लाइफ इम्प्रीजनमेंट में रखा गया था, ऐसे चोर और डकैतों के साथ जेल में इन लोगों को रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं फैक्ट फाइडिंग कमेटी की रिपोर्ट के कुछ उदाहरण आपके सामने, सदन के सामने रखना चाहता हूं।

"Respectable persons have deposeg before us that the police entereg a number of private dwellings without warning on the bare suspieion of a stone having come from that side or some urchin having entered in alter perhaps throwing a stone at the police and that they mal-treated even the aged and the infirm, tried to enter the female apartments and abused the ladies, arrested some inmates of the house without any reason and gave them severe beating."

माननीय अध्यक्ष, जो लोग अपंग थे, जो अस्वस्थ थे, जहां महिलायें थीं, ऐसे घरों में घुसकर महिलाओं की लाज लूटने का प्रयास पुलिस कर्मचारियों ने किया, इससे उनको शर्म नहीं आई, आपने इसकी जुडिशियल इनक्वायरी नहीं कराई। जुडिशियल इनक्वायरी की बात दूसरी है, आपने १ लाख ४६ हजार का रिफ्रेशमेंट अलाउन्स उन पुलिस अधिकारियों के लिए रखा है, जिन्होंने लोगों के हाथ तोड़े, जिन्होंने लोगों के पैर तोड़े, उनको मारा काटा इससे उन लोगों का पेट नहीं भरा, उनके लिए आप कलेवा अलाउन्स, रिफ्रेशमेंट अलाउन्स चाहते हैं। क्या उनका इससे पेट नहीं भरा है, इसलिए आप उनको कलेवा कराना चाहते हैं? जो लोग खून पीते हैं लोगों के बाल नोचते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उससे उनका पेट नहीं भरा, उसको आप रिफ्रेशमेंट से भर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी के कनक्लूजन के बारे में मंत्री महोदय कोई इन्स्टान्स याद कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे एक इन्स्टान्स नहीं, २० इन्स्टान्सेज हैं कि पुलिस की ट्रक में पत्थर पकड़े गये। पुलिस ने लोगों के ऊपर पत्थर बरसाये। शायद मन्त्री महोदय को पता नहीं होगा कि इस प्रकार की एक ट्रक चांदपोल बाजार में पकड़ी गई। उस ट्रक में पुलिस के जवान थे, वह ट्रक पत्थरों से भरी हुई थी। वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी होगई, उस ट्रक को लोगों ने घेर लिया। उस समय श्री गोपेश्वर भट्ट मौजूद थे। माननीय, अध्यक्ष, मैं बिना फेक्ट की बात नहीं कहता। माननीय यातायात मन्त्री जो यहां बैठे हैं, जो विदाउट फैक्ट बात कहता हूं, वे कहते हैं कि चौपड़ जैसी बात कहते हो। सामने फेक्ट फाइडिंग कमेटी की रिपोर्ट है और उसको मैं सदन की मेज पर रखता हूं। उसकी एक कॉपी आपको नजर करता हूं उसको आप देख लें, इसे आप पढ़ लें। मेरे पास कुछ तस्वीरें पड़ी हैं। एक फोटो है, जिसमें श्री सुन्दरलाल त्रिवेदी, सुपरिन्टेंडेंट पुलिस कर्मचारी को पत्थर फैंकने के लिए कह रहे हैं। दूसरी में मानक चौक के अधिकारी लोगों पर पत्थर फैंक रहे हैं। ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं कि लोगों के मकान के बरामदे पर चढ़कर पुलिस वाले लोगो को ठोसा लगा रहे हैं। आप देखें कि पुलिस किस स्टेज पर आ गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

Page No.51

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप ह्यूमिनिटी का डिपार्टमेंट सम्भाल लीजिये, मानवता का पोर्टफोलियो सम्भाल लीजिये। आप फोरेस्ट मिनिस्टर हैं, जो अन्य डिपार्टमेंट हैं वे डिपार्टमेंट इन ह्यूमन डिपार्टमेंट हैं, जिनके दिल में दुःख दर्द नहीं होता। आप ह्यूमिनिटी का डिपार्टमेंट लेकर आयें तो आपको मालूम होगा। श्री गोपेश्वर भट्ट द्वारा सर्टिफाइड एक पेपर २५ जुलाई, १९५८ को दिया गया :

"A paper certified by Shri Gop eshwar Bhatt, Magistrate, Ist Class and dated 25th July, 1958 was presented which ran as follows:-

'The following constables were present in truck No. RJL. 5498 filled with stones- 2995' 1402, 2242, 1435, 1490, 2360. 6025, 9592, 1365, 237, 921 2356, 1091, 2395,

These constables were carried in this truck to the Chandpole Bazar and evidence has been led to say that frequetly constables came in trucks carrying stones and used them as miss iles at the unerreng crowds on the road and on the top of the houses..'

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह लैटर है जो श्री गोपेश्वर भट्ट द्वारा लिखा हुआ है, उनके इस पर दस्तखत हैं और इसमें लिखा है कि पुलिस की ट्रक में पत्थर थे और पुलिस कर्मचारी उस ट्रक में बैठे थे। मैं समझता हूं कि आज एवीडेन्सेज हैं कि पुलिस के लोगों ने जनता के ऊपर पत्थर फैंके। वे पत्थर ट्रक में लेकर आयें व जायें और इल्ज़ाम लगाये उस जनता के ऊपर कि लोग पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उसके जवाब में पत्थर फेंके। मैं आपसे पूछता हूं कि पुलिस के कौन से मेनुअल में लिखा है कि जनता पत्थर फेंके तो आप भी पत्थर फेंकदें अगर जनता पत्थर फेंकती ही तो आप टीअर गेस चला सकते हैं, लाठी चार्ज कर सकते हैं, आपको पत्थर फेंकने का कहीं अधिकार है। माननीय अध्यक्ष, इस रिपोर्ट का मैं लास्ट सेन्टेन्स, जो लास्ट में दिया है, माननीय मंत्री-जी को पढ़ कर सुना देता हूं। सम्भवतः यह आखरी डोज होगा और मानवता की कुछ केन्द्रबिन्दु किरण उनके हृदय में प्रस्फुटित होगी और शायद वे स्वीकार करेंगे कि पुलिस के बलेवे के लिए १ लाख, ४६ हजार की जो मांग की है, वह अनुचित है। माननीय अध्यक्ष, इसमें लिखा है........

"We consciously feel on the strength of the evidence tenderd before us that the police excesses and atrocities in the city of Jaipur far exceeded the black deeds of the Britsh Regime and it will not be any exaggeiation, if we make bold to say that such a gha tly scene was never before witnessed even in the Princely Jaipur. The merciless and indiscriminate beating of the innocent, unarmed, peaceful individuals cannot be too strongly condemned in democratic India. A free use of lathi and the tear gas on persons whether forming part of the crowed or not, whether inside the shop or on the top of the house, was the deplorable rule for days together."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस फैक्ट्स फाइंडिंग

(श्री सतीश चंद्र अग्रवाल)

कमेटी ने रिपोर्ट दी है, सरकार रिपोर्ट के आधार पर कह सकती है कि यह तो इकतरफा है पर कोई न्यायालय फैसला देता है। और कोई डिफेन्डेन्ट अपने बचाव के लिये नहीं आता है। तो उस न्यायालय का वह इकतरफा फैसला मान्य होता है। राज्य सरकार के दिल में यदि किंचितमात्र भी सच्चाई है तो जिन लोगों का फैक्ट्स फाईडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी, उनको डिसमिस करेगी, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी करायेगी और जिन लोगों ने जनता की भावनाओं को कुचला, जनता को अपमानित किया, उसके लिये उनको दण्ड देगी।

हमारी सरकार अशोक का नाम लेती है, अशोक चक्र का नाम लेती है, अपने आपको अशोक के आदर्शों पर चलने वाली सरकार कहती है, पर अशोक राजा था। कलिंग की लड़ाई में जो लोगों का बूचरिंग हुआ, कत्ले-आम हुआ था और उसका दृष्टिकोण उनके सामने आया तो अशोक ने प्रतिज्ञा की थी कि ऐसी लड़ाई, ऐसी विजय, जिस विजय के के अन्दर लोगों का खून बहता हो, माताएं विधवा हो जाती हैं, उनका सिन्दूर पूंछ जाता हो ऐसी विजय मैं नहीं चाहता। इतिहास शास्त्री है कि अशोक ने कहा था कि मैं ऐसी विजय नहीं चाहता, मैं कभी ऐसी विजय प्राप्त नहीं करूंगा जिसके द्वारा खून बहता हो, और उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी इस प्रकार की विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। तो क्या अशोक का नाम लेने वाली, अशोक के चिन्ह को अपना चिन्ह मानने वाली सरकार प्रतिज्ञा करेगी कि यह इस प्रकार की विजय उसके सामने है। उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगी? जनता के आन्दोलनों को दबाने की ख्वाहिश है वह अच्छी नहीं, यह मानवता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है और इससे हमारे देश में प्रजातन्त्र जो शिशु अवस्था में है, उसकी हत्या होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी जिसका काम चोर डाकुओं को पकड़ने का है, चोर डाकुओं को पकड़ने के बारे में उसने काम किया होता, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी के सिपाही बोर्डर पर काम आने चाहिये, बोर्डर पर जो तस्कर व्यापार होता है उसको रोकने के लिये काम में आने चाहिये, पर वे तस्कर व्यापार को नहीं रोक सकते, चोरियां हो जाती हैं, डाके पड़ जाते हैं उनको नहीं रोक सकते। वे यहां जौहरी बाज़ार में, त्रिपोलिया बाज़ार में, यहां के मासूम बच्चों के ऊपर लाठी चलाते हैं, इस प्रकार के भयंकर दृश्य आपके सामने हैं। मैं मन्त्री महोदय से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि किस प्रकार के अत्याचार होई कोर्ट आन्दोलन के बारे में हुए हैं, वह मानवीय व्यवहार नहीं है, इसको सभी माननीय सदस्य कन्डेम करें। मैं तो यह कहूंगा कि जिन मन्त्री महोदय का यह महकमा था उनके दिल में मानवता का अंश मात्र भी नहीं था। वे अपनी विजय पर खुशियां मनाते रहें, ऐसी विजय जिनको मिली है उन्हें, जिन क्षेत्रों को वे खुश करना चाहते थे, उन्हीं क्षेत्रों में काले झण्डे भी दिखाये जाते हैं। एक जगह की जनता को दूसरी जगह की जनता से लड़ाने की कोशिश की गई, जोधपुर और जयपुर को लड़ाने की कोशिश की गई, अजमेर और बीकानेर को लड़ाने की कोशिश की गई, जोधपुर के हीरो बनने की कोशिश की, जोधपुर के हीरो बन सकते थे, पर आज जोधपुर में जाते हैं तो आपका काले झण्डों

Page No.53

(श्री सतीस चन्द्र अग्रवाल)

से स्वागत होता है, क्योंकि जनता एक है, आपकी चालों को समझती है ।

इन्हीं शब्दों के साथ इस एप्रोप्रियेशन बिल के अन्दर डिमान्ड पेश की है, उसका विरोध करता हूँ ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान राजस्थान सरकार के इस पुलिस विभाग के बारे में आकृष्ट करना चाहता हूँ । माननीय अध्यक्ष, एक बार इस राजस्थान में यह बात बहुत जोरों से उड़ी थी कि हमारे यहां दिन आये डकैतियां होती हैं और चोरियां होती हैं, हमारे यहां शासन और न्याय की व्यवस्था, लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है । उस वक्त सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि हम इसे सफलतापूर्वक दबाने में समर्थ हुए हैं ।

आज एक और नई प्रवृत्ति हमारे देश में चालू हो गई वह है, तस्कर व्यापार की । आज हमारे देश में तस्कर व्यापार की प्रवृत्ति बड़े भयंकर रूप से प्रचलित हो गई है जिससे कि राष्ट्रीय आय की क्षति होती है, हमारे आर्थिक स्थिति पर उससे बुरा प्रभाव पड़ता है । ऐसे तस्कर व्यापारी होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं, वे देश के नुकसान का कोई ख्याल नहीं करते । इसको रोकना पुलिस का कर्तव्य था, इसको रोकने में पुलिस बिल्कुल बेकार और नाकामयाब सिद्ध हुई है । मैं इस सम्बन्ध के कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूँ । केवल यही बात नहीं है कि उन लोगों की गलती या असावधानी के कारण ऐसा हुआ है बल्कि मेरी तो यह निश्चित धारणा है, दृढ़ मान्यता है कि स्वयं पुलिस वाले इसमें भागीदार हुए हैं । एक साल भर के लिए भी उस बोर्डर के इलाके में कोई सुपरिन्टेन्डेन्ट, थानेदार या कोई अदना आदमी रह गया तो वह लाखों रुपया कमा कर घर जाता है । तो आपके द्वारा इस सरकार को जितना भी कोसना पड़े, इसमें मुझे संकोच नहीं होगा ।

हम यह भी अनुभव करते हैं कि हमने उन तथ्यों को लेकर सदन में रखा, मन्त्री महोदय के सामने रखा तो इसके विषय में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली जाती । अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना सदन में रखी थी, और उसके प्रमाण रखे थे, २,६४,००० रु० का सोना पुलिस अधिकारी हड़प कर गये थे । वह मामला मैंने सदन में रखा था । मन्त्री महोदय ने कहा था कि इन्क्वारी कराऊंगा, इतना महत्वपूर्ण मामला था या तो यह समझना चहिये कि हमारे कहने का कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । जो इतना महत्वपूर्ण मामला मैंने सदन में रखा उसका परिणाम यह हुआ, जांच क्या हुई, क्या नहीं हुई यह मुझे पता नहीं, पर जो पुलिस अधिकारी उस मामले में इन्वोल्व्ड थे, वे अभी वहीं स्थित हैं, वे ही उस केस की जांच कर रहे हैं । जो दो-दो तीन-तीन साल से वहां रह रहे हैं, तस्कर व्यापार की विधियों से पूर्णतः परिचित और उसमें सिद्धहस्त हो गये हैं, उनकी ट्रान्सफर करने का भी सरकार नहीं सोचती । तो हम समझते हैं कि हमारा सरकार के सामने तथ्यों को रखना बिल्कुल बेकार है और मन मसोस कर चुप रह जायं तो अच्छा है ।

अभी सदन के सामने एक मामला आया था । माननीय सदस्य के विषय में

(श्री तनसिंह)

तो मैं समझ नहीं पाता कि जिस दृष्टिकोण से इन मामलों को लिया जाता है, जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है, वह माननीय सदस्यों के लिये उपयुक्त नहीं माना जावेगा। या तो हम अपने आपको कोई बात कहने में सचेत रखें, यदि हम किसी बात को ठीक तरह से रखने में अपना कर्तव्य अदा करते हैं तो मन्त्री महोदय को हमारे प्रति शक करने का कोई कारण उपस्थित नहीं होता। जो लोग वहां रहते हैं, दो। दो तीन तीन वर्ष तक वहां रहते हैं, उन्हें इस कार्य में काफी मौका मिलता है, उन्हें वहां इतने अर्से तक न रख कर थोड़े समय के लिए रखना चाहिये। एक इस विशेष प्रश्न के सिलसिले में मैंने नीचे से लेकर ऊपर से ऊपर के अधिकारियों के दरवाजे खटखटाये और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सारा का सारा पुलिस विभाग इस घपले में शामिल था। मैं जहां गया, जिसके पास गया मुझे यही कहा गया कि इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा, मुझे बजाय प्रोत्साहित करने के निरुत्साहित किया गया। चाहिए तो यह था कि मुझे उत्साहित करते, पर जहां भी गया हूँ मुझे इसी तरह की बात मिली है। इसी प्रकार का परले दर्जे का भ्रष्टाचार राजस्थान में हो, और हम प्रजातन्त्र को पनपाना चाहें तो हम इसमें नाकामयाब होंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह का पुलिस का व्यवहार लोगों के साथ है, वह कहने लायक नहीं है। पुलिस के दिल में बदले की भावना बनी हुई है। वे लोग जो कल तक सुविधा सम्पन्न थे उनसे बदला लेने की भावना न केवल सरकार के दिमाग में ही है बल्कि पुलिस के अधिकारियों में भी वही बात है। एक पुलिस का थानेदार इन्वेस्टिगेशन किसी केस को करता है या एस डी. ओ. न्याय करता है तो उसके दिमाग में एक ही प्रकार की भावना रहती है कि किस प्रकार इस वर्ग के लोगों से बदला लिया जाय।

मैंने इस प्रकार के तथ्यों को माननीय मंत्री महोदय के सामने रखे, मगर मैं समझ नहीं सका कि उसका क्या नतीजा निकला। मैं यह अनुभव करके हैरान हूँ कि हम कहां तक अपने आपको सुरक्षित फील करें। एक आदमी बड़े पुलिस के अधिकारी की शिकायत करे, एम. एल. ए. के दृष्टिकोण से सुरक्षा हो सकती है। मगर माननीय मंत्रीगण भी एक एम. एल. ए. की हैसियत से देखते हैं और वे इससे सम्बन्धित होते हैं। हम यदि किसी एक व्यक्ति की शिकायत करके उससे दुश्मनी मोल लेते हैं और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है तो वह किसी न किसी प्रकार से हमको फंसाने की कोशिश करता है। उसके आदमी चोरी के सोने का एक आध टुकड़ा हमारे यहां डाल कर हमारे यहां से बरामद करवा सकता है और यह कह सकता है कि सोने का व्यापार करते हैं। इस प्रकार हथकड़ी डालकर फंसा सकते हैं। व्यापार तो वे करते हैं लेकिन सोने का टुकड़ा डालकर फंसा कर कह सकते हैं कि व्यापार खुद करते हैं और वे आज रंगे हाथ पकड़े गये। यह सारी बातें पुलिस के पास रहती है। मगर जिस समय दूसरी जगहों की पुलिस को देखते हैं और उनके साइन्टिफिक तरीकों को देखते हैं तो हैरान रहते हैं। मोरनी जब अपने पैरों की तरफ देखती है तो उसके आंसू आ जाते हैं। हमें भी इस प्रकार की कार्यवाहियों को देख कर बहुत दुःख होता है। मगर इस विषय में माननीय मंत्री महोदय क्या करते हैं, यह कुछ

Page No.55

(श्री तनसिंह)

मालूम नहीं है। लेकिन मैं जहां तक सोचता हूँ, कहूँगा कि उनके सामने एक बात रहती है कि किसी तरह से अपने स्टेटस को बनाये रखें और जो कुछ भी जो कोई पुलिस के खिलाफ कहे उसको वे मानते हैं कि गलत है। मगर जब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, मैं कहूँगा कि पुलिस में जो भ्रष्टाचार चल रहा है कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि इसके लिये सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर हमारे यहां सहयोग और असहयोग बराबर रहता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यातायात के विषय में १,४६,००० रु० के बारे में कहा है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना आपकी इजाजत से चाहता हूं। मेरा यह निवेदन है कि जैसा उन्होंने सारा चित्र सामने खींच कर यहां, एसेम्बली के सामने उपस्थित किया है उसके लिये मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि १ लाख, ४६ हजार रु० का यातायात के लिये ....

एक माननीय सदस्य : यातायात के लिये या पुलिस के लिए ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पुलिस के लिए तो है, मगर यातायात के लिए भी तो है। तो मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि कभी भी इस रकम को मंजूर नहीं किया जावे। यह अत्याचार के काम में आई है, कभी नहीं मिलनी चाहिये, और जिन लोगों ने और जिस पद्धति ने और विचारधारा ने इस प्रकार का काम किया है उन पर यह रकम थोपी जानी चाहिये। यहां राजस्थान के इतिहास में ऐसे मौके आये होंगे जहां अत्याचार को दमन करने की जरूरत हुई होगी। लेकिन इस प्रकार का हिसाब रहा है तो इसके लिये जरूर इस पर विचार करके ऐसी मंजूरी देनी चाहिये। देखा जावे तो इस स्टेन्डर्ड की डेमोक्रेसी को ऑफिसर्स ने काफी गिरा दिया है और यहां तक कि पूर्वी राजस्थान में जितने भी लोग हैं उनको इतना बड़ा अफसोस है, इसके लिये मैं तो यह जरूर निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार जयपुर में अत्याचार हुआ है उसको देखते हुए, जिन लोगों के सामने हमने वायदे किये थे, और वायदे करके जनता से वोट लिये थे, और लेने की चेष्टा की उन पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ, तो प्रत्येक ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए जो चेष्टा करेंगे तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक भी वोट पूर्वी राजस्थान के लोग इस प्रकार की शक्ति के कदम उठाने वालों को दे दें, तो मैं चैलेन्ज कर सकता हूं कि वे नहीं देंगे। मैं यह भी कहता हूं कि दो-ढाई साल के बाद आप देख लें कि क्या हो सकता है। मेरा तो यही निवेदन है कि इस महाराज सवाई जयसिंहजी के बनाये हुए इस राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर अगर ऐसी मंजूरियां दी जावेगी, और ऐसे काले कर्त्तव्यों को करने के लिये उनके एवजाने में गला घोटने के बदले में मंजूरी दी जावेगी, तो मेरे विचार में यह अत्यन्त विचारणीय प्रश्न रहेगा।

मैं इस विषय के अन्दर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि यह एक गम्भीर विषय है, और इसमें बहुत ही वाद-विवाद हो सकता है कि यह उचित था या नहीं था कि यहां पर हाईकोर्ट को रखा जावे। यह चीज दूसरी है लेकिन जिस प्रकार से आन्दोलन का दमन

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

किया गया और जिसका चित्र आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष मौजूद है, उसके लिये राजस्थान की सरकार को चाहिये था कि इस पर विचार करती और डेमोक्रेसी के राज्य में इस प्रकार के प्रश्न को नहीं लाती और यह रकम दूसरे तरीकों से चुप चाप दूसरे बजट से या और किसी तरीकों से व्यय करती तो ज्यादा ठीक होता। यहां पर इस जगह और एसेम्बली के रंग मंच पर इस पवित्र रंग मंच पर जहां पर लोग १॥ करोड़ से ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके सामने न लाती। यहां पर वे इन विचारधाराओं को और भावों को यहां लाते हैं इस प्रकार से जैसे कलेवे और दोपहरी के लिये या रिफ्रेशमेंट के लिए कोई बजट पेश होता है। यह जरूर गौर किये जाने के काबिल है। इस विषय में काफी कहा गया है, इसलिये मैं इतना ही कहना उचित समझता हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, यह जो एक लाख ४६ हज़ार की मांग माननीय गृह मंत्री राजस्थान सरकार से लेना चाहते हैं और उसका विषय यह है, वे इसलिये लेना चाहते हैं कि हाईकोर्ट जयपुर से हटाने के लिए जो पुलिस बाहर से बुलाकर दमन किया गया। उनको रसगुल्ले खिलाये और कई-कई चीजें खिलाई उसके लिये खर्चे हुए, उसके लिये ली जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि यह ट्रबल किसने क्रीएट की और इस धनराशि की क्यों जरूरत पड़ी। मैं यह कहूंगा कि यह ट्रबल राजस्थान सरकार खुद ने क्रीएट की और इस धनराशि को खर्च करने के लिए आपत्ति उठाई है। वरना सारे हिन्दुस्तान में हाईकोर्ट की ब्रांचेज कायम है तो फिर राजस्थान से ही क्यों हटाई गई। जबकि ऑल इण्डिया लॉ कमिशन की रिपोर्ट पेश हो जाती और वहां से कोई निर्णय हो जाता कि हाईकोर्ट की ब्रांच कोई यहां नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूं कि कोई आन्दोलन का समय नहीं आता क्योंकि राजस्थान सरकार यह चाहती है कि हम तो ऐसा करें। हमने पहले ही इस बारे में प्रश्न भी किया था हाईकोर्ट के मसले के बारे में। चीफ मिनिस्टर ने उत्तर दिया था कि हमने पन्त साहब से परामर्श करके इसको हटाया।

तो मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपके द्वारा गृह मंत्रीजी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज राजस्थान के इतने मंत्रीगण हैं वे इतने कमजोर हो गये कि क्या पंतजी से जाकर अर्ज नहीं करते कि सब जगह भारतवर्ष में हाईकोर्ट की बैंचे मौजूद हैं तो हमारे यहां से क्यों बैंच को हटाये ? नहीं, लेकिन 'जो हुक्म सरकार का,'

(हंसी)

उनको तो यह काम रह गया है। कम से कम राजस्थान के एक एक लाख आदमियों के वोट लेकर आये हैं और उन्हीं की बदौलत मिनिस्टर बने हैं तो उनका तो जरा ख्याल रखो।

१.३१ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

हाईकोर्ट की बैंच न हटाने के लिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन किया, यह तो स्वाभाविक है और होना चाहिये। लेकिन सरकार की तो यह पद्धति होगई है कि यदि जरा सा

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

कोई बोलता है तो गला घोटती है, शान्तिपूर्वक आन्दोलन करते हैं तो उसका दमन करते हैं। मैं आपको पहले की बात बताऊं जब मिर्जा इस्माइल यहां मौजूद थे तो उस समय स्कूल्स के स्टूडेन्ट्स ने आन्दोलन किया था। तो उनका एटीट्युड यह था कि मिर्जा खुद मोटर में बैठ कर उन सबके बीच में जाकर खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहा कि बोलो आपकी क्या मांगे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कौन से सन् और संवत् का जिक्र है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब मिर्जा यहां प्राइममिनिस्टर थे।

(हंसी)

सन् ४१, ४२, ४५ की हो सकती है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : जिसमें आप स्वयम् उपस्थित नहीं थे उसका वर्णन न कीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह अर्ज करता हूं कि हाईकोर्ट के विषय में जब यह आन्दोलन चला था तो सरकार को, मंत्रियों को उनको जाकर समझाना चाहिये था, उनसे पूछना चाहिये था न कि जैसा कि जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने वर्णन किया, मैं तो कहता हूँ कि यदि माननीय उपाध्यक्ष यहां होते भी तो आपको भी करुणा आ जाती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस सम्बन्ध में कई बार चेतावनी सदन को दी है और पुनः आपको चेतावनी देता हूं कि आपका भाषण हो तो आसन के सम्बन्ध में कोई संकेत न करें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं माफी चाहता हूं।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष, जयपुर में वकीलों ने, प्रजा ने हाईकोर्ट की बैंच को न हटाये जाने के बारे में आन्दोलन किया। उसमें से जो लोग जयपुर के थे उन्होंने सरकार से आकर अर्ज किया। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी, उसके बजाय पुलिस से दमन कराके, बैंच को हटाया, यह अनुचित है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। यह मांग चाही जाती है, मैं तो कहता हूं कि यदि इस कार्य के लिए और भी ऐसी मांग आये तो देना नहीं चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष...

(श्री भैरोंसिंहजी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलालजी मोदी, माननीय श्री भैरोंसिंहजी।

श्री भैरोंसिंह : किसको चान्स दें ?

श्री उपाध्यक्ष : वे (श्री मुक्तिलाल जी से) स्वयम् समझ गये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस सदन के विचार सुनने के लिये माननीय गृह मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। आज कई दिनों के बाद हमें यह अवसर मिला है कि राजस्थान पुलिस विभाग के सम्बन्ध में जो मांगे प्रस्तुत की गई हैं उसके द्वारा राज-

Page No.58

(श्री भैरोंसिंह)

स्थान में पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियों का जिक्र सदन में किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजस्थान पुलिस को जन सुरक्षा विभाग कहा जाता है। उसके साथ साथ राजस्थान के हर पुलिस स्टेशन के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि "एनी सर्विस फोर मी" उसके आगे क्वश्चन मार्क है ? जिससे कुछ ऐसा लगता है कि सरकार ने जो अपना मोटो बनाया है "एनी सर्विस फोर मी" उसमें भी सरकार को सन्देह है। वह क्वश्चन मार्क इस बात की ओर संकेत करता है कि हम सर्विस करते हैं वह सर्विस किसी भी प्रकार की हो सकती है। हमारी सर्विस से जनता की सुरक्षा भी हो सकती है और हमारी सर्विस से जनता को हरेसमेन्ट भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : तर्क की बड़ी बारीकी है यह।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यही तो आर्ट है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति के अन्दर, मैं समझता हूं, इन दोनों बातों को सामने रख कर यदि "मे आई हेल्प यू" या "एनी सर्विस फोर मी" इन दोनों शब्दों के ऊपर विवेचन किया जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग का पूरा चित्र हमारे सामने आ जायगा।

हाईकोर्ट एजीटेशन को लेकर हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि राजस्थान पुलिस फोर्स को हाईकोर्ट एजीटेशन को दबाने के लिए जयपुर में तथा जयपुर के बाहर जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता महसूस हुई उन स्थानों के ऊपर किसी प्रकार से इस आन्दोलन को दबाये और आन्दोलन के सम्बन्ध में जिन पुलिस ऑफिशियल्स को समय से ज्यादा ड्यूटी पर रहना पड़ा है या उनको खाना खाने का अवसर नहीं मिला उस स्थिति में हमारी राज्य सरकार ने इस प्रकार रिफ्रेशमेन्ट का प्रोविजन रखा। जहां तक इस बात का प्रश्न आता है कि हमें पुलिस कॉन्स्टेबुलिरी को सुविधायें प्रदान करना है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य इस बात का विरोध नहीं कर सकता। कि राजस्थान की कॉन्स्टेटबुलिरी को, जिसको हम कम तनख्वाह देते हैं, जिसको हम अलॉउन्स नहीं देते हैं, अलॉउन्स देते हैं तो वह कम है, जो उनकी दिन-चर्या का खर्चा है, दैनिक खर्चा है, उसको मीट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि इस प्रकार की कॉन्स्टेबुलरी को रिफ्रेशमेंट की सहायता दे दी जाय तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन प्रश्न एक आता है कि यह रिफ्रेशमेंट का प्रोविजन रखा है वह सरकार ने अपनी इच्छा से रखा था या कॉन्स्टेबुलिरी ने सरकार को इसके लिए मजबूर कर दिया था जिसके कारण यह प्रश्न पैदा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, जिन दिनों जयपुर एजीटेशन चल रहा था मैंने स्वयम् ने कई बार इस बात को आंखों से देखा है कि इस पुलिस कॉन्स्टेबुलरी में एक तरफ गजेटेड ऑफिसर्स थे और एक तरफ नोन गजेटेड ऑफिसर्स थे। आन्दोलन में जहां सक्रिय रूप से काम करने का प्रश्न आता है मैंने अच्छी तरह से देखा था कि बड़े-बड़े अफसर पहले इस बात की चिन्ता करते थे कि यदि मोब की तरफ से कोई पत्थर आता है, एक्यूजेज आती है, तो बड़े अफसर बच जाते थे और छोटे-छोटे कर्म-

(श्री भैरोंसिंह)

चारियों को आगे कर दिया जाता था, मोब की तरफ से कोई कार्यवाही हुई तो उसका परिणाम छोटे भुगतते थे और बड़े खड़े-खड़े देखा करते थे। मुझे एक दिन का वह दृश्य याद है चांदपोल बाजार में जिस समय पुलिस कॉन्स्टेबुल्स एक मोब के सामने खड़े हुए थे, पुलिस भी पत्थर फेंक रही थी, और मैं समझता हूं कि पुलिस सी. आई. डी. विभाग के भी मोब में शामिल थे और वे भी पब्लिक के मुकाबले में, पब्लिक को प्रोवोक करने के लिए पत्थर फेंक रहे थे पत्थर के आदान-प्रदान में कुछ पुलिस कॉन्स्टेबुल्स को चोटें आई। पत्थरों के इस आदान-प्रदान में, जबकि पुलिस भी पत्थर फेंक रही थी, और पब्लिक भी पत्थर फेंक रही थी, मोब फियुरियस हो गया था और उसके कारण एक संघर्ष की स्थिति बनी।

उस समय चाहिये तो यह था कि जितने भी सरकारी अफसर थे वे उस स्थान पर खड़े रहते। लेकिन यह देखकर अफसोस हुआ कि जिस समय इस प्रकार की स्थिति बनी ये सारे अफसर गाडियों में बैठकर भाग गये और पुलिस कॉन्स्टेबुलरी के चार सिपाहियों को उसी स्थान पर छोड़ दिया। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि उस प्रकार के वातावरण में उन लोगों को चोटें आयी। राजस्थान पुलिस के अधिकारी यह चाहते नहीं कि जिन कर्मचारियों के चोटें लगी उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाय। जब यह मामला पुलिस हैड़ कॉन्स्टेबुलरी में पहुंचा, सरकार के बड़े अधिकारियों ने इस प्रकार का रवैया अपनाया तो पुलिस हैडक्वार्टर में रहने वालों में एक आन्दोलन मच गया और उन्होंने यह तय किया कि जब तक वे अपनी आंखों से उन कान्स्टेबिल्स की हालत को न देखल खाना नहीं खायेंगे और इस तरह से एक टाइम खाना भी नहीं खाया। इस पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी तकलीफें रखीं, हम भूखों मरते हैं, पुलिस अधिकारियों का बर्ताव हमारे साथ अच्छा नहीं, हमारे से जनता पर पत्थर फिंकवाते हैं, जनता से लड़ने के लिये मजबूर किया जाता है, जनता से संघर्ष किया जाय, इस बात की प्रेरणा करते हैं। इस पर हुआ क्या कि उनको कहा गया कि तुम्हें रिफ्रेशमेन्ट का अलाउन्स दिया जायगा। डेढ रुपये की सहायता मिलती है तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। उसके बाद की स्थिति यह हुई पुलिस कॉन्स्टेबिल्स पर भी हमारी सरकार ने विश्वास नहीं किया और यह किया कि राजस्थान पुलिस हैड-क्वार्टर में जितने भी जयपुर क्षेत्र के सिपाही थे उनके अलावा जोधपुर आर० ए० सी० को बुलाया गया और उसमें भी यह प्रयत्न किया गया कि ज्यादा आदमी जोधपुर की तरफ के रहने वाले हों ताकि यह जो आन्दोलन चल रहा है उसको वे अपने स्वत: की प्रेरणा से ही दबा दें। इस प्रकार के लोगों को इकट्टा किया जाकर उनसे जयपुर की पब्लिक को पिटवाया गया। इस सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने सारी बातें सदन के सामने प्रस्तुत की। इससे यहां की कान्स्टेबुलरी में फिर से रोष भड़का और रोष इतना भड़का कि सरकार को इस बात की आशंका हो गई कि अगर पुलिस के कॉन्स्टेबिल्स की तनख्वायें नहीं बढ़ाई गई या सुविधायें प्रदान नहीं की गई तो हो सकता है राजस्थान के पुलिस कॉन्स्टेबिल्स सरकार के खिलाफ बगावत कर दें। यह हमारा सौभाग्य है कि उस समय इस प्रकार की स्थिति नहीं हुई। यह चाहे,

(श्रीभैरोंसिंह)

राजस्थान सरकार के प्रलोभन से हुआ हो या दबाव के कारण हुआ हो, यह मैं नहीं कह सकता किन्तु इसमें सरकार सफल हुई पुलिस के कर्मचारियों में विभाजन करवाकर। पुलिस कॉन्स्टेबिल्स तो एक तरफ ऑफिसर्स वरसेज रेस्ट दूसरी तरफ। इस तरह से हमारी सरकार इस मामले में सफल हुई हाई कोर्ट के आन्दोलन को दबाने में।

अब प्रश्न यह आता है कि राजस्थान की कॉन्स्टेबिलरी अगर इन सारी बातों को लेकर हमारी सरकार के सामने मांग करे, कि हमारी तनख्वाह कम है और यह कह दे कि अजमेर से जितने भी कॉन्स्टेबिल्स आये हैं उनके मुकाबले हमें कम एमिनिटीज मिलती हैं तो राज्य सरकार सुनने वाली नहीं और यह भी कह दे कि हमारा रोजमर्रा का खर्चा जो आजकल गेहूँ का भाव ३५ रुपया मन है उसके कारण नहीं चल सकता हम अपना पेट इतने अल्प वेतन में भर नहीं सकते इसलिये हमारी महंगाई बढ़ायी जाय तो कहा जाता है कि हम महंगाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इतनी बात होने के बावजूद जब कि हाई-कोर्ट आन्दोलन को कुचलने में सरकार सफल हुई वहां अब यह कोशिश की जा रही है, डंडे के बल पर सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की मांगों को दबाने की चेष्टा कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी आपने सुना होगा इसी महीने की चार तारीख को पुलिस मीट का एक कार्यक्रम रखा गया था, एक तरफ तो राजस्थान सरकार पुलिस कॉन्स्टेबिल्स की मांगों को लेकर चिढ़ सी गई थी उसके चिढ़ने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस बारे में आंकड़े प्रस्तुत करूं तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पुलिस के इन सिपाहियों की मांग को दबाने के लिये ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपके वक्तव्य का बहुतांश इस बिल से संबन्धित नहीं है, इसलिये मैं चाहूंगा कि आप अपने वक्तव्य में कुछ रिलीवेन्सी रक्खें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल से बिल्कुल संबन्धित है अगर आप यह समझें कि यह नहीं है तो मुझे आप आदेश दें कि मैं नहीं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण इस इस बिल के स्कोप से दूर जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : दूर गया नहीं हूं बिल्कुल नजदीक ही हूं। इस पर भी उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश है तो मैं मानने को तैयार हूं। अब मैं आपको दुबारा इस प्रकार का आदेश न देना पड़े, इसकी चेष्टा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने के दौरान में आपको दूर और नजदीक का ध्यान नहीं रहता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा नहीं बोलता जिसमें मुझे यह भी ज्ञान न रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, उन परिस्थितियों का जिक्र कर रहा हूं जिन परिस्थितियों में आपको रिफ्रेशमेन्ट का अलाउन्स मन्जूर करना पड़ा। मैं निवेदन यह कर रहा था कि पुलिस के कर्मचारियों की मांगों को दबाने के लिये राजस्थान के आठ कॉन्स्टेबिल्स के खिलाफ मुकदमे बनाये गये, २० आदमियों को मोअत्तिल किया गया, १० आदमियों को डिसचार्ज किया

(श्री भैरोंसिंह)

गया और ४४१ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रॉन्सफर किया गया। इसके बावजूद उपाध्यक्ष महोदय, जब यह मांगें बढ़ने लगी तो यहां कॉन्स्टेबिल्स ने यह विचार किया कि हमारी सरकार जो पुलिस मीट का आयोजन कर रही हैं वहां पुलिस मीट के सम्बन्ध में राजस्थान के ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर के भी लोग इकट्ठे होंगे, उस समय एक दूसरे से विचार विमर्श का अच्छा मौका मिलेगा, एक दूसरे की स्थिति का पता चलेगा लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्स्टेबिल्स को उनसे मिलने से इन्कार किया गया, बाहर के पुलिस के जवानों से उनको मिलने नहीं दिया गया लेकिन पुलिस मीट का कार्यक्रम शुरू हुआ, पुलिस मीट का इसमें प्रोविज़न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ज्यादा हिअर-से की बातें कह रहे :—

The debate is containing heresay portins.

श्री भैरोंसिंह : हिअर से की बातें नहीं कह रहा हूँ आंखों से देखी हुई बातें कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: Even the mental process of the Constables.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, जब कॉन्स्टेबिल्स ने उनसे मिलने का विचार किया ताकि वे बाहर के पुलिस कर्मचारियों की स्थिति से परिचित हो जाय तो यह हमारी सरकार को अच्छा नहीं लगा। तो उस समय पुलिस कर्मचारी संघ के तथा-कथित इन्चार्ज श्री जीवराजसिंह, जिस पुलिस-मीट के अन्दर इतना खर्चा लगा, वहां उस दिन वे पुलिस लाइन के सामने खड़े हो गये और केवल इसलिये कि पुलिस लाइन में जो पुलिस मीट का आयोजन किया जा रहा है वे भी लाभ उठायें लेकिन उनको रोका गया। रोकने के बाद वे पुलिस हैडक्वार्टर में जा नहीं सकें और उनको यह आज्ञा प्रदान की गई इसके बावजूद भी उन्होंने इनसीस्टकिया कि मैं पुलिस कर्मचारी हूँ मुझे पुलिस हैडक्वार्टर में जाने का हक है। तो ऐसी सुरत देखकर डीवाई. एस० पी० ने उनको मोटर में बिठाया और यह कहा कि तुम्हें कोतवाली में डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बुलाते हैं। जब वे कोतवाली पहुँचे तो उस हैड कॉन्सटेबिल को जंगले मे रख दिया गया, वहां न डी. आई. जी थे न और कोई बात। जंगले में रखने के बाद जब उसने यह कहा कि गिरफ्तार क्यों किया गया, मेरी क्या मिस्टेक थी, बताई जाय। इस पर दूसरे दिन चालान पेश किया जाता है उसमें लिखा गया कि इस मुलज़िम ने यानि जीवराजसिंह ने पुलिस लाइन के श्री रामनाथ ब्रिगेड जमादार को पुलिस कर्मचारी संघ का सदस्य बनाना चाहता था लेकिन उसने सदस्य बनने से इन्कार कर दिया जिस पर उसको जान से मारने की धमकी दी इस तरह से पुलिस ब्रिगेड के जमादार की जान को श्री जीवराज-सिंह की तरफ से खतरा था इसलिये उसकी गिरफ्तारी वाजिब है। जब उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, अदालत ने परसों ही उस व्यक्ति को बरी कर दिया है। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें राजस्थान में होती हैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस राजस्थान के अन्दर पुलिस के कॉन्स्टेबिल्स और पुलिस विभाग में ऐसी बातें हों वह राजस्थान का पुलिस विभाग निकम्मा है।

पुलिस लाइन में रहने वाला

Page No.62

(श्री भैरोंसिंह)

हैड कॉन्स्टेबिल, पुलिस लाइन में रहने वाले ब्रिगेड जमादार और बाहर वाले व्यक्ति के लिये इल्ज़ाम लगाये कि उसे उससे जान का खतरा है तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि बाहर गांवों के क्षेत्रों में रहने वाली जनता है उसकी सुरक्षा राजस्थान की पुलिस से नहीं हो सकती। पर इतना ही नहीं, उसको जेलखाने में रखा गया। वह अदालत से छूट कर आ गया।

एक दूसरे व्यक्ति ने भी हिम्मत की। अभी पिछले हाई कोर्ट के एजीटेशन में जिन कॉन्स्टेबिलों के साथ ज्यादती हुई उनको किसी प्रकार रिलीज किया जावे। पर उसको इनाम मिला दूसरे प्रकार का। वह आर. ए. सी. का हैड कॉन्स्टेबिल था। भंवरसिंह उसका नाम है। उसने जब इस प्रकार की मांग की थी तो उसको दूसरे प्रकार का इनाम मिलता है। रोजनामचे में लिखा जाता है कि भंवरसिंह चार कन्विक्ट्स को लेकर रवाना होता है, उनको जहां पहुँचाना था, वहां पहुँचा दिया।

इसके बाद में आर. ए. सी. के कमान्डेन्ट उनको चार्ज लगाते हैं कि हमने तुमको पांच कन्विक्ट्स संभलाये थे। पांचवां कहां है ? उसने कहा रोजनामचा देख लो, उसमें चार ही दर्ज हैं, चार ही का नाम उसमें मेन्शन है, पांचवां जिसको गिरफ्तार करने की बात कहते हैं उसका कहीं नाम ही मेन्शन नहीं है। पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसको बर्खास्त किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : I would treat thissa a convessing for a particular person.

श्री भैरोंसिंह : Not at all, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : yes. It is Not with in the rule.

श्री भैरोंसिंह : I am putting all the injustices done by the employees of the Police Department.

श्री उपाध्यक्ष : It may be some thing different.......

श्री भैरोंसिंह : I object to the version of the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : These are my obs rvations and the Hon'ble Member will please resume his debate.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दर्शन देने से पहले कृपया जरा संजीदगी से काम लें।

श्री श्री भानसिंह : I think the Hon'ble member is casting aspersions on the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : I express my disapproval on the aspertions so made by the Hon'ble member.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेम्बर चाहेंगे कि जिस प्रकार का व्यवहार सदन के सदस्यों से अपेक्षित किया जाता है वैसा ही व्यवहार चेयरमैन से भी होना चाहिये। इन्डिविजुअल के बारे में इस तरह बात कहने का, मैं समझता हूं चेयरमैन को कोई राइट नहीं है इस प्रकार की बात कहने का, उनके बारे में मोटिवइम्प्युट करने का।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था जहां तक इस प्रकार की डिबेट होती है उससे

Page No.63

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्बन्ध रखता है। मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत बातें न कही जावें। केवल उनसे सम्बन्ध रखता है। किसी के मोटिव इम्प्यूट करने से नहीं। आप आरम्भ रखिये।

श्री भैरोंसिंह : This case is concerned for Bhanwar Singh. I am also putting the same Case.

पर इसके लिये मोटिव इम्प्यूट करना कि मैं किसी इन्डिविजुअल के लिये पैरवी कर रहा हूं सही नहीं है। I think it is an insult of the House.

श्री उपाध्यक्ष : I have rightly told that it is not according to the general principles of the, debat Please continue.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस कॉन्सटेबिल को या हैड कॉन्सटेबिल को इस बात के लिये बर्खास्त किया गया कि उसने पांचवें आदमी को कहां छोड़ दिया उसका जयपुर कोर्ट में हलफनामा भराया गया। उसको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, न कहीं उसका नाम लिखा गया, उसको कोर्ट ने छोड़ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि यदि इस प्रकार का अन्याय राजस्थान की पुलिस के कॉन्सटेबिलों के साथ किया गया तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आपकी इस सप्लीमेन्टरी से काम नहीं चलने वाला है। आपको वे तरीके भी अपनाने होंगे जिससे कि उनकी डिमान्ड्स सेटिस्फाई हों मैं समझता हूं कि यही इस प्रकार का विषय नहीं, कई प्रकार के ऐसे विषय हैं जिनको करने से राजस्थान के पुलिस कॉन्सटेबिल आज दुःखी हैं। उस दुःख को दूर करने के लिये इस प्रकार की सप्लीमेन्टरी की बात कह कर उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना अनुचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के अन्दर उन आर. ए. सी. के कॉन्सटेबिलों की, जिन्होंने जयपुर के एज़ीटेशन में वर्क किया, निगरानी के लिये राजस्थान की जयपुर पुलिस विभाग के एडीशनल एस. पी. को लगाया गया वह एडीशनल एस० पी० कौन था, मैं नाम लेकर बाद में बताऊंगा, पर इतनी जानकारी सदन को देना चाहूँगा कि सन् १९५७ में राजस्थान सरकार ने एक सिलेक्शन कमेटी अपॉइन्ट की थी, राजस्थान के आज के मुख्य सचिव, राजस्थान के नियुक्ति विभाग के सचिव, आई० जी० पी० श्री कनेटकर व दो और व्यक्ति इस के सदस्य थे। उसमें सवाल आया कि इनको एस० पी० लिया जावे या नहीं तो उसमें यह साफ लिखा है उनकी रिपोर्ट में कि यह एस० पी० रहने के लायक नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Where is the report of the Committee? Is it before the House?

श्री भैरोंसिंह : Yes Sir, It is with me.

श्री उपाध्यक्ष : Report of the Committee ?

श्री भैरोंसिंह : Versions of the Committee. The whole report is not with me but what the Committee has decided for the particular member...

श्री उपाध्यक्ष : I want to know the particular report, if it is there.

Page No.64

(श्री उपाध्यक्ष)

If it is not there the Hon'ble member will not make a reference.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस कमेटी ने यह राय प्रकट की, मैं रिपोर्ट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि यह व्यक्ति एस०पी० रहने लायक नहीं है, इसको डिमोट किया जावे। तीन व्यक्तियों के लिये यह सिफारिश की गई। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उनमें से दूसरे दो व्यक्तियों को डिमोट करने का सवाल आया तो उनको डिमोट किया गया। पर एक आदमी आज भी एडीशनल एस० पी० की जगह काम कर रहा है। इसको डिमोट नहीं किया गया। इन एडीशनल एस० पी० ने केवल इसीलिये यह सब किया कि यदि इन सिपाहियों की मदद से जयपुर के इस आन्दोलन को मैंने दबा दिया तो निश्चित रूप से मैं एस० पी०रहूंगा, और जो मेरे खिलाफ डिमोशन की बात कही जा रही है वह कागजों में ही धरी रह जावेगी और मैं आज भी एस०पी० रहूँगा। पुलिस के सिपाही इस बात से खुश नहीं थे कि हमारे पर एडीशनल एस०पी० काम करें। पर सदन को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उसी राजस्थान के इन एडीशनल एस० पी० को सरकार ने इस बात का चार्ज शीट दिया है कि बाडमेर और जैसलमेर की तरफ आर०ए०सी० के कॉन्स्टेबिल की स्त्रियों को मोलेस्ट्रेशन किया।

(शेम शेम की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order: please It was because of the effort of disturbing the House.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस एडीशनल एस० पी० को यहां लगाकर सरकार ने उससे अपने पुलिस कॉन्स्टेबिल्स का दुरुपयोग कराया, आज राजस्थान की पुलिस का हर सिपाही, राजस्थान के गृह मंत्री, राजस्थान का पुलिस विभाग उन एडीशनल एस० पी० के बारे में अच्छी तरह से परिचित है। उस पर पुलिस कॉन्स्टेबिल्स, पुलिस हैड कॉन्स्टेबिल्स और अफसरों की औरतों के साथ मैलेस्ट्रेशन के चार्ज अभी अभी हमारी राजस्थान सरकार ने लगाकर उसे दिये हैं। इस प्रकार के व्यक्ति यदि आज पुलिस के अधिकारियों के मामले को लेकर, आर. ए. सी. के उपयोग के प्रश्न को लेकर हमारी सरकार को खुश करने की दृष्टि से खुश करके एस० पी० बनने की दृष्टि से, जयपुर की जनता पर लाठीचार्ज कराए, खड़े खड़े पुलिस के सिपाहियों से जनता पर पत्थर फिंकवाए, खड़े खड़े सारे काण्ड करावे, जनता के सिर फुड़वाए, मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह रिफ्रेशमेंट उनको मिला है या इनाम मिला है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ।

कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं कि अभी हमारी राजस्थान सरकार कुछ खर्च की मांग कर रही है, इस पुलिस विभाग के लिये कर रही है, वह पुलिस विभाग कैसा है? यह अभी-अभी बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था और स्मगलिंग के प्रश्न को लेकर हमारी सरकार से कुछ निवेदन किया था कि इस स्मगलिंग को रोका जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि जिस खर्चे की मांग की जा रही है वह खर्चा यदि बाकी के कामों में कुछ कमी करके, उनमें कुछ कन्ट्रीब्यूशन करके पुलिस विभाग में ईमानदारी को लाकर इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती तो हमें इस प्रकार के

(श्री भैरोंसिंह)

अनेकों खर्चों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं यदि यहां जिक्र करूं उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के अन्दर आज इस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है कि यदि उसका चित्र राजाओं के जमाने से किया जावे तो नहीं हो सकता यदि उसका चित्र अंग्रेजी शासन के जमाने से किया जावे तो नहीं मिल सकता है। यदि उसका चित्र जिस तरह से इतिहास कहता है नादिरशाह का शासन था, उस नादिरशाह के जमाने से इस चित्र का मुकाबला किया जावे तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निस्सन्देह नादिरशाह के शासन को और राजस्थान की आज की पुलिस की व्यवस्था को दोनों को एक लाइन में रखने में कोई भी संकोच नहीं होगा।

अभी २ की घटना ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुनाता हूँ जिसे सुनकर सदन को ताज्जुब होगा। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बिरानिया नाम करके। उसमें एक सब इन्सपेक्टर के दो रिश्तेदार हैं, गुरुबचनसिंह नाम है वह केसरीसिंहपुर नाम के थाने का इन्चार्ज है। उसका वहां पर एक गांव है जिसका नाम है क्यू ५ चक। उस थाने में उसका गांव आता है और उसके पास में एक गांव है अराइन नाम करके जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। उसके अन्दर उसके दो रिश्तेदार रहते हैं एक का नाम है गुरुजनसिंह और दूसरे का नाम है करतारसिंह।

२ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक इस प्रकार की घटना है, मैं समझता हूं कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा बच्चा उस बात से परिचित है। उन दो व्यक्तियों ने उस पुलिस के थानेदार की मदद से उस गांव में बहू - बेटियों की इज्जत लेना अपना मुख्य धंधा बनाया। इसके बारे में पुलिस में जाकर रिपोर्ट की जाये, इसकी कोई सुनाई नहीं करता। उनके खिलाफ ३७६ का मुकदमा बना, उनके खिलाफ ३५४ का मुकदमा बना, उनके खिलाफ ४५२ का मुकदमा बना। एक मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट दे दी गई, एक मुकदमे में चालान करवाकर छुड़वा दिया गया, तीसरे मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट अदम वकुआ दे दी गई। उसके बाद में अभी अभी उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। इसी ६-१०-५८ को वह दोनों व्यक्ति शराब पीकर कुछ गुंडों को साथ लेकर एक चमार के घर जाते हैं और उस चमार को खुले आम कहा जाता है कि तुम अपनी लड़की को हमारे हवाले करो। जब उस चमार ने लड़की को हवाले नहीं किया तो उसको कहा गया कि अगर हवाले नहीं करोगे, तो तुम्हारी जान निकाल दी जायेगी। उसके बारे में वहां जाकर कुछ आदमियों ने उसका विरोध किया। फिर ७-१०-५८ को एक दूसरा आदमी जिसका नाम था बूरसिंह उस व्यक्ति को जाकर कहते हैं कि हमें खाने के लिए एक बकरा दो। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो बकरा नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया बाजार में गये, फो बनिया से और महाजन से २॥ रुपया के हिसाब से टैक्स वसूल किया, टैक्स वसूल करने के बाद में उस पैसे से एक बकरा खरीदा गया, शराब की बोतल मंगाई गई और शराब पी गई और उसी रात को जिस बूरसिंह ने बकरा देने से मना किया था उसी के मकान के ऊपर हथियार लेकर गये और उसे कहा गया कि अपनी औरत को पेश करो। मगर उसने पेश नहीं किया तो उस बूरसिंह को जान से मार दिया गया। यह नमूना है

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी राजस्थान पुलिस का। सिर्फ इतना सा कह दूं उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार की स्थिति में जो हैं जिनकी कोई शिकायत सुनेगा तो मैं कहता हूं कि मैं गलती करूंगा। इस मामले को लेकर एस० पी० को शिकायत की गई, इस मामले को लेकर कलेक्टर को शिकायत की गई, इस मामले को लेकर कमिश्नर से शिकायत की गई, इस मामले को लेकर डी० आई० जी० को शिकायत की गई, इसी मामले को लेकर जनता के कार्यकर्त्ताओं के पास लोग दुःखी हृदय से पहुंचे। उसका नतीजा यह निकला कि इसके लिए कलेक्टर और कमिश्नर दोनों ने मिलकर एस० पी० और कलेक्टर दोनों को इसकी इनक्वायरी के लिए लगाया। जब वे इनक्वायरी के लिए गए तो उसके बाद में ऐसी घटना होती है कि वहां पर वे जब दोनों आदमी बैठे थे, इस विषय पर बातचीत करने के लिये, तो इस बातचीत के दौरान में एक तेजसिंह नाम का एक्स-मिलिट्रीमैन वहां पहुंचता है और पहुंच कर कहता है कि यहां पर अगर इस तरह की ज्यादतियां हुई तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो कलेक्टर के सामने उस एस० पी० ने जिसका ट्रांसफर अभी अभी भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण हमारे माननीय गृह मन्त्री जी ने किया है और यह ट्रान्सफर भी उसी मामले में किया है। हमारे एस० पी० साहब ने उस व्यक्ति को कलेक्टर की मौजूदगी में इतनी गालियां निकालीं कि वह बेचारा सुनकर बाहर निकल गया। इसी बात की गवाही अगर माननीय गृह मन्त्री महोदय मुझ से पूछें तो मैं गवाही कलेक्ट करके उनको दे सकता हूं। लेकिन इसके बारे में स्वयं कलेक्टर से पूछा जाये तो वे कहेंगे। इसकी कलेक्टर इन्क्वायरी करने के लिये गांव में गया था तो उस गांव के लोग कलेक्टर साहब के सामने अपना डेप्यूटेशन लेकर गये और कहा कि हमारी बहू – बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के डेमोक्रेटिक ग्रुप के लोगों के कान खड़े होंगे कि उस गांव की सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हुईं और उन्होंने कलेक्टर साहब के पैर पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि या तो हमें अपने साथ ले चलो या फिर हमें इन गुंडों से बचाओ। यह है राजस्थान पुलिस का नमूना और जिसके लिये हम और रुपयों की व्यवस्था करने जा रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि जब माननीय गृह मन्त्री जी इसका उत्तर देंगे तो वह कहेंगे कि यह भी सही है और वह भी सही है। जो हम कहते हैं वह भी ठीक है और जो वे कहते हैं वह भी ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : Why should we anticipate his reply?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Because he has said so many times.

श्री उपाध्यक्ष : Let us not anticipate

श्री भैरोंसिंह : तो इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर रहा था मैं समझता हूँ कि इतना कहने के बाद माननीय गृह मन्त्री जी इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई बात जो यदि शायद वह नहीं समझ सके हों मुझ से पूछ लेंगे। मैं सारी बातों को उनको बताऊंगा अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उन बातों का भी जिक्र करूंगा जो कि मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : विशाल क्षेत्र से होकर अब क्या छोटे दायरे में जाना ...

श्री भैरोंसिंह : मुझे उपाध्यक्ष महोदय, भय इस बात का है कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार की कार्यवाहियां नहीं होती थीं, मगर अब वह भी बढ़ रही हैं। यदि मैं उन्हें यहां पर ही रोक दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।........

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत सम्पर्क साधा जाता तो ज्यादा सफलता मिलती।

श्री भैरोंसिंह : वह भी ऐसी ही है। अभी अभी खंडेला के अन्दर वहां के थाने पर एक सब इन्स्पेक्टर पहुंचे। खंडेला मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी में है। वहां के सब-इन्स्पेक्टर और हैड कॉन्सटेबिल ने मिलकर शराब पी और शराब पीने के बाद तवायफ के पास गये। मुझे इस बात का खेद है कि खंडेले में इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं। लेकिन वे उसके पास गये। वहां उन्हें दूसरे व्यक्ति मिल गए जिन्होंने कि अपना अधिकार नहीं छोड़ा। उसके कारण उपाध्यक्ष महोदय, दोनों में झगड़ा हो गया और उस झगड़े का नतीजा यह हुआ कि जिन्होंने अधिकार नहीं छोड़ा या प्रवेश निषेध कर दिया उन लोगों के हथकड़ियां डाली गईं और उनको गिरफ्तार करके जंगले में दे दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और मुकदमा दायर करने में जो नीम के थाना के सब-इन्स्पेक्टर पहुँचे थे उनका रोजनामचा में नाम आया तो रोज़नामचा का कागज़ फाड़ दिया। तो कागज़ फाड़ देने से उन्होंने समझा कि यह तो मिलेगा नहीं इसलिए उसकी शुरू से अन्त तक दूसरी कॉपी बनादी। यदि फटा हुआ रोजनामचा चाहें और माननीय गृह मन्त्री जी मुझे विश्वास दें कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा तो मैं रोज़नामचा पेश करने के लिए तैयार हूं। जो कि फाड़ कर फेंका गया था। लेकिन इससे भी सब आता तो मैं समझता हूं कि इतना होकर भी सब कुछ हो गया लेकिन उसके बाद में........

श्री उपाध्यक्ष : Can it be produced before the House?

श्री भैरोंसिंह : वह मैं इसी सूरत के ऊपर देना चाहता हूं कि वह विश्वास दिलायें कि जिसने रोज़नामचा फाड़ा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा........

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : We shall certainly take action.

श्री उपाध्यक्ष : Is that with you here?

श्री भैरोंसिंह : यह मेरे पास है। यह मैं इसी सूरत में पेश करूंगा कि माननीय गृहमन्त्री जी मुझे यह विश्वास दिलायें कि उस पर एक्शन लिया जायेगा।

श्री श्रीभानसिंह : There can be no condition.

श्री उपाध्यक्ष : The very fact of the production is very sufficient.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : This can be producd before the House.

श्री रामकिशोर व्यास : अगर वह हाउस के सामने पेश किया गया तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : वह मैं पेश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पेश कर ही दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन इस प्रकार के एश्योरेंस के ऊपर पेश नहीं करूंगा जो कि

(श्री भैरोंसिंह)

उन्होंने दिया है। इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने अभी श्री लादूरामजी के मामले में दिया, मेजर श्री फतेहसिंहजी के मामले में दिया और श्री जगदीशप्रसाद जी माथुर के मामले में भी ऐसा आश्वासन दिया।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि रोज़नामचे का नाम लिया और उसका जिक्र किया है। इसलिए उसको पेश कर दिया जायें।

श्री भैरोंसिंह : मैं पेश कर दूँगा। अब प्रश्न आता है कि उसके बाद में यदि यह तसल्ली हो जाये कि यही केवल एण्ड है इस इस बात का तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन इस मामले में जो दावत दी गई और उस दावत में कुछ खर्चा हुआ, खर्चा किस प्रकार से वसूल किया जाये। इसके लिए मोटर ड्राइवर्स को इकट्ठा किया गया और ड्राइवर्स से१०-१० रुपया मांगा। ड्राइवर्स ने इन्कार कर दिया और उनके इन्कार करने के बाद में ड्राइवर्स को तंग किया गया। ड्राइवर्स एस० पी० के पास गए। एस० पी० से शिकायत की और इसके लिए एस० पी० ने एक सी० आई० को डेप्युट किया और कहा कि इसकी इक्वायरी करो। इसके लिए जनकसिंह नाम के सब इन्सपेक्टर को लगाया कि उस सब इन्सपेक्टर की जगह तुम काम करो। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वह सब इन्सपेक्टर सी०आई० को एक साइकिल भेंट करता है, एक रेडियो भेंट करता है और साइकिल और रेडियो भेंट करने के बाद में सी०आई० वापिस आ जाता है। जिसको चार्ज दिलाया जाता है उसका चार्ज नहीं दिया जाता है यह रपट नम्बर है जो कि मैंने रोज़नामचे से ली है।....

श्री उपाध्यक्ष : Are those articales with you ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो मेरे पास कहां है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We do not run the government.

श्री भैरोंसिंह : जनकसिंह ने २८-१०-५८ के अन्दर रपट नं० १२१० वापिस सी० आई० ने १-१०-५८ को रपट नं १४ में। इतनी शिकायतें होने के बाद भी जब, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार की कार्यवाही हमारे सामने कोई होती नज़र नहीं आई तो सरकार के सामने दरख्वास्तें पेश करने के अलावा, मैं समझता हूँ, कोई इस बात का चारा नहीं था कि वह व्यक्ति इस सम्बन्ध के अन्दर कोई व्यवस्था देता।

आगे चलकर यदि पुलिस के करप्शन के मामलों का जिक्र करें, उपाध्यक्ष महोदय, तो सदन को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि पिछले दिनों के अन्दर जयपुर शहर में एक साधू की हत्या हुई थी, मुझे इस बात का खेद है कि वह हत्या हुई, मैं समझता हूँ साधू आर्शीवाद देते हैं, लेकिन इस मरने वाले साधू ने जनता को आर्शीवाद न देकर पुलिस को आर्शीवाद दिया। थाने में ३०२ का मुकद्दमा बना और जिस तरह का मुकदमा बना उसी आर्शीवाद के फलस्वरूप जितने भी इज्ज़तदार व्यक्ति थे, उनसे पैसा हड़पने की कोशिश की। उन्हें थाने में बुलाया और कहा कि तुम्हारा नाम लिया जायगा, नहीं तो पैसा दो। उनसे इस तरह से पैसा लिया और यह क्रम इस तरह से १५ दिन तक चलता रहा। जयपुर शहर के लोगों का अन्दाज़ है कि जिन आदमियों से पैसा लिया गया है यदि सरकार इस सम्बन्ध में जांच करे तो शायद यह रकम २५,०००) रु० से कम नहीं निकलेगी। लेकिन जांच कोई नहीं करता बहरोड़ के अन्दर पुलिस के एस० आई० और कॉन्स्टेबिल्स ने, वहां पर एक मेहतरानी आई हुई

(श्री भैरोंसिंह)

थी, हरिजन मेहतर के घर पर एक बाला आई थी; उस रोज उसको पकड़ कर थाने में लाकर उसके साथ ११ आदमियों ने व्यभिचार किया (शेम, शेम) इसी प्रकार से अलवर जिले में मांडल थाने में पुलिस कस्टडी में एक एक आदमी जान से मर गया, उसकी इन्क्वायरी हुई और मजिस्ट्रेट ने यहां तक कहा कि पुलिस अधिकारियों का चालान किया जाय, लेकिन उसको भी कोई नहीं सुनता है। उसके बाद एक मशहूर मामला राजस्थान में आज भी पेंडिंग है। डूंगरपुर के सेशन्स जज श्री आचार्य ने जो जजमेंट दिया था पुलिस के लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवजीलाल का चालान करने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order Please Have you looked into the judgement of the high Court ? If the finding of the High Court is different from that of the sessions Court ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस रेफरेन्स को मैंने देखा है। पुलिस का रेफरेन्स हाई कोर्ट के जजमेन्ट में नहीं आया है, लेकिन पुलिस पर जो चार्ज डिस्ट्रिक्ट जज ने लगाया है....

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध का कोई रेफरेन्स नहीं है। आप जो अपने वक्तव्य में कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पूरी रिपोर्ट तो जजमेंट में आवेगी लेकिन पुलिस एक्शन पर जो उसके जजमेन्ट में था उसके बारे में हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया है उस स्थिति में आचार्य जी ने जो नोट लिये थे, उन्होंने जो माइन्ड एप्लाई करके वह डिसीज़न इस सम्बन्ध में लिया था आज भी वह स्टेन्ड करता है। लेकिन, खैर, मैं उस एक मामले का ज़िक्र नहीं करूं तो कोई विशेष बात नहीं होगी। यहां तो ऐसे मामलों का खजाना कह दिया जाय राजस्थान के माननीय गृहमन्त्री महोदय को तो किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, रात को मेरे पास एक तार आया था उसका भी मैं जिक्र करूं, मैं समझता हूं कि यदि नहीं करूंगा तो तार देने में जिस व्यक्ति ने डेढ़ रुपया खर्च किया है उसके साथ मैं अन्याय करूंगा। अभी अभी किशनगढ़ के अन्दर कुछ व्यक्ति थानेदार को रिपोर्ट करने के लिए गये, एक तो वहां पर गीदू नाम का कोई आदमी है उसके खिलाफ और एक दूसरे व्यक्ति साथ के खिलाफ जो व्यक्ति शराब पिये हुए थे। लेकिन होता क्या है कि पुलिस में जो रिपोर्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : Is it based upon copy of the telegram.

श्री भैरोंसिंह : उसी का एक नोट है। उसके बाद चांदमलजी आये हुए थे वे मुझसे मिल गये हैं जो किशनगढ़ के रहने वाले हैं और जो कि किसी समय असेम्बली के मेम्बर रहे हुए हैं और मैं समझता हूं कि उनकी इनफोर्मेशन बहुत करेक्ट है और सदन को इस बात की जानकारी है कि वे कितनी करेक्ट इनफर्मेशन सदन को दिया करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि कानजी और गीदू इनके खिलाफ शिकायत की गई, और छीतरमल मोची ने जाकर शिकायत की कि वे शराब पीकर उसके घर के सामने ही हुल्लड़ कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक, मैं समझता हूं कहीं भी इस बात का नमूना नहीं मिलेगा कि जो शिकायत करने के लिए जाये उसको गिरफ्तार कर लिया जाय, लेकिन किशनगढ़ के अन्दर जो व्यक्ति शिकायत करने गया उस व्यक्ति

(श्री भैरोंसिंह)

को जंगले में रख दिया और जिन्होंने शराब पीकर ही हुल्लड़ किया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वह स्थिति यहां तक गई कि कोर्ट के अन्दर उसका चालान पेश कर दिया और अब चिन्ता हुई तो चांदमलजी से कहा कि ५ रुपये हम अपनी जेब से दे देगें और केस को कम्पाउन्ड करवा दो ताकि बात खत्म हो जाय। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार से पुलिस के अन्दर होता रहा तो पुलिस के द्वारा जनता का किसी भी प्रकार से विश्वास संपादित नहीं किया जा सकता

अब मैं फिर इसी प्रश्न पर आऊंगा कि पुलिस कॉन्स्टेबिल्स के अन्दर जो अविश्वास की भावना फैल रही है वह अविश्वास की भावना मैं थोड़ा सा समय लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी समझता हूँ कि आप थोड़ा सा समय लेंगे।

श्री भैरोंसिंह । केवल कॉन्स्टेबिलरी तक नहीं रही। वह भावना अब ऊपर के अधिकारियों में पहुँच गई है। जयपुर के होटल्स को ढूंढ़ा जाय तो यह सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि राजस्थान के जितने भी डी० वाई० एस० पीज़ हैं वे इन होटल्स में ठहरे हुए हैं, कोई चौधरी रेस्टोरेन्ट में ठहरा हुआ है तो कोई किसी धर्मशाला में ठहरा हुआ है। यदि उनसे पूछा जाय कि आप लोग क्यों आये हैं, तो उनसे जवाब मिलता है कि डी० वाई० एस० पीज़ का रिवर्शन हो रहा है और रिवर्शन से बचने के लिए मेन्योवर करना है यह मेन्योवरिंग किस आधार पर हो रहा है यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज साफ है कि सरकार के अन्दर न्याय नहीं हैं प्रमोशन के मामलों में, इसलिए लोगों को यह चिन्ता नहीं है कि वे सीनियर हैं या जुनीयर हैं, अगर मेन्योवरिंग में सफल होगये तो आर० पी० एस० में आयेंगे और डी० वाई० एस० पी० रहेंगे। कुछ नाम उन्होंने मेरे सामने रखे। वह नाम रखे अजमेर के इन्टेग्रेशन के प्रश्न को लेकर अजमेर का इन्टेग्रेशन एक नवम्बर १९५६ को हुआ। वहां पर ३ डी० वाई० एस० पीज़ थे यह तीनों डी० वाई० एस० पीज़ को राजस्थान के आर० पी० एस० ऑफिससर्स की लिस्ट में, उपाध्यक्ष महोदय, ४१, ४२, ४५ और ४६ इस प्रकार के नम्बर दिये गये। उस नम्बर के बाद कुछ ऐसा लगता था कि सिलेक्शन के मामले को लेकर हमारी सरकार राजस्थान के पुलिस ऑफिसर्स के साथ न्याय करेगी, लेकिन होता क्या है कि पुलिस आफिसर के न्याय के स्थान पर इन तीनों डी० वाई० एस० पीज़, श्री खलील गौरी, श्री त्रिलोचनसिंह और जे० एस० नेरुला, इन तीन आदमियों को १२ अगस्त १९५८ को एक लिस्ट प्रकाशित करके मैंने जो अभी नम्बर बताये थे ४१, ४२, ४५ और ४६ इन नम्बर पर एडजस्ट कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय तक सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई थी उसके पहले ही हमारी राजस्थान सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि इन तीनों डी० वाई० एस० पीज़ एस एस० पी० होने के काबिल हैं यह निर्णय लेने के पहले कोई सीनियोरिटी फिक्स नहीं हुई सीनियोरिटी की लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई, तो काबिल किस आधार के ऊपर है , वह कोन सा उनके पास बैरोमीटर था जिसके अनुसार सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि यह तीनों व्यक्ति काबिल है। वह कौनसा बैरोमीटर है जिसके आधार पर यह लोग

(श्री भैरोंसिंह)

काबिल रहे और काबिल रहने के बाद तीनों आदमियों को प्रमोशन भी मिला । उपाध्यक्ष महोदय, इनमें से एक इस प्रकार के डी० वाई०एस०पीज़ हैं जिन्होंने अजमेर राज्य के अन्दर सरकार की रकम का मिसएप्रोप्रियेशन किया था मिसएप्रोप्रियेशन के बाद इस प्रकार के आदेश हुए थे कि उनकी तनख्वाह से मिसएप्रोप्रियेशन क अमाउन्ट वसूल किया जाय । उनका इन्क्रीमेंट बन्द किया गया । उसके लिए ज्योंही राजस्थान में आये, अजमेर से राजस्थान में प्रवेश किया वे डी० वाई० एस० पी० कन्फर्म नहीं हुए थे, वे एस० पी० बनाये गये । मिसएप्रोप्रियेटेड अमाउन्ट की कोई चिन्ता नहीं है । उनका इन्क्रीमेंट अजमेर राज्य ने बन्द किया था । वह इन्क्रीमेंट राजस्थान सरकार ने वापिस दिया । इसके बादमें, उपाध्यक्ष महोदय, यदि उन्होंने अपनी आदत छोड़ दी हो, लेकिन अभी अभी जैसलमेर से लिखा, राजस्थान के अकाउन्ट्स ऑफिसर ने आई० जी० पी० के एप्रुवल से फिर उनको कहा है कि आपके अकॉउन्ट्स के मामले में गड़बड़ है यदिउसको नहीं बदलेगें तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायगा । जहां इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रमोशन मिल जाय वहां राजस्थान के कर्मचारियों में असंतोष क्यों न हो ? एक सी० आई जो कि १२१ नंबर पर सी लिस्ट में थे राजस्थान का जिस समय इन्टेग्रेशन हुआ और आर० पी० एस० ऑफिसर्सका सिलेक्शन हुआ और सी० आई० का सिलेक्शन होने में जो १२१ वें नम्बर पर रहें उन्हें सी० आई० की लिस्ट में सबसे पहले ले लिया....

श्री उपाध्यक्ष : We have talked about this issue more than once of repeated question.

श्री भैरोंसिंह : लेकिन रिपीट इसलिये करते हैं कि सरकार सुने ।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे अपेक्षा यह की जाती है कि नये सुझाव और नई बातें आपकी तरफ से आयेंगी ।

श्री मदनसिंह दांता : Ministers need hammering.

श्री भैरोंसिंह : (जारी) अभी अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात का जिक्र किया था । स्मगलिंग के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि आज से कुछ दिन पहले राजस्व मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि शायद १३ या २३, मेरे पास अखबार का कटिंग है ; लेकिन इतने आदमियों के लिए उन्होंने कहा था । २२ आदमियों के लिए माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि स्मगलिंग हुआ उसमें इतने पुलिस के कर्मचारी शामिल थे । उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति इतनी खराब है....

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व का कहा प्रश्न आया ?

श्री भैरोंसिंह : लेकिन राजस्व मंत्री जी ने गृह मंत्री जी की ओर से कहा था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोइन्ट स्पोंसिबिलिटी है ।

श्री भैरोंसिंह : जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी ही समझ लीजिये, लेकिन स्मगलिंग के प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया था । मैं समझता हूं यदि तोड़ मरोड़ कर भी जबाब देते तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेता । लेकिन आज यदि राजस्थान के स्मगलर्स को यह पता लग जाय कि राजस्थान पुलिस के २२ कर्मचारी स्मगलिंग

(श्री भैरोंसिंह)

में शामिल हैं तो जितने स्मगलर्स हैं वे दिन रात इस बात की कोशिश करेंगे कि पुलिस से मिलकर स्मगलिंग किया जाय। श्री तनसिंहजी ने जो मामला सामने रखा वह किसी प्रकार भी कम नहीं था, अभी अभी पार्लियामेंट में भी इसका ज़िक्र आया था और वहां पर उत्तर दिया गया था और लंबी चौड़ी तादाद बताई गई और कहा गया कि कितना सोना वहां से स्मगल होकर हमारे यहां आया है। लेकिन यदि इसके बाद कानूनी कार्यवाही की जाय तो उन ऑफिसर्स को दंड मिलता है। बीकानेर के डी० वाई० एस० पी० ने एक सब-इन्स्पेक्टर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया और उसको बीकानेर लाया गया और वहां पर चालान देने की कोशिश की तो, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की तरफ से कोशिश हो रही थी कि जिस डी० वाई० एस० पी० ने रिश्वत लेने वाले सब इन्स्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ मामला बनाया जाय। गवाहों को बहकाया गया और हर तरह से उस डी० वाई० एस० पी० को हैरेस किया गया...

श्री मोहरसिंह : उसके अंडर में तीन थाने थे वे छीन लिये गये।

श्री भैरोंसिंह : मुझे अभी इत्तला दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त उसके पास में जो तीन थाने थे वे भी छीन लिये गये...

श्री उपाध्यक्ष : Is the case before the court ?

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट में जाने के बाद तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता और यदि एक दो दिन में कोर्ट के सामने चला गया हो तो मुझे पता नहीं। यदि इस प्रकार की कार्यवाही की जाय, सरकार एक्शन लेने वाले के खिलाफ एक्शन ले तो फिर क्या उम्मेद की जा सकती है।

अभी अभी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से दरख्वास्त आई है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस पर हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ही तरह के लोगों के दस्तखत है और मैंने अपने सोर्स से भी कन्फर्म किया है कि वहां का एक मशहूर स्मगलर है अब्दुलहादी उसको १२ बंदूकों के लाइसेन्स दिये गये हैं। उसके आगे वहां की जनता परेशान हो रही है और वहां की जनता की मांग है कि उसके लाइसेन्स जब्त किये जायें। उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के बोर्डर पर रहने वाले मशहूर स्मगलर को उसकी पार्टी के लिए १२ बंदूकों का लाइसेन्स दें और वहां की जनता उम्मेद करें कि वहां की जनता शान्ति के साथ रह सकती है, तो यह कदापि संभव नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि हमारी राज्य सरकार क्या कर रही है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस हाउस से निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस एट्रोसिटीज़ की हद है। आपने, मे आई हैल्प यू, या एनि सर्विस फोर मी, ये जो दो प्रकार के बोर्ड लगाये हैं उनको हटालें और मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह विभाग आपके वश का नहीं है, आपको यदि किसी को वश में करना हो तो सार्वजनिक संपर्क विभाग को करिये उसमें आपको हक है और हम आपको छूट देंगे, मर्जी आवे जैसा करें, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग आप छोड़ दें। विभाग नहीं छोड़ें तो जो एलिगेशन जनता लगाती है वे एलिगेशन इन पर हैं यदि लेडीज़ का मोलेस्टेशन पुलिस ऑफिसर्स द्वारा किया जाता है और जनता

(श्री भैरोंसिंह)

उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाती है। तो वे इल्जाम पुलिस ऑफिसर्स पर नहीं हैं वे इल्ज़ाम हैं राजस्थान के गृह मंत्री जी के ऊपर। मैं चाहूँगा कि राजस्थान राज्य के मौजूदा गृह मंत्री जी या तो मंत्रीपद से स्तीफा दें और यदि वे मंत्री पद से चिपके रहना चाहते हैं। तो गृह मंत्रालय को छोड़ दें। मैं राज्य के मुख्य मंत्री जी से और मंत्रीमंडल से हाथ जोड़कर कहूँगा कि वे जैसा चाहें वैसा पुलिस बजट हम स्वीकार कर लेंगे लेकिन यह महकमा इनसे हटालें। वरना यदि राजस्थान में इस प्रकार की चीज़ चलती रहेगी तो वह दिन आ सकता है कि आज साधारण आदमी पाकिस्तान के जनरल अयूब का नाम लेता है, मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान और राजस्थान की घटनाओं में कोई अन्तर नहीं है। आज यदि आप यह चाहते हैं कि जनता में शान्ति हो तो आपको उसके लिये कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिये हमारे राज्य सरकार को चाहिये कि सब बातों का प्रबन्ध करे। मैं सदन का और उपाध्यक्ष महोदय का बड़ा आभारी हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : I don't deserve any compliments. The Chair is not hungry of the compliments.

श्री भैरोंसिंह : हालांकि बहुत सी बातें कहने से रह गई हैं लेकिन फिर बजट सेशन के लिये रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रह जाता है बजट सेशन के लिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : (श्री भैरोंसिंह जी से) You will kindly produce that rooz

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार की तरफ से सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड हो रही है और उसके ऊपर सारी डिमान्ड पास होने के बाद एप्रोप्रियेशन बिल हाउस के सामने रखा है। लेकिन सरकार का जब बजट पेश होता है उस वक्त भी हम सरकार से उस बजट के अन्दर यह जानकारी चाहते हैं कि बजट के अन्दर जितने रुपये, जितने टैक्स और जिस तरह की मांग सरकार को रखनी चाहिये उसके बाद आज यह सप्लीमेन्ट्री मांग आई है....

श्री उपाध्यक्ष : आप भूमिका में गहरे उतर गये हैं अब आप सीधे प्रश्न पर आजाइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी: प्रश्न पर ही आऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सीधे प्रश्न पर आइये यदि अधिक समय लेना चाहते हैं तो।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) तो ऐसी हालत में पुलिस पर जो डिमान्ड रखी है, लाख ४६ हजार रुपयों की, उपाध्यक्ष महोदय, चाहिये यह था कि पुलिस कर्मचारियों के लिये तनख्वाह बढ़ाने के लिये डिमान्ड लाई जाती तो हमें बड़ी खुशी होती। लेकिन हाई कोर्ट आन्दोलन के बारे में पुलिस पर जो खर्चा हुआ और उसके लिये सरकार द्वारा जो इस हाउस में डिमान्ड लाई जाती है वह डिमान्ड उचित नहीं है। क्योंकि जनता के ऊपर कोई खर्चा नहीं हुआ बल्कि जनता को कुचलने के लिए सरकार डिमान्ड लाती है इस हाऊस में तो कहां तक उचित होगा कि हम इस डिमान्ड को मंजूर करें। क्योंकि आज जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार जनता को ही दबावे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ११ आदमियों ने मिलकर एक लड़के को मेरे सामने मारा।

Page No.74

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस में इत्तला की ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऐ ?

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस में इत्तला दी ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं खुद कोतवाली में देख रहा था, पुलिस में क्या इत्तला करता, महाराज। मैं भी कोतवाली में गिरफ्तार था, मेरे सामने पुलिस ने मारा, मैं क्या इत्तला करता, किसको इत्तला करता। मैं खुद गिरफ्तार था।

एक माननीय सदस्य : आपको मारा ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : खुद को नहीं मारा। तो माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसी हालत के अन्दर एक लड़के को मारा, थोड़ी देर के बाद दूसरे लड़के को मारा। उसके बाद जब मैं जेल में गया तो मैंने देखा कि पुलिस की हरकतों से, उन लड़कों के, छोटे छोटे बच्चों के, हाथ पैरों से खून आ रहा था, किसी का सिर टूट रहा था, किसी के शरीर से खून आ रहा था, जो चीज मैंने वहां देखी, वह सही अर्ज कर रहा हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : आप अंगुली से इशारा मत कीजिये, बुरा मालूम होता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जैसा मैंने देखा वही कह रहा हूँ। सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। वह दर्दनाक घटना थी और मनुष्य के साथ मनुष्यता से व्यवहार न करके, जैसे किसी चीज को पकड़ कर तोड़ते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कुल्हाड़ी से।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हथोड़े से, उसी तरह उन आदमियों को लाठियों से, जूतों से, पत्थरों से बुरी तरह पुलिस ने मारा। आज हाउस के सामने डिमान्ड रखी जाती है, यह कहां तक उचित होगा। अगर जनता ने किसी तरह से पुलिस के साथ कोई व्यवहार किया तो जनता के अन्दर जो बड़े ऑफिसर्स थे, ऐसी बात नहीं कि जनता उनकी बात को माने नहीं, उनके कहने को नहीं माने। अगर कोई चीज इस तरह की जनता कर भी दे, तो हमारे माननीय मिनिस्टर साहब पब्लिक में आकर कहते और फिर अगर जनता नहीं मानती तो आप ऐसा करते। मैं तो कहता हूं कि माननीय मिनिस्टर साहब ने एक दफा भी जनता के सामने आकर नहीं कहा कि आप पुलिस के साथ ऐसा करते हैं तो पुलिस आपके साथ इस तरह से करेगी। परन्तु मुझे यह देख कर दुःख हुआ कि पुलिस ने छोटे-छोटे बच्चों को और उनको जो उस मूवमेंट में कभी भी भाग लेना नहीं चाहते थे, वे चाहते नहीं थे कि वे इस मूवमेंट में भाग लें, उन लोगों को पकड़ा। लेकिन जो आदमी मूवमेंट का काम चलाते थे, जो सत्याग्रह करते हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ कर उन्हें छोड़ दिया और बहुत से ऐसे ही रास्ते चलते व्यक्तियों को पकड़ कर, जबरदस्ती पकड़ कर जेल में ठूस दिया। यह हालत थी। इसके साथ ही कुछ तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, जिनके ऊपर आज तक पुलिस के द्वारा केस चल रहे हैं और उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को परेशान किया जाता है। वे गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी नौकरी के लिए जाते होंगे, दफ्तर जाते होंगे, उनको पकड़ लिया और उन पर केस चला दिया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रकार की काफी चर्चा हो चुकी है। आप फिर दोहरा रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा।

(हंसी)

मैं आंखों देखी चीज कह रहा हूँ। चर्चा हो गई है, परन्तु अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, दूसरे इन्डस्ट्रीज के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : इन्डस्ट्रीज का मामला यहां नहीं है। यहां तो दूसरे मसले हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : डिमान्ड थी।

श्री उपाध्यक्ष : आज प्रश्न इन्डस्ट्री का नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : साहब यह तो सारी डिमान्ड्स पास होंगी। अलग-अलग डिमांड्स पास हो गई हैं, आज सारी पास होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : शुरू करिये। इन्डस्ट्रीज पर आइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, कल भी कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया था...

श्री उपाध्यक्ष : कल क्या जिक्र हुआ, कल की डिबेट को आज नही लायें। आज की समस्या पर कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह तो अभी महाराज...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वह नहीं, वास्तविकता पर आइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ३० लाख रुपया दिया गया है, ३० लाख रुपया राजस्थान सरकार की तरफ से....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर! आर्डर प्लीज!! दूसरी आपत्ति उठाई है।

श्री सोहनलाल भटनागर : I rtise on a point of order Sir.

क्लॉज १७२ है, इसका सब-क्लॉज है :

"The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration." तो यह डिमान्ड इन्डस्ट्रीज की हो चुकि है, इन मेटर्स के ऊपर बहस नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : आज की डिमान्ड में तो नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर : कल थी।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है और माननीय सदस्य भी सतर्क हैं। आप इन्डस्ट्री पर नहीं आयें, पुलिस पर वापिस जायं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह एक पॉलिसी का सवाल है, सब डिमान्ड्स पास कर चुके हैं उन पर बोलें या न बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था है। इस विषय पर इन्हीं आधारों पर आप इस हद तक कल बोल चुके हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप बोले हैं।

Page No.76

श्री उपाध्यक्ष : कल बोले हैं। (श्री मुक्तिलाल मोदी से) मानिये ना थोड़ा सा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इन्डस्ट्रीज पर बोला था।

श्री उपाध्यक्ष : कल पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। फिर उसी प्रश्न पर आ जायेंगे....

श्री मुक्तिलाल मोदी : हां, तो दूसरी बातों पर बोलूंगा।

(हंसी)

इन्डस्ट्रीज़ पर नहीं बोलूं साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोलिये।

श्री श्रीमानसिंह : I will have to plead on behalf of the Hon. Member Sir, that the Hon. Member is being disturbed rather much and he is not able to keep up with the debate. So I will request the Hon. Members not to disturb him.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon Member will proceed with the debate.

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी....

(कुछ व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बात यह है कि अंग्रेजी तो मैं समझता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे कहा भी नहीं गया।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कल इन्डस्ट्रीज़ के लिए मैं बोला था, परन्तु आज उसी पर इसलिए बोलने की जरूरत पड़ गई कि मैं चाहता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट को कोई मेरे भाई चलायें, मैं समझता हूं कि जनता का कार्य कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा बहुत कहने पर सीधे रास्ते पर आ जायं। मैं चाहता हूँ कि जनता का भला हो, मेरा क्या भला होगा।

तो माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी सरकार ने यह विचार किया है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं परन्तु ऐसा लगता है कि राजस्थान के अन्दर सरकार समाजवाद नहीं बनाना चाहती है, पूंजीवाद को पनपाना चाहती है। मैं यह दावा करता हूँ कि राजस्थान सरकार जितना पूंजीपतियों को धीरे-धीरे सहारा देना चाहती है, उससे समाजवाद नहीं आयेगा। इससे पूंजीवाद फैलेगा। राजस्थान सरकार राजस्थान को उठाना चाहती है, हम जो सदस्य विधान सभा में हैं, वे भी राजस्थान को उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि पूंजीवाद का जो चक्र है, उसको हटाने का राजस्थान सरकार का फर्ज है। राजस्थान सरकार ने पूंजीवाद को खत्म करने के लिए जो काम किया, उसकी मैं तारीफ भी करूंगा। पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने मेरे एरिया के अन्दर १० लाख का डिपार्टमेंटल काम शुरू किया है और डिपार्टमेंटल काम करके राजस्थान सरकार ने यह बता दिया है कि ठेकेदारों के द्वारा जो काम नहीं होता है, वह राजस्थान सरकार डिपार्टमेंटल काम शुरू कराके पूरा कर सकती है और वह चीज़ आज मजबूत हो रही है और सरकार, लाखों रुपये की जो सैंक्शन है, उसमें से कुछ बचा भी लेगी। इसलिए राजस्थान सरकार को

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इन्डस्ट्रीज़ के मामले में विचार करना चाहिए क्योंकि जितने पूंजीपति हैं वे अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करते। माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा दुःख इस बात का है कि पंचायतों को इन्श्योरेन्स की बात कह कर जानकारी कर ली है, आज किसान इन्श्योरेन्स के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर राजस्थान सरकार कोई नेशनलाइजेशन करके के कोई कारखाना बनाये तो उसके लिए राजस्थान सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त होगा। अभी कारखानों के लिए बड़े-बड़े पूंजीपतियों को राजस्थान सरकार रुपया देती है, उसके बाद सैन्ट्रल गवर्नमेंट से रुपया दिया जाता है, पूंजीपति अपनी जेब से खर्च नहीं करते, और हम पर हुकूमत करने बैठ जाते हैं। यह कहां का समाजवाद हुआ, कहां की उचित बात हुई। हमारा पैसा दूसरे आदमियों को दें और वे हमारे उपर हुकूमत करें। यह जनता का पैसा है, इसे जनता को देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, उद्योग के बाद, जो ट्रान्सपोर्ट के बारे में राजस्थान सरकार ने रवैया अख्तियार कर रखा है, यह बहुत गलत है। बम्बई, यू०पी० के मुकाबले में हमारे यहां की सड़क बहुत खराब है। ट्रान्सपोर्ट के बारे में राजस्थान सरकार को बहुत परेशानी है। यहां की बसें कितनी खराब हैं, बसों के कारण जनता को भी परेशानी है। और मैं तो यह कहूँगा कि राजस्थान सरकार हम लोगों को ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह ट्रान्सपोर्ट का प्रश्न इसमें है क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : ट्रान्सपोर्ट की मांग में है।

श्री उपाध्यक्ष : इस में नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने इसका जिक्र यहां इसलिये किया है कि ट्रान्सपोर्ट को नेशनेलाइज़ करना चाहिये। गलत बात बोलूं तो कहें।...

श्री उपाध्यक्ष : गलत तो आप नहीं बोलते पर विषय पर बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छा तो साहब अब एग्रीकल्चर पर बोलूं ....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें है क्या ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें एग्रीकल्चर की मांग है उस पर कहना चाहता हूँ। मैंने मन्त्री महोदय को और चीफ मिनिस्टर साहब को सुझाया था कि अगर आप एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे यहां से १५ २० लाख मादा जानवर, बकरियां, भेड़ वगैरह बाहर चले गये हैं, मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी कि ये मादा जानवर राजस्थान से बाहर चले गये, तो राजस्थान में पहले से ही खाद की कमी है और भयंकर कमी आ जायेगी, और हमारे सिन्दरी फैक्टरी का जिप्सम यहां से ४ रुपया टन जाकर २३ रुपया बोरी २३ रुपया, मन के भाव से मिलता है. सिन्दरी से यहां आकर बड़ा मंहगा पड़ता है। परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास आपकी चिट्ठी भेज दी है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि हैल्थ मिनिस्टर के पास भेज दी है। रोज़ाना ट्रक भर भर कर मादा जानवर यहां से जाते हैं। मैंने ऐसा सुना था कि कानून है कि मादा जानवर यहां से बाहर नहीं जायें पर लाखों

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

की तादाद में मादा जानवर राजस्थान से बाहर जाते हैं। बकरी इतनी ऊंची मानी जाती है कि जिसका दूध और खाद दोनों काम में आते हैं। पर राजस्थान सरकार एग्रीकल्चर के बारे में हजारों की तनख्वाह पाने वाले अफसर रखती है, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। एक एम० एल० ए० गलत बात भी कहे तो, मैं गलत बात कहूँ, पर राजस्थान की जनता और राजस्थान की उन्नति का काम है तो उसमें कम से कम विचार तो किया जाय।

इसलिये माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि लाखों बकरियां राजस्थान से बाहर जाती हैं उनके लिये जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि इससे राजस्थान की जनता का बहुत नुकसान होता है। इस लिये मेरी मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि इस पुलिस के ऊपर ....

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस कहां से आ गई, अभी तो बकरियां थीं ?

(अनवरत हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने पुलिस और बकरियों पर निवेदन किया, उस पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, इस मौके पर यदि पुलिस विभाग के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और स्वयं मेरे साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, उनका उल्लेख नहीं करूंगा तो मैं समझता हूं कि अपने कर्तव्य से हटूंगा। इस लिये अपना कर्त्तव्य समझ कर, इस बारे में मैं निवेदन करूंगा। मैंने गृह मन्त्रीजी को कई बार प्रार्थनापत्रों द्वारा, तारों द्वारा, निवेदन किया उनसे सम्पर्क करने का। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कई बार उनसे मिलना नहीं हुआ, अगर कभी हुआ भी तो निरर्थक सिद्ध हुआ, तो मैं समझता हूं कि आपके द्वारा ....

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट नहीं पर्सनल पिटिशन है।

श्री शंकरलाल : नोट पर्सनल पिटिशन सर, पुलिस विभाग द्वारा जो होता है, उनको कट मोशन द्वारा पेश कर दूं।

श्री श्रीभानसिंह : यह एप्रोप्रियेशन है।

श्री शंकरलाल : सोरी। एप्रोप्रियेशन बिल के द्वारा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नींबोल गांव है, उसका पुलिस थाना जैतारण ज़िला पाली लगता है, वहां के पुलिस थानेदार श्री फतेसिंह से ५-११-५८ को नींबोल के अन्दर किसी इन्क्वायरी के सिलसिले में गया और लोगों के साथ ज्यादती की श्री लूणकरण और उनके पुत्र ने सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के पास शिकायत की, नतीजा यह हुआ कि एस० आई० पी० नींबोल में जाता है, जिस के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, जिसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, उस श्री लूणकरण को बिला वज़ह हथकड़ी लगा देता है और उससे ५०० रुपया लेने के बाद में उसको रिहा करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि इससे कितना बुरा असर वहां जनता के ऊपर पड़ा है। इस बात की शिकायत एस० पी० के सम्मुख की गई और कोई नतीजा नहीं निकला। एस०पी० कहता है कि इस थानेदार के खिलाफ कागज़ बना कर आगे भेज दिये हैं। पर इसके खिलाफ दूसरी भी कई सैकड़ों शिकायतें हैं, कई शिकायतें बना कर

(श्री शंकरलाल)

भेजते हैं और कागज़ दब जाते हैं। थानेदार कहता है कि मेरे डी० आई० जी० का पक्ष है, भतवतसिंह मेरे रिश्तेदार हैं, सो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Even before you ?

श्री शंकरलाल : (जारी) वहां की जनता के सामने कहता है मैं जैतारण परसों ही जाकर इन्क्वायरी करके आया हूँ, बहुत शिकायतें हैं पर मैं नहीं समझता सरकार क्यों आखें मींचे हुऐ हैं।

मेरे खुद के साथ जो व्यवहार किया गया उसको मैं बताना चाहता हूं। पाली का किस्सा है, मेरी मदर एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रही थीं तो उसका एक पीपा खो गया और माल चोरी हो गया! पुलिस में मैंने दूसरे दिन दरख्वास्त कर दी पर पुलिस में केस दर्ज नहीं हुआ। एस० पी० के इन्टरवेन्शन से पाली के थानेदार ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लूंगा पर डेढ़ महीने तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। बाद में फिर एस० पी० ने कहा तो दर्ज किया। इतना अर्सा हो गया, इसकी जांच नहीं हुई इसलिये माल बरामद नहीं हुआ। मैं जाता हूँ तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। मैंने गृह मन्त्री जी से शिकायत की पर कोई नतीजा नहीं निकला। अभी सदन में सवाल आया था कि एक माननीय सदस्य के साथ बुरा बर्ताव किया गया और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं मानता हूँ, मेरे साथ भी बुरा बर्ताव हुआ, उसकी शिकायत की, उसकी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं अभी की घटना सुनाता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य तो स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव सुना रहे हैं। Refereshment allowance, Duty Meet at held at Jaipur. मैं मान सकता था, एक-आध उदाहरण दे देते तो संभवत: उसकी उपेक्षा की जा सकती थी, पर आरम्भ से ही व्यक्तिगत अनुभव पर शुरू किया। मैं समझता हूँ आप प्रश्न पर आयेंगे।

श्री शंकरलाल (जारी): उपाध्यक्ष महोदय, जनरल डिबेट राजस्थान विनियोग विधेयक पर हो रही है और उसमें पुलिस विभाग के बारे में चर्चा चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने उस वाद-विवाद का एक ही अंग ले लिया है।

श्री शंकरलाल : जिस चीज़ का अभाव है, वही बताना है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चलिये।

श्री शंकरलाल : मैं १२ तारीख का वाकिया बता रहा था कि जब मैं जयपुर से किशनगढ़ होता हुआ अजमेर गया, एक थानेदार भी यहां से बस में बैठे थे। किशनगढ़ से जब बस रवाना हुई तो उस बस में अपार भीड़ थी मैंने उस बस के ड्राइवर से कम्पलेन्ट बुक मांगी तो उसने देने से इन्कार कर दिया! उस समय मैंने उन थानेदार साहब से कहा कि आप इसको तस्दीक कर दें। मगर वे चुप रहे। मैंने सोचा कि अजमेर आएगा तो मालूम करेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस तरह के आपके भाषण को आगे नहीं चलने दूंगा। आप अपने मकसद पर आवें। इस तरह से बातें कहने से सदन के समय का दुरुपयोग होता है। इससे यह होगा कि जो आप सदन

Page No.80

(श्री उपाध्यक्ष)

को कुछ भी देना चाहते हैं उस पर भी नहीं आ सकेंगे।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यक्तिगत बात मैं नहीं बता रहा हूँ। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि पुलिस विभाग की क्या हालत है, पुलिस विभाग के लिये, जिसके लिये सप्लीमेंट्री ग्रॉन्ट की डिमान्ड यहां पर की गई है। उसके लिये मैं यह कहूंगा कि वहां पर किसी की भी सुनवाई नहीं होती। ऐसे ऐसे अत्याचार पब्लिक पर होते हैं जिनकी कोई सुनवाई नही होती और न उनकी कोई जांच होती है और न उनके लिये कोई एक्शन लिये जाते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि ऐसे पुलिस विभाग में स्ट्रिक्टनेस से सारी बातों की जांच करें और तभी हमारी पब्लिक को विश्वास होगा कि पुलिस हमारे लिये फायदेमन्द है। मैं आपको निश्चय के साथ कहूंगा कि पुलिस के लिये बड़ा भारी असन्तोष फैल रहा है और इस पर विचार करने की बात है,

(दो माननीय सदस्यों बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Hon' ble Member on my front.

श्री भैंरवलाल कालाबादल (अकलेरा सु): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस के सामने विनियोग विधेयक के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्रीजी मेरे विचारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा किये जानेवाले अत्याचारों को रोकने के लिये कदम उठावेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि पुलिस हमारे जान, माल की रक्षा के लिये शायद राज्य सरकार ने कायम की होगी। लेकिन आज उससे हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं होती है। आज पुलिस के द्वारा बलात्कार किया जाता है और बलात्कार किये जानेवालों को पुलिस द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। लड़कियां भगाई जाती है और बेची जाती हैं और लड़कियों बेचने वालों को सहयोग पुलिस द्वारा दिया जाता है। अभी की एक दर्दनाक घटना है कि मनोहर थाना से उच्च कानून के जानकर लोगों द्वारा एक लड़की को फरार किया गया। उस लड़की को डाकोर जी की यात्रा का बहाना करके अहमदाबाद ले जाया गया और वहां पर ३४००रु० में सौदा हुआ इन बेचनेवालों में एक अध्यापिका भी शामिल थी। वह तीन रोज़ की छुट्टी लेकर जाती है लेकिन ११ दिन से वापिस लौटती है। उसमें एक महिला झालावाड़ की भी शामिल थी। इसमें लक्ष्मीनारायण नाम का एक कसेरा जो पुलिस विभाग के कर्मचारियों से मिला हुआ था वह भी शामिल था, और कुछ वकील लोगों का भी उसमें हाथ बताया जाता था। इस तरहसे लड़की को बेचने का प्रयत्न किया गया। मगर ज्यों ही लड़की को मालूम हुआ कि उसको बेचा जा रहा है। एक जगह सौदा तय नहीं हुआ इसलिए दूसरी जगह सौदा किया जा रहा था, वह लड़की वहां से भाग निकली मुझे अकलेरा जाने पर। मुझे कहां एक कांग्रेस वर्कर के द्वारा पता चला कि वह एक दो पुलिस वालों की शरारत से भगाई गई है। मैंने सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहब को फोन किया उन्होंने कहां कि नदी के उतार आने पर वे वहां पर आवेंगे। नदी में पानी चढ़ा हुआ था इसलिए एस. पी. साहब आ नहीं सकते थे। पानी उतरा तो डिप्टी एस. पी. वहां पहुंचे।

(श्री भंवरलाल कालाबादल)
तीन चार रोज बाद वहां पर पहुंचे और इन्क्वायरी शुरू की। मगर पुलिस वालों ने उनको इस प्रकार से उनके दिमाग को भर दिया और जिस व्यक्ति ने इस कांड की सारी बातों की सूचना दी थी उसके खिलाफ अकेला सब इन्सपेक्टरों ने जुर्म लगाया कि यह पुलिस पर नाजायज दबाव डाल कर इल्जाम लगाता रहता है। इसलिये इसके खिलाफ कार्यवाही की जावे। पुलिस वालों ने जिस आदमी ने इस कांड की जानकारी दी थी उस आदमी को गुन्डो द्वारा नाटिस दिलाया कि महोना भर में उसको जान से मार देंगे। आखिर जिस आदमी ने मुझे बताया था उसने मुझे आकर कहा कि इस तरह का षड्यत्र रचा गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एस. पी. साहब से अर्ज किया। एस. पी. साहब ने इस सम्बन्ध में शीघ्र इन्क्वायरी कराने का आश्वासन दिया मगर उस परभी सब इन्सपेक्टरों ने पर्दा डाल दिया। यह कहा गया कि इसमें सबूत नहीं है आगे बढ़े कैसे। तकदीर की बात थी कि वह लड़की भाग आई और पाटन में मिल गई। एस.पी. साहब ने तारादेवी नाम की अध्यापिका को बुलाया और उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं गई थी लेकिन ज्यों ही गुन्डा ने कहा कि हम इसको बेचने के लिये ले जा रहे है, ता मैं रास्ते में से चली आई।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बयानों को दोहराने लग गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप उसके बयानों को न दोहरावें।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : अब आगे चलिये कि पुलिस ने क्या क्या किया है। यहां पर गोविन्ददेवजी की चोरी हुई थी। उसमें झुन्झुनू तक के लोगों का पकड़ा गया उन लोगों को ५ महीनों तक उनके साथ ज्यादती की गई। उनकी रकमें जो शक में ली गई थी वापिस नहीं लौटाई गई। आधी रकमें तो पुलिस वाले ही खा गये होंगे। किसी से चोरी का माल बरामद नहीं हुआ। उनको किस तरह से मारा गया और मैं यह कहूंगा कि २००, ३०० आदमियों को चार पांच माह पड़ा रखा।

अभी बिहार गांव में पंजाब की पुलिस आती है और रात को १२ बजे घरों में घुस जाती है। और उसके मवेशियों को घेर कर ले जाती हैं। उसके घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उससे रिश्वत मांगी और जब उसने रिश्वत नहीं दी तो उसको डंडे से मारा। एक ६ महीनों का बच्चा उस महिला के पास था। उस बच्चे के सिर में डंडे की चोट लगती है। बच्चा मर जाता है। इस तरह से बोर्डर पर पंजाब की पुलिस वाले जबरदस्ती आते हैं और इस प्रकार की वारदातें करते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो पुलिस की शिकायत करता है तो वे उसको १०९ धारा लगाकर या किसी भी दूसरे तरीके से उसको जेल में ठूंस देते है। जब इस संबन्ध में, पुलिस के आई. जी. पी., होम मनिस्टर आदि से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम इसके बारे में इन्क्वायरी करा रहे हैं। मगर इन्क्वायरी किसके द्वारा कराई जाती है। उन्हीं के द्वारा जो उस मामलों में होते है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी की एक घटना हैं। एक नीम के थाने के रेल्वे पुलिस के थानेदार ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके गुप्तागों को जला दिया और जिस समय एस.डी. एम, की अदालत में दर्ख्वास्त पेश की तो थानेदार ने कहा कि इसके तो ये दाग गर्मी के हैं। इसका डाक्टरी मुआयना तक नहीं होने दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास यह सूचना कहां से प्राप्त हुई ?

श्री भैंरवलाल कालाबादल : मेरे पास लोगों की दर्खास्तें पड़ी है। मैं सोचता रहता हूँ और उनकी तारीखें बढ़ाता रहता हूं। जो लोग शिकायतें करते हैं उनके खिलाफ पुलिस वाले अत्याचार करेंगे। पुलिस वालों के अत्याचारों के मेरे पास पुलन्दे के पुलन्दे हैं। आप कहें तो उनको सदन की मेज पर रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन को इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

श्री मदनसिंह दांता : अगर पुलिन्दा हैं तो रखने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू रखें।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : वह नीम के थाने में फिर पकड़ा गया और उस पर १०६ धारा लगाई गई। कोई वह चोर नहीं था। एक व्यक्ति ने एस. डी. एम. की अदालत में थानेदार पर केस चलाया तो तारीख के पहले रोज उसको जबर्दस्ती पकड़ कर बुलाया गया और वहां से हिन्डोन सब इन्सपेक्टर ले गये, और वहां पर १०६ का केस दर्ज कराया गया। कहां तो गुहाला का थाना और कहां हिन्डोन। उस व्यक्ति को पकड़ कर जबर्दस्ती ले गये और उस पर जुर्म लगाया गया। उसके लिये होम मिनिस्टर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस व आई. जी. पी. को शिकायत की गई। आखिर कल बेचारे को वहां से लाया गया और कल जमानत हुई है। इस तरह का अत्याचार पुलिस करती हैं। इसके अलावा आज जो बसेज चलती है। उसके लिये भी आप देखें तो उनका काम यह रह गया है कि मोटरों में फ्री जावें और अगर उनको न ले जावें तो फौरन उसका चालान कर देते हैं।

३ म० प०

आज पुलिस वाले आये दिन लोगों से १००) ५०) रुपया एंठ लेते हैं। और तो क्या बताऊ उपाध्यक्ष महोदय, भालावाड़ में यह हालत हो रही है, कि किसी की बहिन बेटी को खूबसूरत देखा तो पुलिस वाले क्या करते हैं, कि किसी तरह से उसकी इज्जत लूट ली जाय, यह चार्ज लगाते है कि इसके घर में अफीम मिलेगी वे उनके घरों में घुस जाते हैं, मर्दों को मारते पीटते हैं, जवान बहिन बेटियों को बेइज्जत करते हैं, खुद पुलिस वाले जेब में तोला दो तोला अफीम ले जाते है और घरों में घुस जाते हैं, बहिन बेटियों को बेइज्जत करते हैं आज इस प्रकार के अत्याचारहो रहे है और उनको सुनने वाला कोई नहीं हैं। एक समय तो वह था। जब कि हमारे बापू कहां करते थे कि जब स्वराज्य होगा तो पुलिस मेन को बच्चे प्यार करेंगे, लेकिन आज लोग उनसे डरते हैं, मैं समझता हूं कि यदि पुलिस वालों के खिलाफ ऐसी बातें कही जांय तो बोलने वाले सदस्यों पर भी केस चलायें, न मालूम क्या क्या आरोप लगा कर केस चलाये यदि उनके ऊपर नहीं चलायें तो मुमकिन है उनके घर वालों के ऊपर चलायें। इस प्रकार से यह बदले की भावना बढ़ती जा रही है, सुधार की इसमें आवश्यकता है। इसके लिए गृह मंत्रीजी सख्त कदम उठायें तब ही संभव हो सकता है। मैं सब ही पुलिस के अधिकारियों के लिए नहीं कहता। भले एस. पी. भी हैं। जैसा मैंने भालावाड़ पुलिस के एस,पी. के लिए कहा, दबंग के एस. पी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कमी कहां थी। बुराई काफी हो चुकी हैं, फिर तारीफ क्यों

श्री भैंरवलाल काला बादल : उपाध्यक्ष महोदय,

Page No.83

श्री उपाध्यक्ष : आपके ध्यान में लाऊं कि डिमान्ड है रिफ्रेशमेन्ट अलाउन्स, दूसरा हैं पुलिस ड्युटी मीट हैल्ड एट जयपुर, इसके स्कोप से इधर उधर बाहर चलें जाय तो मैं उसको दर गुजर कर सकता हूँ लेकिन विषय पर ध्यान दें मैं यही चाहता हूं।

श्री भैंरवलाल काला बादल : माननीय उपाध्यक्ष, जन सुरक्षा का सवाल था, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। जब सुरक्षा ही नहीं होती हैं तो मांगे और डिमान्डें किस काम की

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

भ्रष्टाचार और ये पुलिस के अत्याचार खत्म हो जाय तो सारा काम हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : सारा काम नहीं हो पायगा यह जनरल डिबेट नहीं है। इस ओर ध्यान रखिये।

श्री पी. के. चौधरी।

अनेक माननीय सदस्य : उनको बोलने दीजिये।

श्री भैंरवलाल काला बादल : मेरा भाषण ही शुरू हुआ है उपाध्यक्ष महोदय। अभी मैं बोला ही कहां हूं पूरा।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा शुरू रखिये।

श्री भैंरववाल काला बादल : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय. बीच में आप के द्वारा रोकने से मेरी वह विचारधारा ही जाती रही

श्री उपाध्यक्ष : ट्रक और बसेस के पोइन्ट पर आप चल रहे थे, जिसमें यात्री बैठ जाते हैं।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से पुलिस का काम यह रह गया हैं कि लोगों को परेशान करना लोगों के साथ हर तरह से अत्याचार करना। लोगों को बेइज्जत करना, बहिन बेटियों की इज्जत लूटना, रिश्वत खाना। इस प्रकार के पुलिस विभाग में जो अव्यवस्था बढ़ रही है उसको रोकना चाहिए। यदि माननीय गृह मन्त्री जी को ऐसी बातें कहीं जायं तो उनको बुरा लगता है लेकिन बुरा लगने का सवाल नहीं है, यह जनता की जान और माल की हिफाजत का सवाल है। यदि जनता की हिफाजत नहीं होती है तो ये डिमान्डें और दुनियां भर की बातें जो चल रही हैं, माननीय उपाध्यक्ष, वे सब बेकार होंगी। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि पुलिस पर कन्ट्रोल करें और जान-माल की सुरक्षा की व्यवस्था करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए सबसे पहले राजस्थान फाई-नेन्शियल कोऑपरेशन को लगभग दो लाख रुपया दिया जा रहा है उस पर बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ग्रान्टेड डिविडेन्ड्स हैं। ३॥ पर्सेन्ट से। आज राजस्थान फाइनेन्शियल कोऑपरेशन को शुरू हुए लगभग चार वर्ष हो गए हैं। अप्रेल ५५ से यह शुरू हुआ है आज तक इस फाइनेन्शियल कोऑपरेशन की कोई रिपोर्ट को न तो इस सदन में उपस्थित किया गया है और न ही किसी सदस्य को यह उपलब्ध है। मैं समझता हूँ राजस्थान फाइनेन्शियल कोऑपरेशन को, जिसके डिविडेन्ड हम एश्योर करते हैं उसको ६० लाख रुपया राजस्थान सरकार ने लोन दे रखा है। इतना पैसा उसके उपर हमारा है और हर तरह से यह सब उसको करते हैं और मैं समझता हूँ कि राजस्थान

(श्री पी० के० चौधरी)

फाइनेन्शियल कार्पोरेशन की जो वार्षिक रिपोर्ट है, ऑडिट ऑकउन्ट्स हैं, उसको सदन को देखने का राइट है, चर्चा करने का राइट डिबेट करने का राइट है, वह उपलब्ध नहीं हैं। चार साल हो गये है, उसकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान फाइनेन्शियल कोऑपरेशन है उसकी १ करोड़ रुपए की पेडअप शेयर केपिटल है। उस पर ३।। पर्सेन्ट सरकार ने डिविडेन्ड ग्रान्टेड किया है। गान्टेड डिविडेन्ड यह होता है कि यदि कोऑपरेशन घाटे में जाता है कि शेयर होल्डर्स को देने के लिए ३।। पर्सेन्ट सरकार को देना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन बिल में जो आइटम है, डिमान्ड में है १ लाख ७० हजार रुपया उसकी डिफिसिएन्सी को मीट आउट करने के लिए। राजस्थान फाइनेन्शियल कोऑपरेशन की लोन देने की पद्धति है, जिस पद्धति से लोन देता है उससे तो आगे जो उसका नेट प्रोफिट है उससे ३।। पर्सेन्ट से डिविडेन्ड कभी वह नहीं दे पायेगा। राजस्थान फाइनेन्शियल कोअपॉरेशन हुआ है वह स्टेट पर एक ड्रग हो गया है। हर साल स्टेट गवर्नमेन्ट को उसके लिए ग्रान्टेड डिविडेन्ड रखना पड़ता है, लाख दो लाख रुपया कन्सोलिडेटेड फन्ड से राज्य सरकार को देना पड़ता है, और आगे भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके जो ऑडिट अकॉन्उटेंट्स हैं, बैलेन्स शीट्स हैं, रिपोर्ट है, वह सदन के सामने पेश की जायें, सदन को डिस्कशन का मौका दिया जाय, हम देखना चाहेंगे कि वह बराबर फंक्शन कर रहा है या नहीं। इसकी पर्मानेन्टली एक हमने लाएबिलिटी ले रखी है। हर साल डिविडेन्ड पे करते हैं तो यह कहां तक चल सकेगा। राजस्थान फाइनेन्शियल कोऑपरेशन ६ पर्सेन्ट की रेट से लोन देता है। जिस रेट से लोन देता है, हिसाब करके देखा गया, इस रेट से लोन देने के बाद भी जो उसका लोन है, वह सब का सब लोन वेलिड लोन होता है। अच्छी कम्पनी और फर्म्स को लोन दिया जाय तो कभी भी इस तरह से लोन देकर सेल्फ सफिशियेन्ट नहीं हो सकता है, उसमें उसको घाटा पड़ेगा और सरकार को हर साल स्टेट ट्रेजरी से डिविडेन्ड देना पड़ेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन के वर्किंग पर डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन करके जो ग्रान्टेड डिविडेन्ड है वह कन्सोलिडेटेड फन्ड से हमको न देना पड़े। उसको रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, जिस ढंग से कार्पोरेशन काम करता है उसको भी चेक अप करना चाहिए।

इसलिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन का जो चार साल का वर्किंग है वह और उसकी एन्युअल रिपोर्ट है वह सदन के समक्ष रखी जाय। उसमें यह भी बताया जाय कि राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन द्वारा किस-किस कम्पनी को लोन दिया गया। जिस कम्पनी को लोन दिया गया उनकी बैलेन्स शीट्स भी हम देखना चाहते हैं और फिर सदन में उसके लिये बहस हो उसके लिए एक दिन निश्चित किया जाय। उसके बाद हम यह देखें कि इन चार सालों में जो कुछ काम राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन ने किया है उस पर वह किस हद तक अपनी एजीस्टेन्स को जस्टिफाइ करता है। हमने एक कार्पोरेशन बनाया था जिसके डिवीडेन्ट की हम गारन्टी करते हैं वह इस बात के लिए बनाया है कि हमारे स्टेट में जो उद्योग-धन्धे हैं उनका विकास हो और उससे

(श्री पी० के० चौधरी)

ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। लेकिन हम देखते हैं कि उद्योग-धन्धों में विकास नहीं हुआ उनका लोन देने का तरीका गलत है, पैसा बैंकों में रहता है जब तक वे इन्स्टॉलमेंट पूरा नहीं उठा लेते। तब तक वे पैसा लेने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं इस तरह का जो वर्किंग है वह काफी गड़बड़ है। राजस्थान फाइनेन्स कोऑपरेशन ने इन चारों सालों में अपने एग्ज़िस्टेन्स को जस्टिफाइ नहीं किया है। अब हमें यह देखना है कि जस्टिफाइ नहीं किया है तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है क्या उसका विधान गलत है या उसका वर्किंग का जो मेथड है वह गलत है या उसकी मैनेजिंग बोडी है या बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स है या मैनेजिंग डाइरेक्टर है उसमें कुछ कमी है या क्या चीज़ है यह सब हमारे सामने आना चाहिये। जब कि हम डिविडेन्ट की गारन्टी दे देते हैं तीन पर्सेन्ट से भी कम नफा होता है। इसको एग्ज़ामिन करना चाहिये। इसके लिये सारी इन्फोर्मेशन हमें उपलब्ध होनी चाहिये और उस पर डिस्कशन होना चाहिये।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, सीड, डिस्ट्रिब्युशन के बारे में और रबी अभियान के बारे में भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। रबी अभियान के लिये पन्द्रह लाख रुपया करीब सीड के लिए रखा गया है। रबी अभियान जो चालू किया गया है उसका जब नतीजा निकलेगा तब आप देखेंगे रबी अभियान कितना फैल्योर रहा है। इसमें सफलता न मिलने का मुख्य कारण सरकार की सीड डिस्ट्रिब्युशन की जो पॉलिसी है, जो तरीका सीड डिस्ट्रिब्युशन का सरकार ने अपनाया है उसकी वजह से हुआ। इस रबी अभियान के लिये जो देश में वातावरण क्रीएट किया गया उसके अनुसार हरेएक काश्तकार को यह कहा गया कि उनको सीड सप्लाई किया जायगा इस आश्वासन पर जब सोइल का सीजन आया उस समय मौके पर सीड नहीं दिया गया और जहां दिया भी गया वह बोने लायक सीड नहीं था। ब्लॉक एरिया में दिया गया वहां भी सबको नहीं मिला। किसान जो हर साल अपने बोने के लिए सीड रखता था जब उसको ऐसा आश्वासन दिया गया तो उन्होंने जो सीड वे बोने के लिये रखते थे बाजार में बेच दिया। उन्होंने देखा बोने के समय [illegible] की तरफ से ताजा बीज मिल जायगा लेकिन वह मिला नहीं और जहां मिला उसके हालात भी मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। जितना सीड सप्लाई किया गया वह पंजाब का फ्रीज्ड वीट था वह दिया गया जो सीड पर्पज के लिए नहीं था। जो भी सीड बोने के लिये सप्लाई किया गया वह बिल्कुल बोने के लायक नहीं था फ्रीजन वीट सप्लाई किया गया। बीज, पर्पज के लिये, जो सीड ग्रो किया जाता है वह सप्लाई नहीं किया गया।

दूसरी बात यह है कि इसके लिये जहां लोकल सीड प्रोक्योर करने की बात थी वहां यह हुआ कि पर्टिकुलर व्यक्तियों से पर्चेज किया गया। एक-एक आदमी के जरिये ढाई हजार मन, तीन हजार मन खरीदा गया, लेकिन जो भी खरीदा गया वह अच्छा सीड नहीं था। उसमें भी चालीस पर्सेन्ट ऐसा सीड था जिससे कोई अनाज पैदा नहीं हो सकता। इसलिये रबी अभियान का जो आन्दोलन शुरू किया गया उसमें एकतो समय पर लोगों को सीड नहीं मिला और जो सीड सप्लाई किया गया वह अच्छा नहीं किया गया। उसमें भी तीस-चालीस पर्सेन्ट खराब

(श्री पी० के० चौधरी)

सीड दिया गया ज्यादातर बीट जो सप्लाई किया गया वह फ्रोजन सीड था। चने का सीड जो सप्लाई किया गया वह भी खराब सीड सप्लाई किया गया।

फूड ग्रेन प्रोक्योरमेन्ट और उनके भाव निर्धारण के बारे में सरकार ने जो नीति अपनाई है वह ठीक नहीं है। फूड ग्रेन के जो प्राइज हैं उनको स्टेबिलाइज करने के लिये गवर्नमेंट के पास बफर स्टाक होना चाहिये। पिछली दफा जब सदन में फूड सिच्युएशन के बारे में डिबेट हुई थी उस समय लोगों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि सरकार के पास काफी मात्रा में स्टाक होना चाहिये। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने वीट रिक्वीजिशन आॅर्डर, ग्राम रिक्वीजिशन आॅर्डर लागू किया, उसके मुताबिक प्राइसेज़ कम होनी चाहिये, लेकिन प्राइसेज कम होने की बजाय काफी बढ़ी हैं। आज गेहूँ का भाव २७-२८ और ३० रुपया मन हो गया है। दूसरी जगह भरतपुर में तो ३५-३६ रुपया मन तक भाव हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ फूड रिक्वीजिशन आॅर्डर के बाद भी प्राइजेज ज्यादा होती हैं तो इसका मतलब यह होता है फूड ग्रेन प्रोक्योरमेन्ट की जो हमारी सरकार की पॉलिसी है यह बिल्कुल असफल हुई है। वह फूड ग्रेन का प्रोक्योर बराबर नहीं कर पायी है। राजस्थान में फूड ग्रेन की कमी नहीं है फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं हो यह बात नहीं है। जयपुर के बाजार में जायेंगे तो आपको पता चलेगा मार्केट में फूड ग्रेन मिलता नहीं। जो फूड ग्रेन थोड़े दिन पहले मिलता था वह कहां चला गया। आज जो सरकार द्वारा दुकानें खुली हुई हैं उनमें दो घण्टा खड़े रहने पर भी दो रुपये का अनाज नहीं मिल पाता। यह बात नहीं है कि व्यापारियों के पास स्टाक नहीं है सबके पास स्टाक है लेकिन उसको गवर्नमेंट सीज नहीं कर पाती है। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट के जो आॅफिशियल्स हैं, पुलिस आॅफिशियल्स हैं चाहे फूड प्रोक्योरमेंट के आॅफिसर्स हों वे करप्ट होने से फूड ग्रेन प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से फेअर प्राइज शोप्स हैं उनके द्वारा फूड ग्रेन सप्लाई नहीं होता है इसी वजह से प्राइजेज़ बढ़ रही हैं। इसको अगर चैक करना है तो गवर्नमेंट को उसमें हॉफ हार्टेडमेजर्स न अपनाकर पूरी दिलचस्पी के साथ कार्य करना चाहिये। जब आपने फूड ग्रेन रिक्वीजिशन आॅर्डर लागू किया है तो उस हालत में आपको रिक्वीजिशन उन जगहों से करना चाहिये जहां से फूड ग्रेन का आयात होता है। सदन में जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उसके ऊपर एक लिस्ट पेश की गई उस लिस्ट को मैंने देखा है उसमें जयपुर शहर के मुख्य-मुख्य डीलर है उनको किसी प्रकार इस कानून के अन्तर्गत चैक नहीं किया गया। सिर्फ दो चार छोटे-मोटे दुकानदारों का ग्रेन प्रोक्योर किया गया। इसके अलावा भरतपुर, गंगानगर में जो मण्डियां हैं जहां फूड ग्रेन का काफी स्टाक है वहां के किसी भी डीलर के स्टाक को प्रोक्योर नहीं किया गया। मेरा निवेदन यह है कि फूड प्राइजेज को स्टेबिलाइज करना है तो इस प्रकार करप्ट आॅफिशियल्स के जरिये और इस प्रकार से हॉफ हार्टेडमेज़र्स से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पायेंगे। जो मशीनरी करप्ट है जो बिजनैस कम्युनिटी है फूड ग्रेन डीलर्स हैं, ये बिगप्रोड्यूसर जो हैं, उसके साथ कोल्युजन में जो हों, उस मशीनरी के चार्ज में ऐसे लोग हों तो कभी जाकर जो आप फूड ग्रेन की स्टेबि

श्री पी० के० चौधरी):

लिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते।

दूसरी बात, आपने ६ लाख रुपया मांगा है। इससे आप वह काम कर भी नहीं पावेंगे जहां तक मेरा ख्याल है बफर स्टाक बनाने के लिये आप कोशिश कर रहे हैं। इसके लिये अशोक मेहता ने सिफारिश की थी। सारे हिन्दुस्तान के लिये अगर बफर स्टाक बनाने हों तो कम से कम सौ करोड़ रुपये की जरूरत है। अगर आपको फूड ग्रेन स्टेट ट्रेडिंग के बेसिस पर करना है तो इसके प्रप्रोशनेटली राजस्थान में कम से कम पांच करोड़ रुपया चाहिये। तब जाकर आप स्टेट ट्रेडिंग फूड ग्रेन में कर सकते हैं। क्योंकि आज वरचुअली जो डीलर्स हैं उन्होंने फुड ग्रेन सप्लाई करना बन्द कर दिया है। उन्होंने गवर्नमेंट को चैलेन्ज दिया है। आपका जो वीट और ग्रेन स्टाक रिक्वीजिशनिंग ऑर्डर है उसको एक किस्म से चैलेन्ज है। लोग यह कहने लगे हैं कि पहले व्यवस्था अच्छी थी। दाम ऊंचे थे पर फिर भी ग्रेन अवेलेबल था। पर जिस दिन से आपने रिक्वीजिशनिंग का ऑर्डर एन्फोर्स किया तब से फूड ग्रेन उन व्यापारियों ने डिसएपीयर कर दिया बाजार से, छिपा लिया। तो लोग महसूस करने लगे हैं कि आपने जो कानून या ऑर्डर लागू किये हैं और उसके तहत जो थोड़ा बहुत स्टाक की तलाशी लेनी शुरू की हैं उससे फूड ग्रेन आज बाजार से स्केअर्स हो गया है। पहले कीमत ज्यादा पर मिलती थी चीजे पर मिल जाती थीं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो अगर आपको फूड रिक्वीजिशन करना है सो फुल स्केल पर करिये और यह जो फूड ग्रेन मर्चेन्ट्स ने आज आपको व पब्लिक को चैलेन्ज फेंका है कि आप सरकारी तौर पर यह काम नहीं कर पावेंगे, आप करने जावेंगे तो मिसमैनेजमेन्ट और करप्ट मशीनरी के भरोसे आप गलती करेंगे और आखिर जाकर आपको छोड़ना पड़ेगा उनके भरोसे। यह सरकार को कोएर्स करने के लिये फूड ग्रेन डीलर्स ने एक किस्म का अनहोली एसोसियेशन, अनहोली एलाइन आपके ऑफिशियल्स के साथ बनाया है। मैं जानता हूं कि हालत इसी तरह रही तो यह स्कीम आपकी फेल हो जावेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की पॉलिसी फूड ग्रेन का व्यापार स्टेट द्वारा किया जाय यह है। फूड ग्रेन रिक्वीजिशन आदि के जो ऑर्डर हैं वे इसी दिशा की तरफ बढ़ने के संकेत है। ये सारी चीजे स्टेट ट्रेडिंग की तरफ है।

३. २२ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

आज सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न लाना चाहती है और पब्लिक सैक्टर को बढ़ाना चाहती है उसको जिस तरह से प्राइवेट सैक्टर का बिजनैस कम्युनिटी चैलेन्ज कर रही है और इस पॉलिसी को फेल करना चाहती है वह सामने है। वह हर एक स्टेप को रोकना चाहती है, उसकी प्लान डिटिंग की स्कीम है। उनका नारा है कि अल्टीमेटली सरकार पब्लिक सैक्टर में फेल होगी, और यू हैव टू डिपेन्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात की मिसाल मैं देना चाहता हूं। चन्द रोज़ पहले गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने डिसीजन दिया कि ऑटोमोबाइल्स जो अब तक प्राइवेट सैक्टर में बनाई जाती थी और वे गवर्नमेंट के ऑर्डिनेन्स डिपोज को प्राइवेट

(श्री पी० के० चौधरी)

व्यक्ति से अधिक कीमत पर बेचा करते थे जो प्राइवेट व्यक्ति को वे १५ हजार में देते थे उसी को सरकार से डबल कीमत लेते थे, तो इन कारणों से अब ये ट्रक ऑर्डिनेन्स फैक्टरीज में ही सरकार बनावेगी और जापान और वेस्ट जर्मनी की कम्पनी के साथ पैक्ट किया। इस डिसीजन के विरोध मे जितने कैपिटेलिस्ट हैं टाटा, बिड़ला और प्रिमियर ओटोमोबाइल्स आदि के लोग सारे के सारे अखबारों के जरिये प्रोपेगन्डा करने लगे हैं कि इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जावेगा सरकार चला नही सकेगी, पब्लिक सैक्टर फेल हो जावेगा पब्लिक का पैसा खराब जायगा, और इन सब बातों से वे यह साबित करना चाहते हैं कि स्टेट एन्टरप्राइज लैस एफीसियेन्ट होते हैं। और इस तरह से पब्लिक सैक्टर को फेल करने की कोशिश करते है और करेंगे ही क्योकि उनके निहित स्वार्थ समाप्त होते हैं, उनको जो आज गवर्नमेन्ट से करोड़ों रुपये की मुनाफे की आमदनी मिलती है वह बन्द हो जावेगी।

और इसी तरह से आपके वीट रिक्वीजिशन करने और स्टेट ट्रेडिंग फूड ग्रेन में करने की जो पॉलिसी है उसको भी टारपीडो करने की उनकी कोशिशें तेजी से शुरू हो गई हैं। उन्होने रिक्वीजिशन करने से पहले जो काफी स्टाक बाजार में निकाल रक्खा था, रिक्वीजिशन के ऑर्डर निकलते ही डिसएपीयर कर दिया है। और इस लिये छिपाया है कि वे नहीं चाहते कि यह स्टेट ट्रेडिंग सफल हो, इसलिये छिपाया है कि आप थक कर आखिर में उनके पास ही जाओ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्टेट ट्रेडिंग की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं वे बढ़ते जावेंगे वी आर हैडिंग टुवार्ड्स इट।

आज नहीं तो दो साल में हमें इसे पूरा का पूरा एडोप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन को नीचे रखना है तो अगर आप इसकी कॉस्ट ऑफ कन्ट्रोल नहीं कर पावेंगे तो हरएक चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जावेगी, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जावेगी क्योंकि लेबर अधिक डिमान्ड करेगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इससे बढ जावेगा और इस पर से और सब खर्चे बढ जावेंगे तो इसके फलस्वरूप इन्डस्ट्रीज की कॉस्ट प्रोडक्शन भी बढ़ जावेगी। इसलिये यह सब का रूट काज है और इसकी कीमतों को आपको स्टेबिलाइज करना ही होगा, वरना आपकी योजनाएं फेल होने की आशंका पैदा हो जावेगी। उनका खर्च भी इसी के फलस्वरूप बढ जावेगा। और इस फूड ग्रेन की कीमतें तब कन्ट्रोल में रहेंगी कि जब स्टेट इसका ट्रेड करेगी। नहीं तो अगर ब्लैक मार्केटियर और होर्डर और प्राइवेट डीलर के हाथ में इसका ट्रेड रहेगा तब तक प्राइजेज स्टेबल नहीं रह सकती।

यह नहीं करेंगे तो दो चीजें होंगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, इससे जाकर हमारी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और इससे हमारी प्लानें जो हैं चाहे सैकन्ड हो चाहे थर्ड हो उसके प्रोपर एग्जीक्युशन के लिये जो सबसे ज्यादा अहम बात है वह यही होगी। कि इसकी कीमतें न बढ़े। इसके लिये जो स्टेप लिये हैं दीज आर दी स्टेप्स टू रेग्युलेट। तब जाकर यह होगा जब स्टेट ट्रेड करेगी और इस चीज को नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल ने भी माना है और मेजुअर्ली इस ट्रेड को

(श्री पी० के० चौधरी)

सरकार को पूरी तरह से अपने हाथ में लेना ही होगा नहीं तो ये जो कैपिटिलिस्ट सरकार की पब्लिक सैक्टर की पालिसी को फेल करने पर तुले हुए हैं वे आगे जाकर फैल कर देंगे। उन्होंने इस फूड ग्रेन की स्केअरसिटी से भी सरकार की पॉलिसी को फेल करने की नीति अपनाई है। इसे आपको समझना होगा।

अब यह तो है कि आपको ट्रेड करना है। पर इस नौ लाख से कुछ नहीं होगा। इससे तो फूड रिक्वीजिशनिंग का आपका जो ऑब्जेक्शन है उसकी रीडीकूल होगा, फेल होगा। आपकी सारी स्कीमें मिडिलमैन की आड़ लेकर व्यापारी फेल करे देंगे और बाद में आप हाथ धोकर बैठे रहोगे। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आपको रिक्वीजिशन करना है तो फुल स्केल पर करिये और पूरी स्कीम बनाकर करिये और इस बात का निश्चय करके कि इन लोगों के जरिये हमें इसका ट्रेड नहीं करना है आप आगे बढ़िये। या तो सरकारी शॉप्स के थ्रू ग्रेन बेचिये, या कोऑपरेटिव सोसाइटियों के थ्रू पब्लिक को ग्रेन दीजिये। आप यह तय करलें कि फूड ग्रेनों का डीलिंग लाइसेन्स होल्डरों से नहीं करावेंगे। जब तक आप यह करेंगे तब तक प्रोफिटियरिंग रहेगा, अनाज छिपाने की ये बराबर कोशिश करेंगे। डिस्एपीयर कर देंगे, स्केअर्स कर देंगे। तो इस बारे की नीति साफ हो जानी चाहिये, फिर दूसरी बात या तो आप अपना शोप्स के जरिये इसको वितरण कराइये या कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिये और इस स्कीम को लेकर करेंगे। और फिर इमसे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे इतना ही कहना है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं भी इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ और विशेषकर दुर्भिक्ष की मांग पर।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं उस जिले की बात बताता हूं जहां कभी दुर्भिक्ष का नाम नहीं सुना होगा और वह है जिला भरतपुर। आज वहां दो वर्षों से फसल बिगड़ती आई है। धौलपुर में भी यही हालत है। भरतपुर का वह इलाका जो बरसात के अन्दर पानी से भर गया और धौलपुर का वह इलाका जो दो बरसों से पार्वती बांध की उपधारा की वजह से चौपट हो गया मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वहां की हालत क्या है। वहां आज यह स्थिति है कि दो सालों से कोई फसल नहीं हो रही है और अन्न की मुश्किल हो गई है। वहां गेहूं का भाव ३२) और ३४) मन तक इस समय हो गया था और फिर अच्छा अन्न तो मिलता ही नहीं। सरकार की व्यवस्था भी अपर्याप्त है। इस की ओर भी काफी ध्यान दिलाया गया पर सब बेकार रहा।

हमारे यहां देहातों में जाड़े में बाजरा भी खाया जाता है। निवेदन करूं कि बाजरे की फसल भी पिछली वर्षाधिक्य के कारण खराब हो गई। सब जानते हैं कि बाजरे की फसल के लिये अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती लेकिन जिस इलाके का एवरेज २४–२५ इंच के बीच होता था वहां पर ६०–६१ इंच तक पानी हो तो आप अन्दाजा करें कि फसल किस तरह से ठीक हो सकती है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सहायता की व्यवस्था की थी, उसमें किस प्रकार की सहायता दी उसको यहां हाउस में बताया गया है कि दस लाख रुपया बारह लाख रुपया सहायता के लिये दिया गया। मैं जिस सहायता का जिक्र करना चाहता हूं वह मकानों के लिये और वह रकम २ लाख ८० हजार की थी। कहा

(श्री पी० के० चौधरी)

तो गया और दुनियां भर के आंकड़े इकट्ठे किये गये लेकिन हुआ क्या जब कि कमिश्नर साहब भरतपुर गए तो उन्होंने कहा कि यह रकम वितरण नहीं की जाये। यह मकान बनाने के लिए सहायता थी। आज जो लोग वर्षा के अन्दर परेशान थे और उस परेशानी के कारण अगर वहां पर जिन लोगों की झौंपड़ियां बैठ गई है उनको कुछ सहायता सरकार से दी गई और कुछ लोगों ने चन्दा कर के और थोड़ा बहुत गवर्नमेन्ट की तरफ से पल्लड़ बांटे गये थे तो आज के शीतकाल में सदस्यों को मालूम है कि कल यहां पर कुछ ठंडी हवा चल रही थी तो यहां भी लोग परेशान हो रहे थे और जब कि आज कल के दिनों में सर्दी होने के कारण निमोनिया का डर है तो जो सहायता मकानों के बारे में रखी गई वह काफी नहीं थी। शायद कमिश्नर साहब को यह सनक सवार हुई कि शायद मकान फिर बैठ जायेंगे। आप ही सोचिए कि २ लाख ८० हजार रुपये की रकम कोई ज्यादा रकम नहीं थी। आपने तो यहां कह दिया कि यह रकम वहां पर बांटी गई और वहां पर अधिकारी जाकर कह देते हैं कि रकम वितरण न की जाये। इस समय जो देहात का इलाका है और विशेषतः जो फ्लड के अन्दर एरिया आया हुआ है। वहां बाजरे कि आज कल सर्दी के दिनों में बहुत आवश्यकता है। मैं जब उस इलाके में खुद गया तो मैंने देखा कि बाजरे की फसल पानी में रहने के कारण बाजरा फूल गया था, अगर आप उसको जरा सा भी टटोलें तो वह राख हो जाये। आजकल जाड़े का मौसम है और वहां पर बाजरा नहीं है और लोगों को बहुत भारी मुसीबत है। जब कि आज आपके यहां जयपुर से और दूसरे इलाकों में अनाज जाना बन्द है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक वह भी समय था कि धौलपुर और भरतपुर में काफी अनाज होता था और वहां से दूसरे इलाके में भेजा जाता था। लेकिन आज धौलपुर और भरतपुर पर मुसीबत आई हुई है और इस पर हमारी राजस्थान सरकार चुप है। न जाने एक तो प्रकृति का प्रकोप उस पर है और दूसरे सरकार की तरफ से क्यों उसे दण्ड दिया जा रहा है। धौलपुर और भरतपुर की आज ऐसी स्थिति है कि वह एक तरफ तो उत्तरप्रदेश से लगा हुआ है, और दूसरी तरफ मध्यप्रदेश से और अनाज दोनों तरफ से आना बन्द है।

इसके बाद में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ व्यापारी जो कि किसी प्रकार से वहां की जनता का पालन पोषण करना चाहते हैं। वह चावल इम्पोर्ट करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि यह चावल एम्पोर्ट करना लीगल है या इल्लीगल। मगर धौलपुर का एस० डी० एम० एक बैंगन के ऊपर एक रुपया चन्दे के नाम से इकट्ठा करता है और कुछ उन्हीं के वहां के लोगों द्वारा एक दुकान है जिसमें १८-२० रुपया खर्च कर बाजरा लिया उसमें न तो लास और न प्राफिट पर बेचा जाता हो वह चंदा सारा का सारा गोल हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह चन्दे के रूप में पैसा आप व्यापारियों से कैसे वसूल करते हैं और न जाने किस कानून के अन्तर्गत वह व्यापारी भी रुपया देते हैं। आखिर कुछ तो आपका हिसाब होना चाहिए तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस समय इमीजियेटली कोई ऐसा एक्शन लिया जाये कि खास तौर से देहातों में बाजरे के वितरण की व्यवस्था की जाये। हम नहीं चाहते कि आप हमें गेहूं खिलायें। आजकल

(श्री पी० के० चौधरी)

सर्दी के दिन हैं बाजरा भी खाया जा सकता है। इसके साथ ही में यह भी अर्ज करूंगा कि वहां के लोग हमेशा बाजरा नहीं खाते। लेकिन हमें चने की और ज्वार की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इन दिनों जाड़े के समय में बाजरे से भी गुजर हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा इस समय जो गांवों का इन्टीरियर का इलाका है उसमें बाजरे की इस समय काफी जरूरत है, जहां कि बारिश ने तमाम बर्बाद कर दिया है।

अब मैं आपका ध्यान उस सहायता की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका बड़ा भारी प्रदर्शन किया गया था। आप देखिये कि जिस समय धौलपुर सब-डिविज़न में सहायता की बात आई, तो आपका तहसीलदार पांच-पांच रुपया देता है। लोग पन्द्रह-पन्द्रह मील से मांग कर आते हैं गांवों से और आपका तहसीलदार कहता है कि मैं सहायता बाटूंगा और बांटता है दो, रुपया। जब गांव वाले कहते हैं कि सिर्फ दो रुपया ही सहायता आप हमको देते हैं तो फिर वह पांच-पांच रुपया दे देता है। अगर उन्होंने इससे कुछ ज्यादा कहा तो वह साफ कह देते हैं कि मेरे पास रुपया नहीं है। आप अन्दाजा करिये कि उस व्यक्ति का जो १।। रुपया रोज ले आता है मेहनत करके उसको सुबह से बैठा रखा है वह तहसीलदार की पेशी में आयेगा और रात को सात बजे तक बैठा रहता है और दो, तीन या पांच रुपया के लिये वह बैठा रहता है। फिर आप क्या सहायता देते हैं? क्या यह सहायता काफी है।

फिर दूसरी बात यह है कि जो आप तकावी देते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ३० रुपये की तकावी से वह क्या बैल खरीदेगा क्या अनाज लायगा, क्या मकान बनायेगा? आपसे कर्जा मांग रहे हैं वह भी आप तीस रुपया देते हैं। आप अन्दाजा करिये कि उस व्यक्ति का तीस रुपये में क्या होने वाला है। इसका तो वह एक मन अनाज भी नहीं ला सकता है। तो ऐसी स्थिति है आपके सहायता वितरण की। आप कर्जा नहीं देना चाहते हैं, आप खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं तो यह किस प्रकार की घटना है। एक तरफ तो आपकी नाराजगी और एक तरफ देवी प्रकोप। तो यह सोचने की बात है। तो मैं आपका ध्यान पुनः इसलिए दिलाना चाहता हूं कि अब तक जितना भी बाजरा इस इलाके में था वह फसल के खराब होने के कारण सब खत्म हो गया और मैंने यहां तक देखा कि लोगों ने बाजरों की कच्ची कच्ची बालें निकाल कर और कढाई में सुखा सुखा कर और पीस कर के खाया है। अब लोगों के पास बाजरा नहीं है। अगर इसी प्रकार की स्थिति उस इलाके की रखी गई तो निश्चितः आपसे बाद में उस इलाके की सिचुएशन नहीं संभल सकती है। इसलिए वहां की स्थिति सुधारने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि लोग भूखों न मरें। किसी प्रकार ही आप ऐसा व्यवस्था करिये कि जिससे लोगों को इस सीजन में बाजरा तो मिले और उसकी शहरों और गांवों में समुचित व्यवस्था हो। जो मकान बनाने के लिए योजना है और जिसके लिए सहायता दी जाने को है और जो रकम मंजूर हुई है उसको किस प्रकार से कमिश्नर साहब ने रोक रखा है, उसके लिए अविलम्ब वितरण की व्यवस्था करें। तकावी के लिए जो रकम दे रहे हैं उस पर दुबारा विचार किया जाये। आप कर्जा ही तो दे रहे हैं कोई खैरात तो

(श्री पी० के० चौधरी)

बांट नहीं रहे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस रकम को क्यों नहीं बढ़ाया जाता। आपके पेन्डिग में काफी दरख्वास्तें हैं। मैं आशा करता हूं कि तकावी की रकम भी बढ़ाई जायेगी, अनाज की व्यवस्था की जायेगी और मैं पुन: मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह धौलपुर और भरतपुर की स्थिति पर कुछ विचार करें।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, मैं विनियोग बिल के सम्बन्ध के कुछ अपने शब्द कहना चाहता हूँ। यदि इस बिल को देखें तो एक करोड़ ४२ लाख ३३ हजार रुपया कन्सोलीडेटेड फन्डस् देने के लिए प्रावधान रखा है। यदि इन मदों को देखें तो मालूम होगा कि यह जितनी भी मदें हैं वह जनहित के कार्यों के लिए और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए यह रखी गई हैं। यदि शिक्षा के बारे में देखें तो जैसा बजट पहले आया था केवल १० हाईस्कूल का उसमें प्राविज़न था और उसको बढ़ा करके ३६ इसके अन्दर और बढ़ाई गई। मैं डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने उसको ठीक तरह से देखा है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें फीमन में जो रिलीफ दी गई है, उस दृष्टि से देखें या तकावी के लिए जो व्यवस्था की गई और सारे दृष्टिकोण से देखते हैं तो ज्यादातर जनहित कार्यों के लिए इसमें रखी गई है। फिर भी यहां पर जो माननीय सदस्यों ने बहस की और हमने सुनी और उससे विदित हुआ कि माननीय सदस्यों ने इस बिल के अच्छे पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं दिया केवल एक समीक्षा की दृष्टि से और क्रिटिसिज्म की दृष्टि से जो कुछ कहना था वह कहा और खास तौर से माननीय सभापति महोदय इस बिल के अन्दर जो पुलिस की मद थी उसके बारे में ज्यादा बहस की गई। माननीय सभापति महोदय पुलिस की एक्सेस के बारे में मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि इतना बड़ा विशाल अपना राज्य है उसमें एक्सेज़ हुई हो लेकिन इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य इस बात पर एतराज नहीं कर सकता यदि इस राज्य के अन्दर कुछ पुलिस के बारे में एक्सेस की जाये...

पुलिस एक्सेसेज़ के बारे में कोई रेलेवेन्ट आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। न वह यहां जो डिमान्ड थी उससे ताल्लुक रखते थे, फिर भी कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में विचार प्रकट किये हैं। हो सकता है कि वह सत्य हो, लेकिन इसके साथ यह भी सही है कि यह अपना फर्ज है कि एक्सेसेज़ सरकार के सामने लायें और जो पुलिस के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनको सजा दिलाने की कोशिश की जाय। कोई भी कल्याणकारी राज्य या डेमोक्रेटिक राज्य यह पसन्द नहीं करेगा कि पुलिस अधिकारी एक्सेसेज़ करें, अत्याचार करें या जुल्म करें, क्योंकि यह जनता का राज्य है और जनता को शान्त करना राज्य का मुख्य कर्तव्य हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, जो इस डिमान्ड का रेलेवेन्ट पोर्शन पुलिस के बारे में था वह यह था कि जो यहां आन्दोलन हुआ था उसके लिए १,४६,०००) रु० के खर्चे का प्रावधान रखा था। उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कटु-आलोचनाएं की हैं पुलिस के एक्सेसेज़

Page No.93

(श्री सोहनलाल भटनागर)

के बारे में। क्या उसका नज़ारा रहा उसके बारे में कहा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में यह कहा था कि जो कुछ यह खर्च किया और आन्दोलन को दबाने की कोशिश की गई उसका जुडीशियल मोटिव नहीं था। उसके बारे में यह निवेदन करना था कि यदि हम इसके इतिहास के अन्दर जायं तो विदित होगा कि इसके लिए भारत सरकार ने राजस्थान सरकार की प्रार्थना पर एक राव कमेटी मुकर्रर की थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वे बहुत बड़े हाईकोर्ट के जज रहे हुए थे और उन्होंने जो कुछ विचारधारा दी तो यदि वह विचारधारा अगर हमारे स्वार्थों के बीच में आये या उस विचार धारा से हमारा समन्वय नहीं हो तो हम उसको ठीक नहीं समझते हैं और दूसरी बात यह है, माननीय सभापति महोदय, कि आज यदि हम देखें तो सरकार ने जो भी कार्यप्रणाली अपनाई है उसको यदि देखें तो इसमें सरकार ने कोई भी त्रुटि नहीं की। पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से, उस जनता की तरफ से जिसको यहां कुछ लोगों ने उकसाया था, कितनी गड़बड़ की गई थी, कितनी हिंसा की कार्यवाही की गई थी, लेकिन सरकार ने कहीं भी हिंसा की, कहीं भी गोली चलाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जबकि हम देखते हैं कि केरल में कम्युनिस्ट सरकार ने भी जहां हिंसा की कार्यवाही हुई है, वहां गोली चलाई है। यह प्रशंसा का विषय है कि हमारी सरकार में इतने दन्टे-फसाद हुए, बिजली के खम्भे तोड़े गये, बिजली के बल्ब फोडे गये, सरकार और जनता की प्रोपर्टी को समाप्त करने की कोशिश की गई, इसके बावजूद भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो हिंसात्मक कहा जा सकता हो। लेकिन कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहां जो शान्त जनता है, और वह शान्त जनता अपना कार्य ठीक से कर सके उस कार्य को करने देने के लिए थोड़ी बहुत हिंसा की आवश्यकता है। हिंसा की कार्यवाही को दबाने के लिये सरकार का रुपया खर्च हुआ तो वह व्यवस्था करने में हुआ है और कोई भी सभ्य कहलाने वाली सरकार का फर्ज हो जाता है कि पूरी व्यवस्था करे। इसलिए जितना पैसा खर्च किया गया है वह ठीक किया गया है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो कुछ खर्च किया गया है उससे इस बात का फायदा हुआ है कि भविष्य में ऐसा कार्य न करें। जयपुर की जनता को और दूसरी जनता को सबक मिला है कि ऐसे इश्यु नहीं लें जिसके पीछे जनता का विश्वास नहीं हो, जनता का सम्बन्ध नहीं हो और खाली जनता के लोगों को उकसाने के लिए कुछ लोग अपने स्वार्थों का साधन करने के लिये कोई इश्यु ले बैठते हैं, तो उसका अन्जाम क्या होता है वह इस आन्दोलन ने बताया और इस ख्याल से जो १,४६,०००) रु० खर्च हुआ है वह हमारे भविष्य के काफी फिजूल खर्चा को रोकेगा। आज हम देखते हैं कि समाजवादी आन्दोलन कर रहे हैं। उसकी रूप रेखा हमारे सामने आई है वह कोई ठीक कदम नहीं है। इन सारे दृष्टिकोणों से मैं सरकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि जो कुछ कदम लिया है वह ठीक है। शान्तिपूर्वक तरीकों से हिंसा का सामना किया है और वह कदम प्रशंसनीय था।

सभापति महोदय, दूसरा इश्यु जो हमारे सामने आया है और माननीय सदस्यों ने

(श्री सोहनलाल भटनागर)

उठाया है वह है खाद्य का। दरअसल में इन गये दिनों के अन्दर, गये महीनों के अन्दर राजस्थान के अन्दर खाद्य-स्थिति काफी विकट हो गई है, और अब भी मैं समझता हूं कि काफी विकट है। लेकिन सरकार ने जो कुछ भी कदम लिया है रिक्विजिशन ऑर्डर पास करके, उसके बाद रिक्वीजिशन करके और एसेन्शिल कमोडिटीज् एक्ट के मातहत जो कुछ ऑर्डर पास किये गये हैं वे दरअसल में सब प्रशंसनीय है। जयपुर के अन्दर कुछ जगह अनाज मुहैया नहीं होने का राजनैतिक कारण है। जो कुछ कदम उठाये गये हैं उसके खिलाफ नाराजगी है इस कारण से व्यापारी लोगों ने अनाज दबा रखा है। लेकिन दूसरे जिलों के अन्दर जैसा कि उसके बारे में पाया गया है कुछ शब्द आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। दूसरे जिलों में उयदपुर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां खुले आम काफी अच्छा अनाज मिल रहा है। काफी अच्छा गेहूं १९-२० रु० प्रति मन है। गांवों में मक्की, जो वहां का स्टेपल फुड है वह ९, व १० रु० प्रति मन आज भी मिल रहा है। इस तरह से कई जगह हैं। कोटा डिविजन वगैरह में अनाज इसी तरह से मिल रहा है। लेकिन एक बात, सभापति महोदय, मैं इस मौके पर जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि फेयर प्राइस शॉप्स जो खोली गई है वह १० हजार की आबादी वाले कस्बों में ही खोली गई हैं। १० हजार से नीचे ५ हजार तक के जो म्युनिसिपल टाउन्स हैं उनके अन्दर फेअर प्राइस शॉप्स खोली जानी चाहिये। लोग बड़े शहरों के अन्दर ही नहीं रहते हैं, ऐसे शहरों और कस्बों के अन्दर भी लोग रहते हैं जो खेती का धन्धा नहीं करते हैं और बाजार में आने वाले अनाज पर आश्रित रहते हैं; तो भावों के अन्दर फर्क रहता है। इस मौके पर मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कुछ म्युनिसिपल टाउन्स हैं उनके अन्दर भी फेअर प्राइस शॉप्स खोली जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अलग-अलग विषयों को यदि हम लें तो काफी लम्बा वक्तव्य दिया जा सकता है। मुख्य-मुख्य बातों पर जो मेरे दिमाग में थीं वे मैंने सदन के सामने निवेदन कीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): माननीय सभापति महोदय, इस विनियोग में दुर्भिक्ष की मांग पर राहत कार्यों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। इस सदन के समक्ष भरतपुर जिले में इस साल आई हुई बाढ़ के प्रश्न को लेकर कई बार वाद-विवाद हुआ है और वहां की स्थिति से संबंधित मंत्री महोदय को अवगत किया जाता रहा है; लेकिन आज भी मुझे यह कहने में थोड़ा खेद हो रहा है; कि उस स्थिति को रोकने के लिए अब तक कोई भी कारगर कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। मुझे स्मरण होता है कि जिस दिन इस सदन के समक्ष बाढ़ से उत्पन्न दुर्व्यवस्था है उस पर हम लोग विचार कर रहे थे; तो हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने बड़े ही फक्र के साथ यहां कहा था कि हमने राजस्थान के इस बाढ़-ग्रस्त इलाके की सहायता के लिए १० लाख रुपये मन्जूर किये हैं, फिर कुछ उसको १२ लाख तक भी बतलाया था, लेकिन उसी दिन सायंकाल को जब यहां से जाकर मैं समाचार पत्रों को देखता हूं, तो पंजाब सरकार के यातायात मंत्री श्री वीरेन्द्रसिंह का एक

Page No.95

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वक्तव्य दिया हुआ मिला, उसमें उन्होंने यह बतलाया था कि गुड़गांवां जिले में उसी प्रकार की बाढ़ के लिए उन्होंने ४६ लाख रुपये मन्जूर किये, जिससे केवल १७ लाख केवल राहत कार्यों के लिए थे जब कि मैं समझता हूं हमारे यहां २ लाख ही दिये गये थे एक ओर जहां १७ लाख केवल राहत कार्यों के लिए है, वहां यहां पर कुल १०,१२ लाख दिये गये हैं जिसके अन्दर उन चीजों को भी सम्मिलित किया गया है और २ लाख के राहत कार्यों का जहां तक मुझे पता पड़ा है, उस क्षेत्र से वह राहत किन २ जगहों पर दी, किन किन व्यक्तियों दी, इसका कोई पता नहीं है। यहां तक मुझे मालूम हुआ है कि जो गांव पानी में डूब गये, जिन लोगों के घर के घर तबाह हो गये, वहाँ सरकार की ओर से डोंगियां लाकर दी गईं, कुछ नावें दी गईं और 'मरे को मारे शाह मंदार' जैसी कहावत है उन गांव वालों से दो दो रुपये की डोंगी के हिसाब से किराया वसूल किया गया। यह राहत का कार्य है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के घर तबाह हो चुके थे, उनके यहां सरकार द्वारा सिरकी पहुंचाई गई और सिरकी जैसी चीज राहत कार्य में बांटनी चाहिये थी, लेकिन मुझे बतलाया गया कि सिरकियों के पल्लड़ के ४.४ रुपये वसूल किये गए, जब कि बाजार में २ या ढाई रुपये से अधिक उसकी कीमत नहीं है। यह राहत का कार्य है और अनाज की हालत यह है कि भरतपुर में लाल ज्वार दी गई जो सड़ी-गली थी, लोगों ने उसे लेना नामंजूर किया। जिस समय भारत सरकार के खाद्य मंत्री श्री अजीत प्रसाद जी जैन और श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता वहां पधारे थे उस समय लोगों ने वह ज्वार उनके सामने रखी और उनसे निवेदन किया कि आप खाकर देखिये। यह सौभाग्य था कि जैन साहब के सामने कहा गया कि इसकी बिक्री बन्द कर दी जाय। लेकिन उसके बाद भी स्थिति विषम से विषम होती गई।

अभी मुझे कहा गया कि तीन चार दिन पहले वहां पर गेहूँ बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो रहा था। वहां पर एक प्रोफेसर ने एक दूसरे व्यक्ति से कहा कि आपके जानकार लोग हैं, इसलिए हमारे लिए भी कुछ गेहूँ लाकर दें। इस तरह से जो लोग बाहर से आये हैं उनको बड़ी असुविधा होती है। वहां के लोगों के लिए सस्ते धान की व्यवस्था जरूर की है कि लेकिन जैसा कि मैंने सम्बन्धित मंत्रीजी को बताया था, कि वहां पर इतनी भीड़ लगी रहती है कि साधारण लोग और अच्छे घराने के जो लोग हैं, या जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको गेहूँ मिलना दूभर हो जाता है, वहां पर बड़ी भीड़ हो जाती है। जब मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया तो मुझे बतलाया गया कि उनके लिए आइडेन्टिफिकेशन कार्ड्स की व्यवस्था है लेकिन अनाज २ रुपये मिलता है अभी कहा गया कि बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहां पर सिर्फ २ रुपये का अनाज एक हफ्ते में मिलता है। यदि वे वहां से नहीं लें और व्यापारियों से लें तो ३६ रुपये मन के क हिसाब से वे दे रहे हैं, १ रु० का लगभग १ सेर। यदि साधारण व्यक्ति के घर में ५,७ व्यक्ति हों तो किस तरह से वह अपना गुजर कर सकता है। कलेक्टर साहब से जब इसके बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि व्यापारी कहीं से भी ला सकता है और बेच सकता है। लेकिन व्यापारी कहीं से लाकर कैसे बेचे। उनके सामने इतना पेनिक खड़ा हो गया है कि वे वहां से भाग गये कोई आगरा चला गया है तो कोई दूसरी जगह चला गया है और

Page No.96

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कोई जयपुर आ गया है। पुलिस का ऐसा आतंक रहा कि न मालूम उन पर कौनसी दफा लगा दी जाय। मेरी उन व्यापारियों के साथ में कोई सहानुभूति नहीं है जो जनता को भूखों मारें, लेकिन मैं उस राज्य की प्रशंसा नहीं कर सकता जिसने व्यापारियों पर आतंक फैला रक्खा है, जो वे अनाज ला सकते थे और जो स्टाक उनके पास था उसको वेच सकते थे लेकिन समझ में नहीं आया कि पुलिस की सी० आई० डी० जिसका काम होता है कि इस तरह से गवर्नमेन्ट के आॅर्डर की अवहेलना होती हो उसको रोकें, लेकिन कोई समाचार सुनने में नहीं मिला कि किसी भी स्टॉकिस्ट का स्टॉक पकड़ा गया हो। कहीं दूर दराज गांवों में स्टाक अवश्य पकड़ा गया है। इसका कुल मिलाकर असर यह हुआ कि आज वहां के लोग दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं। हम जिधर जाते है उधर लोग कहते हैं कि जिस वक्त ८ या १० सेर का अनाज बिकता था उस समय हम सरकार के खिलाफ जलूस निकालते थे और सरकार से मांग करते थे लेकिन आज क्या हो रहा है? हम इस बारे में मन्त्री जी से कहते रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी कोई इन्तजाम नहीं हुआ है।

कमेटी बनाने की सूचना दी गई लेकिन समझ में नहीं आया कि कमेटी की कब तो बैठक होगी और कब वह रिपोर्ट देगी और कब उस पर अमल होगा लेकिन हालत तो आज खराब हो रही है लोगों के पास खाने को अनाज नहीं रहा है, जनता को राहत तो आज देनेकी जरूरत है। कमेटी बना देते, रिपो- मांग लेते और उसपर अमल भी करते रहते लेकिन तत्काल अनाज उपलब्ध किया होता। जहां पर अनाज नहीं है, जहां पर धंधा नहीं है, जहां पर दवा-दारू का इन्तजाम नहीं है वहां पर बाहर से लाकर, तेज भाव पर खरीद कर भी उचित मात्रा में बेचते तो लोगों को कुछ राहत मिलती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वे कहते हैं कि व्यापारी लाकर बेचें तो किसी भी तरह जनतंत्र में सरकार, जनता के मतों पर आधारित सरकार है इसके लिये इस प्रकार की बात कोई शोभा की बात नहीं है। इन चीजों को उपलब्ध करने का प्रयत्न होना चाहिये था। हमारे देश में जब भी खाद्यान्न की कमी रही है, जिस समय राजेन्द्र बाबू खाद्य मिनिस्टर थे उस समय करोड़ों मन अनाज अमेरिका से लाया गया था। इसका अनुकरण राज्य सरकार को भी करना चाहिये। बाहर से पंजाब से या और कहीं से मंगाना चाहिये था। कहते हैं कि २० तारीख तक अनाज आ-जायेगा। लेकिन आयेगा कहां से, कनाड़ा का अनाज आयेगा। कनाडा का गेहूं यहां पर खाद्य मंत्रीजी ने कहा था कि १ रु० का गेहूं उन्होंने मंगाकर देखा था और उसकी रोटी उन्होंने बहुत पसन्द की। मैं कहता हूँ कि गेहूं तो मैंने नहीं मंगाया लेकिन उस गेहूं का आटा मैंने मंगाया था। तजुर्बे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक वक्त उस गेहूं की रोटी खाने के बाद दूसरी बार उसे कोई नहीं खायेगा। जो सरकार की यह नीति है कि बाहर से मंगाकर यहां बेचा जाय और यहां का बाहर भेजा जाय यह समझ में नहीं आया कि यह कैसी नीति है। कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार ऐसा ही कहती है। लेकिन केन्द्रीय सरकार को भी कहा जा सकता है और इस पर भी वह नहीं माने ऐसी बात नहीं है। जितनी विनियोग की मांगे प्रस्तुत करते हैं उनका सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि जिस आधार पर मांग करते हैं उसी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आकार पर कार्यवाही करें। राहत के कार्य के लिये बताया २ लाख रुपये कुछ नहीं थे, तकावी नाकाफी थी जहां गांव के गांव तबाह हों, जिनके रहने के लिये मकान नहीं रहे उनके मकानों के लिये सिर्फ मात्र देते हैं जिसके बदले में चार रुपये वसूल करते हैं, जिन लोगों को गांवों में डागी दी हैं उनसे २ रुपये फी डागी वसूल करते हैं, मैं समझता हूँ यह उचित नहीं है और सरकार कम से कम विनियोग मांग स्वीकार होने पर भी अपने कर्तव्य को नहीं भुलायेगी। जहां पर लोग बाढ़ और बीमारी के मारे परेशान हों, जहां खाद्यान्न दुर्लभ हो रहा हो, जहां पर पहनने को कपड़ा नहीं हो, वहां शीघ्रातिशीघ्र रकम और चीजें मिले उसका अच्छा से अच्छा उपयोग हो और सरकार का जो कर्तव्य है उसका पूर्णरूप से पालन करे।

श्री सभापति मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से जवाब लगभग ४ २५ पर दिया जायगा। आधा घंटा करीब मंत्रीजी लेंगे। इस बीच के आधा घंटा करीब समय हमारे पास है। इस समय का सदुपयोग करने के लिये माननीय सदस्य कम से कम समय लें तो अच्छा रहेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर खाद्यान्न की व्यवस्था चल रही है, उसके विषय में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे सामने दो-तीन अनुच्छेद में मांगे रखी गई हैं, पहली मांग है रबी प्रोडक्ट में जो एडीशनल एक्सपेन्डीचर हुआ है, उसके लिए है ८ लाख रुपये की मांग। इसके अतिरिक्त ६ लाख रुपये की मांग फूड ग्रेन्स के रिक्वीजीशन के लिए है। मेरी इसमें आपत्ति है कि रबी अभियान के सिलसिले में जितना अनाज खरीदा गया और जितना आज खरीदा जा रहा है, जिसके लिए आप अतिरिक्त रकम चाहते हैं, मैं समझता हूँ जिस समय रबी अभियान का समय था, उस समय हमारी सरकार ने इसका प्रबन्ध किया नहीं। जगह जगह विकास खंडों के अन्तर्गत बी०डी० ओज० ने यह बात कही कि काश्तकारों को सरकार अनाज देगी, लेकिन काश्तकार सरकार की ओर देखते रहे, हमारी सरकार बात ज्यादा करती है, लेकिन कार्यान्वित करने में पीछे रह जाती है। वह किसानों को बीज नहीं दे सकी, इस कारण किसानों को फिर से बोहरों के पास जाना पड़ा और जैसे तैसे प्रबन्ध करना पड़ा। कई उदाहरण ऐसे देखने को मिलेंगे कि बहुत सी भूमि बीज के न होने के कारण बेकार पड़ी रही। जब हमारी सरकार का यह उद्देश्य था और देश के सामने अन्न की समस्या है, उसकी पूर्ति करने के लिए इस रबी की फसल को बहुत अच्छी करना चाहते थे, किसानों से आग्रह करते थे कि खेतों के अन्दर अधिक रबी की फसल करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने पहले से प्रबन्ध नहीं किया कि बीज किसानों तक पहुंचाये जाएं। जिस समय विकास खंडों के अन्दर शिविर लगाये जा रहे थे, उस समय कोई योजना होती, उस समय किसानों को बीज उपलब्ध हो सकता था। हमारी सरकार अतिरिक्त मांग करती चली आ रही है, हम अतिरिक्त रकम स्वीकार करते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मांग स्वीकार की जाती है, वे किसानों के हित के लिए नहीं है बल्कि किसानों के अलावा दूसरे लोगों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ने बीज खरीदा है। मैंने पहले भी आक्षेप लगाया था कि जिनको बीज मिलने चाहिए, छोटे काश्तकारों को, उनकी जगह दूसरे लोग अनाज ले लेते हैं। हमारे विकास खंडों के पास जो बीज पड़ा है, वह बीज अगर चाहिए था, उन लोगों को चाहिए था खेती के लिए जिनके लिए इस बीज को दिया गया था। लेकिन वास्तव में जिनको जरूरत नहीं है, उन लोगों ने सस्ते बीज को अपने यहां से खरीदा। इस प्रकार उन बड़े काश्तकारों का हाथ सरकार मजबूत करना चाहती है, जिनकी जेब पहले से भरी हुई थी। जिन काश्तकारों को बीज की आवश्यकता थी, उनको बीज मिला नहीं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीज के अलावा जो कठिनाई, उनके सामान्य जीवन में कठिनाई देखने को मिलती है, वह देखने को मिल रही है। हमारी सरकार कह रही है कि खाद्यान्न के भाव बढ़ रहे हैं, बहुत ऊंचे चले गये हैं, उनको रोकने के लिए फेअर प्राइसेज शॉप्स खोली हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिस प्रकार की कठिनाई है, उसके लिए फेअर प्राइसेज शॉप्स, माकूल इलाज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फेअर प्राइसेज शाप्स हैं, उन पर सुबह से १० बजे तक भीड़ लगी रहती है, इसलिए वहां से अनाज खरीदना कर्मचारियों के लिए, जिनके पास कोई प्रबन्ध नहीं है, मुश्किल हो जाता है। सरकारी कर्मचारियों को जिनको थोडी तनख्वाह मिलती है, उनके सामने बड़ी कठिनाई है। क्योंकि आज जो बाजार भाव है राजस्थान में वह भाव, अगर ४० का भाव है, और आज कम होता चला जा रहा है, तब भी ३५ रु० ३२ रु० मन का भाव चला आ रहा है। इस प्रकार राजस्थान में जो असमानता देखने को मिलती है, वह राजस्थान सरकार की नीति की असफलता का द्योतक है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भावों के विषय में कहते हैं कि व्यापारियों के पास जो होर्डेड अनाज था, उसको रिक्वीजिट किया है, जिन्होंने अनाज भंडारों में भर रखा था उसको छोड़ा है, और अब भाव गिर रहे हैं। मैं आपको जयपुर का ही उदाहरण दूं। बड़े बड़े अखबारों में समाचार छपे कि राजस्थान सरकार ने होर्डेड अनाज छोड़ा है, इससे १,२ दिन के लिए भाव गिरे। आज हालत यह है कि ३५ रु० मन तक भाव पहुंच गया है। इससे भावों का अन्दाज हो सकता है। अब आप एक क्लर्क की अवस्था देखिये आपके क्लर्क को ४० रुपये ६० रुपये मिलते, हैं, वह किस प्रकार से ३५ रुपये खर्च कर सकता है अनाज के लिए। दूसरे आपका ऑफिस का टाइम १० बजे का है। सर्दी के दिनों में सुबह निबटने आदि में दफ्तर का टाइम हो जाता है। अब आप उसकी हालत देखिये कि कब तो वह लम्बी लाइन में खड़ा होगा और कब बच्चों के पेट का पालन अनाज लाकर करेगा। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनके लिए समय की पाबन्दी होती है, जिनके पास समय नहीं है जो अधिक देर तक लाइन में खड़े नहीं हो सकते उनको अगर आप अनाज की सुविधा नहीं दे सकते, उनको अनाज खरीदने में प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो वे लाइन के अन्दर खड़े होकर अनाज प्राप्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि उनके लिए सरकार को दुकानें खोलनी चाहिए जिस प्रकार सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारियों के लिए। रेलवे ने इस प्रकार की शाप्स

(श्री दयाकृष्ण विजय)

खोल रखी है, जिन पर जीवन की आवश्यकता की वस्तुएं मिल जाती हैं। इसी प्रकार राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह अनाज और जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए, इन वस्तुओं को कर्मचारियों को देने के लिए, डिपार्टमेंटल सेल डिपो की व्यवस्था करे ताकि वे सुविधा से ले सकें और जीवन की आवश्यक वस्तुओं का जो बाजार में भाव बढ़ रहा है, उससे उनकी तनख्वाह के ऊपर किसी प्रकार का असर न पड़े। यह चीज अगर न की जाय तो उनके महंगाई भत्ते के अन्दर वृद्धि की जाय, इसके लिए मांग की जाय, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं होगी। जबकि लाखों रुपये इस प्रकार की बातों के लिए रखे जाते हैं तो आवश्यकता इस बात की है। भावों को नीचे लाने के लिए आप कहते हैं कि होर्डेड नाज रिक्वीजिट करना चाहते हैं, उसके लिए आपने ६ लाख का प्रोविजन रखा है, उसके लिए आप कहेंगे कि हम कलेक्टर को पॉवर्स देना चाहते हैं लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां कलेक्टर को अधिकार है कि जहां पर व्यापारियों के पास अनाज हो, तो उससे लेकर बाजार के भाव से बिकवा सकता है लेकिन राजस्थान सरकार व्यापारियों को पर्मिट दे रही है। चाहे कोटा के कलक्टर के ध्यान में नहीं था, पर यहां के रसद विभाग की ओर से एक पर्मिट दिया गया, कोटा से जयपुर तक अनाज लाने के लिए, श्री धर्मचन्द कन्हैयालाल को। कलेक्टर को अधिकार है कि वह खाद्यान्न रिक्वीजिट कर सकता है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि किस व्यापारी के पास अनाज है लेकिन हमारी राजस्थान सरकार के ध्यान में है और उसको रिक्वीजिट नहीं कराके उसको पर्मिट देती है और अनाज कोटा से चल कर जयपुर तक आता है। राजस्थान सरकार कहती है कि इस अनाज को जनता में बिकवायेंगे। यह कहां तक उचित है। एक तरफ आप कलेक्टर को होर्डेड ग्रेन को रिक्वीजिट करने की पॉवर्स देते हैं लेकिन दूसरी ओर पर्मिट देते हैं। इसी प्रकार पर्मिट धर्मचन्द कन्हैयालाल को दी थी। मैंने पहले कहा था कि मोजी माधव को जो पर्मिट दी गई थी उसके पीछे भी यह फर्म काम कर रही थी। उसी फर्म को दुबारा पर्मिट दी गई और जयपुर में लाकर वह अनाज उन्होंने बेचा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि एक ओर तो आप घोषणा करते हैं लेकिन दूसरी ओर उसके प्रतिकूल आचरण करते हैं। आज जनता के सामने सबसे बड़ी कठिनाई है कि गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं और वे किसी तरह कम नहीं होता है इसका कारण यह कि हमारी सरकार एक ओर व्यापारियों की पीठ थपथपाती है और दूसरी ओर भाषण में और अपने वक्तव्यों में इस बात की घोषणा करती कि भाव को नीचे कर रहे हैं। जिस समय खाद्यान्न मंत्री ने वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा कि एक सलाहकार समिति बना रहे हैं। उसके बाद हमारी सरकार क्या कर रही है, वह समिति कहां है, उसका कुछ भी रूप दिखाई नहीं देता है, न सरकार ने विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुला कर विचार किया है कि जो भाव ऊंचे हैं उनको नीचे रने के लिए क्या करें। इसके अलावा जो जोनल की चीज थी उसको आप हटा सकते हैं, आप बम्बई से मिले हुए हैं, उससे अपने को अलग करना चाहिए। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने उस समय से क्या प्रगति की है। हमने यह भी कहा कि राजस्थान से अनाज बाहर जा रहा है इसलिए अनाज को

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बाहर जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है, इन सब विषयों में विचार करना चाहिए था। लेकिन इन सब बातों पर विचार करने के लिए सारी पार्टियों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया। विरोधी पक्ष ने सरकार को आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में सहयोग देने को तैयार हैं लेकिन सरकार ने नहीं बुलाया, पूछा तक नहीं, तो मैं नहीं समझता कि आखिर लोगों को किस तरह साथ ले सकते हैं, इसका कारण क्या है मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पूंजीपतियों की सभायें होती हैं उनमें माननीय मन्त्री कहते हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगावेंगे दूसरी ओर सरकार कहती है कि किसी प्रकार के भी भावों को नीचे हम लाना चाहते हैं। तो सरकार के सामने सामने समस्या है कि किसी पार्टी को आश्वासन दिया है, उसे किस प्रकार से मुंह दिखालायेंगे इसलिए ही सलाहकार समिति बन नहीं पाती है, और अगर बन जाती है तो उसकी मीटिंग नहीं होती है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर खाद्यान्न की विषय समस्या हो रही है। (घंटी) राजस्थान के जो लोग हैं उनको हम पेट भर खाना नहीं दे सकते, उनको सस्ता अनाज मुहैया नहीं कर सकते, तो राजस्थान सरकार अपने प्रथम कर्त्तव्य से च्युत होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने ११ वर्ष के अन्दर प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक अनाज पैदा हो, इसलिये कार्य किया है। हमारी सरकार पंचवर्षीय योजनाओं की दुहाई देती है कि उसमें बड़े बड़े बांध और बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम जिन योजनाओं का दम भरते हैं वे योजनायें पांच दस साल में फलीभूत नहीं होने वाली है। यह राजस्थान सरकार का नहीं केन्द्रीय सरकार का विषय है मैं केन्द्र की भी आलोचना करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का गलत स्टेप लिया और छोटी सिंचाई योजनाओं पर बल नहीं दिया। मैंने पढ़ा है कि पंचवर्षीय योजना में अब सरकार विभिन्न छोटी सिंचाई योजनाओं पर बल दे रही है। मैं समझता हूं कि छोटी सिंचाई योजनाओं को लेकर ही काश्तकारों को आगे बढ़ा सकते है। वास्तव में जिस वक्त सेकिंड फाइव इयर प्लान आया उस वक्त इस प्रकार का एतराज कई लोगों ने किया है, इस प्रकार का सुझाव दिया कि बड़ी बड़ी योजनायें आप ला रहे हैं, उनकी देश को आवश्यकता नहीं है। इस वक्त आवश्यकता है कि छोटी सिंचाई योजनायें ले क्योंकि आज वह वक्त आ गया है जब लोगों की भुखमरी की अवस्था हो गई है। हमने जो बाहर से गेहूं एक्सपोर्ट किया है, उसकी हालत कैसी है यह देखने को मिलती है। वह इस प्रकार का गेहूं कि जिसकी वजह से सबकी शिकायत है कि इसके खाने से पेट के अन्दर खराबी होती है, इससे दस्त लग जाते है। लोगों ने उसके बजाय चना और जो खाना पसन्द किया है। मैंने कहा था कि उसको आपको एग्जामिन करना चाहिए लेकिन उस वक्त कह दिया कि एग्जामिन करा लिया है एक रुपये का मांगा कर ला लिया है, इस प्रकार से एग्जामिन करने से काम चलेगा नहीं। वास्तव में आवश्यकता इस वक्त इस बात की है कि किसानों की खरीफ की क्रोप के लिए पैसा रखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के लोगों का खरीफ की क्रोप से काम चल सकता है। इस क्रोप का गवर्नमेंट लेवल पर पर्चेज करना चाहिए पर्चेज व्यापारियों के थ्रू नहीं हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल एन्ड पर्चेज डिपो की मार्फत पर्चेज करना चाहिए ताकि जो कुछ इसका लाभ हो वह काश्तकारों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को मिले, जिसका माल की दुकानों पर, मंडियों में बिकता है। या गवर्नमेन्ट खुद डाइरेक्ट किसानों से पर्चेज करें ताकि बाजार भाव से किसानों को नुकसान नहीं रहे और बीच के व्यापारी जो लाभ लेते है, वह लाभ उन बीच के व्यापारियों को न मिल कर उन किसानों को ही मिले। सरकार जिन भावों पर खरीदती है, उन्हीं भावों पर बेचे। बीच के व्यापारी हमेशा लाभ उठाते हैं और बाजार भाव से सस्ता खरीद कर इकट्ठा कर के रख देते है और भाव जिस समय तेज हो उस समय बाजार में लाते हैं, बाकी छुपाकर रख लेते हैं। आज इस प्रकार का वातावरण बना रखा है कि मानों बाजार में गेहूं और दूसरा अनाज नहीं है परन्तु यदि उनके गोदामों की जांच की जाय तो मालूम होगा कि आज भी उनके गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उनके पास अनाज है। आज धर्मचन्द कन्हैयालाल जैसे व्यक्ति को अनाज लाने का लाइसेन्स-परमिट सरकार दे रही है।

समय समाप्ति सूचक घंटी

मैं अभी समाप्त करता हूं। तो सेल एन्ड पर्चेज सोसाइटीज़ के जरिये सरकार को अनाज खरीदना चाहिये ताकि व्यवस्था अच्छी तरह हो सके और बीच के व्यापारी जो मुनाफा उठाते हैं वह नहीं उठा सकें। वैसे तो हमारे नेहरूजी ने कहा है कि हमारी सरकार करे तो बहुत अच्छा है पर ऐसी सेल एन्ड पर्चेज कमेटी को मुकर्रर करना चाहिये, इससे जो पैसा आज बीच के मुनाफाखोरों की जेब में आता है, वह उनकी जेब में न जाकर किसानों की जेब में जायगा। व्यापारियों के या इन्डीविज्युअल्स के थ्रू पर्चेज़ न करके सरकार सेल एन्ड पर्चेज सोसाइटीज़ के जरिये पर्चेज करे। मुझे यही कहना है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री पुरुषोतमलालजी शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह जो एप्रोप्रियेशन डिमान्ड पेश की है, इसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करता हूं।

सबसे ज्यादा आलोचना सदन में पुलिस पर और खाद्यानों पर हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमें निःसंकोच स्वीकार करना ही पड़ेगा कि पुलिस में हमारे यहां ज्यादातर भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है। आज हम इससे इन्कार नहीं कर सकते। जनरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा पुलिस विभाग पर है वह पुलिस ही अगर हमारे जन कल्याणकारी राज्य की जनता की रक्षा करने की बजाय अपने स्वार्थ में लग जाय तो यह बहुत हानिकारक होगा। मैं निवेदन कर दूं कि आज भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि शराबखोरी और अनेक प्रकार के दुर्व्यसन पुलिस में व्याप्त हो रहे है, यह हमारे जनकल्याणकारी राज्य की दुर्घटना (दुर्भाग्य) है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इस सम्बन्ध में हमें सख्त से सख्त कदम उठा कर परिवर्तन करना होगा। यदि इसमें हमने संकोच किया तो जनतन्त्र का विश्वास जनता के दिलों में से उठ जायगा। इसलिये भी हमारा फर्ज है कि जो बातें सदन में बताई गईं उनसे प्रकट होता है कि राजस्थान में यह घोर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको मिटाना कर्तव्य है।

एक माननीय सदस्य : घोर क्या हो रहा है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिये सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये । पर साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिमान्ड की आलोचना की गई उसके बारे में मेरी मुख्तलिफ राय है । हाईकोर्ट आन्दोलन ऐसा आन्दोलन था कि जो कुछ सरकार पहले निश्चित कर चुकी थी, राजस्थान सरकार ही नहीं हिन्दुस्तान की सरकार ने भी जिस पर मोहर लगा दी थी कि हाई कोर्ट जोधपुर में रहे, उस आज्ञा की अवहेलना करने के लिये आन्दोलन शुरू किया गया था, उस आन्दोलन को अगर सरकार शह देती तो किसी तरह भी ठीक नहीं रहता । आन्दोलन वह ठीक होता है जो जनता के हित के लिये किया जाता है, लेकिन निजी स्वार्थ के लिये जो आन्दोलन किया जाय वह ठीक नहीं । मैं मानता हूं कि कुछ इलाकों में यहां से हाई कोर्ट जाने से तकलीफ हो सकती है । लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये १७ रजवाड़े राजस्थान में शामिल हुए थे, १७ रजवाड़ों के विलय से राजस्थान बना है, सभी जगह उन रजवाड़ों में हाई कोर्ट्स थे, कौंसिलें थीं तो उन सभी भूतपूर्व रियासतों की जनता को तकलीफ उठानी पड़ी । फिर अजमेर राज्य और राजस्थान का विलीनीकरण हुआ तो वहां किन किन विभागों को रखा जाय, इसका निबटारा नहीं हो सका कि कौन से ऑफिसेज कहां रखे जायं । दोनों सरकारों ने मिल कर राव कमेटी का निर्माण किया और उस कमेटी पर निर्णय छोड़ दिया । उस कमेटी के निर्णय के अनुसार राजस्थान सरकार ने अपने निर्णय भी भारत सरकार के पास भेज दिया, और भारत सरकार के गृह मंत्रीजी ने उसे स्वीकार किया । इस पर ऐसे तबके ने जिसमें कानून के पण्डित माने जाने वाले लोग हैं उन्होंने यह आन्दोलन शुरू किया ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : On a point of clarification, Sir, मेरा निवेदन यह है कि यह यहीं नहीं, नागपुर, लखनऊ, इन्दौर और ग्वालियर में भी एक इसी तरह का हिसाब था, वहां से नहीं हटाकर एक जयपुर के साथ ही ऐसा किया गया ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं इस पक्ष का नहीं कि बैंचेज नहीं रहनी चाहिये, पर जो निर्णय सरकार ने लिया और प्रजातन्त्रिक तरीके से लिया, क्या जो इतने राज्य राजस्थान में विलीन हुए वहां की जनता से पूछा गया था ? पर जो जनतान्त्रिक तरीकों से काम होते हैं, उनके निर्णय को मानना पड़ता है । तो जो प्रजातान्त्रिक तरीके से निर्णय हुआ, उसकी अवहेलना कर के आन्दोलन किया गया, उसके कारण आन्दोलन में खर्चा हुआ, उसके लिये यह मांग की जा रही है ।

श्री मदनसिंह (दांता) : क्या आन्दोलन को दबाने के लिये पुलिस को रिश्वत दी जा रही है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जयपुर से आने वाले सदस्य ने कहा कि फेक्ट्स फाइन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तो सरकार ने अपना आदमी उसमें नहीं रखा तो मेरा निवेदन यह है कि फेक्ट्स फाइडिंग कमेटी का निर्माण किया गया वह राजस्थान सरकार के खिलाफ और राजस्थान सरकार के निर्णय के खिलाफ ही था, राजस्थान

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सरकार के खिलाफ उस कमेटी का निर्माण किया गया था। मैं इस राय का हूँ कि पुलिस ने जो ज्यादतियां कीं वे अशोभनीय हैं उन्हें मैं सहन नहीं कर सकता पर उस कमेटी में सरकार अपने रिप्रजेन्टेटिव भेजती तो इसके माने यह होते कि उस कमेटी को राजस्थान सरकार मंजूर करती है। राज्य का शासन चलाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर निर्भर है वह सरकार कोई कमेटी मुकर्रर करती तो अलग बात थी। एक अलग इलाके के व्यक्तियों ने कमेटी का निर्माण किया, उसमें सरकार ने सहयोग नहीं दिया, अपना रिप्रेजेन्टेटिव नहीं भेजा, इसका मतलब यह नहीं कि राजस्थान सरकार अपने किये हुए कार्यों पर पर्दा डालना चाहती थी।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आन्दोलन किया गया वह किसी भी तरह उपयुक्त नहीं था। बहुत सी तकलीफें मेरे इलाके को भी हुई हैं पर इसके माने यह नहीं कि तकलीफें हों तो जनतान्त्रिक प्रणाली में जनतान्त्रिक तरीकों से लिये गये निर्णयों के खिलाफ आन्दोलन किये जायं। जनतान्त्रिक प्रणाली के सिद्धान्तों की रक्षा के लिये तकलीफें भी हों तो सहनी पड़ती हैं।

हमारे यहां एज्युकेशन के बारे में डिमांड रखी गई है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हाई स्कूल्स इत्यादि खोले जा रहे हैं, पर हम यह नहीं देखते हैं कि वहां इन्तजाम क्या है? मेरे यहां कॉलेज है वहां तीन प्रोफेसर्स नदारद हैं। जब हम हाई-स्कूल्स या कॉलेजेज खोलते हैं तो हमारा फर्ज हो जाता है कि वहां पढ़ाने के लिये मास्टर्स प्रोफेसर्स का प्रबन्ध करें और सामाज आदि के लिये पूरी व्यवस्था करें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी) अन्यथा कितने भी कॉलेज खुलेंगे....

श्री अनूपसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा हमारे कट मोशन्स पर अलग अलग अमेन्डमेंट पर बहस हो चुकी है फिर यहां पर....

श्री सभापति : नोरमली कट मोशन्स पर जो डिस्कशन हो चुके हैं उन पर कोई फिर से डिस्कशन नहीं होना चाहिये।

श्री अनूपसिंह : आप पुलिस को छोड़ कर शिक्षा विभाग पर जा रहे हैं।

श्री सभापति : आप उस समय मौजूद नहीं थे। आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल रहे हैं फिर भी मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जिस डिमान्ड पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और प्रेक्टीकली शिक्षा विभाग पर, इस पर अधिक बातें न करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब मैं सिंचाई के बारे में कहूंगा। सिंचाई विभाग में इस प्रकार की खराबियां हैं कि जिला तो अजमेर है और सिंचाई विभाग के ओवरसियर और इंजीनियर जयपुर में रहते हैं। जिस समय उनसे कहते हैं कि यहां से दो लाख या चार लाख रुपये सेंक्शन सिंचाई के काम के लिये हुए हैं तो वे लोग यह कहते हैं कि किशनगढ़ हमारे जिले में नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि किशनगढ़ कहां पर है। वहां पर किसी न किसी तरह से आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। आप देखेंगे कि यहां पर किशनगढ़ सबडिविजनों में सबसे ज्यादा तालाब हैं। आपको हर गांव में तालाब मिलेंगे। मैं सिंचाई मन्त्री महोदय

Page No.104

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

से कहूंगा कि अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे तो जो अनाज अभी पैदा होता है वह ज्यादा पैदा होगा ।

इसके अलवा मैं खाद्य व्यवस्था के बारे में कहूंगा कि जो पॉलिसी सरकार ने निर्धारित की है उसके लिये मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार नाज के व्यापारा को अपने हाथ में लेना चाहती या नहीं । अगर लेना चाहती है तो पूर्ण रूप से लेना चाहिये । जो मौजूदा व्यवस्था है उससे न तो प्रजा को सहूलियत मिलती है, न आपको इसमें कामयाबी मिलती है । एक तरफ तो आपने साहूकारों को छूट दे रखी है कि वे चाहे जहां से माल लावें और दूसरी तरफ आपने यह रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि वे माल नहीं बेच सकते ।

आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे शहरों में खाद्यान्नों की कमी है । मैं इस बात को मानता हूं कि आपने जयपुर में चीप ग्रेन शॉप खोल रखी है लेकिन छोटे छोटे कस्बे हैं और जहां पर ५ हजार या ७ हजार की आबादी है वहां पर चीप ग्रेन शॉप नहीं है और वहां की गरीब कोई जनता दुखी है क्योंकि उनको वहां पर २५ रु० मन या २८ रु० मन के भाव से गेहूं नहीं मिलते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार अपनी पॉलिसी को निर्धारित करे कि क्या करना है ?

(घंटी)

अगर हम एक तरफ साहूकारों को छूट देंगे और दूसरी तरफ सरकार गल्ले को खरीदने की पॉलिसी रखेगी तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हम इन दोनों पॉलिसियों में फेल हो जावेंगे । जब हम प्रजातन्त्र में जनता के खाद्यान्नों की स्थिति को सुलझा पावेंगे तभी हमारी प्रजातन्त्र प्रणाली सफल हो सकती है अन्यथा यह प्रजातन्त्र के लिये घातक होगी ।

एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए

श्री सभापति : चार बज कर २५ मिनिट हो गये हैं । अब सरकार की ओर से उत्तर होगा ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप-वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, इस एप्रोप्रिएशन बिल की बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने कुछ विषयों पर प्रकाश डाला और अपने अपने मत प्रकट किये । सर्वप्रथम तो पुलिस विभाग की ओर अधिक आक्रमण रहा और मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ घटनाएं जिस प्रकार से हुई उनका विश्लेषण किया गया, जयपुर में हाई कोर्ट आन्दोलन के सिलसिले में भी बहुत सी बातें की गई । मैं यह समझता हूं कि वह एक क्लोज्ड चेप्टर है, अत: उसकी अधिक व्याख्या न करके मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट के सम्बन्ध में ऊंचे स्तर से निर्णय हो जाने के बावजूद भी जयपुर के कुछ अभिभाषण ने यह निर्णय किया कि यहां पर आन्दोलन चलाया जावे और इस आन्दोलन को आपने और हमने सबने देखा । आखिर में जनतन्त्र में किसी आन्दोलन को चलाने के लिए कई सीमाऐं होती हैं और अगर वे उन सीमाओं को पार करके आन्दोलन किया जावे तो सरकार उसमें चुपचाप होकर नहीं देख सकती । आपने और हमने अच्छी तरह से देखा कि यहां पर जिस तरह से इस आन्दोलन को चलाया गया और जिस

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

प्रकार की घटनाएं हुईं, जो पुलिस के यहां पर ट्रेफिक के स्टेन्ड थे उनको जला दिये गये........

श्री मदनसिंह दांता : आप तो उस समय जोधपुर थे। आपने तो देखा नहीं आप होते तो देखते।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य देरी से पहुंचे इसलिये उनको कहने का समय नहीं मिला लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जिस प्रकार से उस आन्दोलन को चलाया वह उचित नहीं था और उनको देख कर मैं तो यह कहूंगा कि पुलिस की स्ट्रोसिटीज के बारे में जिस प्रकार की बातें कही जा रही हैं उसको अगर आप सही माने में देखेंगे तो पुलिस ने हाई कोर्ट आन्दोलन में इतना रेस्ट्रेन बरता उतना शायद ही कहीं और जगह बरता गया हो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी हुआ उससे यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने जनता पर सख्ती की या जबरदस्ती से आक्रमण करने के लिये कोई न कोई ऐसा कार्य किया, यह कहना अनुचित होगा और मैं यह समझता हूं कि जो कुछ किया गया और बातें हुईं उसमें काफी पुलिस ने रेस्ट्रेन रखा। उनके स्ट्रोसिटीज के बारे में जो कहा जाता है, उसके लिये यह देखा गया कि जो आदमी इस आन्दोलन को आगे चलाना चाहते थे और हिंसात्मक कार्यवाही करना चाहते थे वे तो पीछे रहे और दूसरे जो innocent थे उन लोगों को उसका मुआवजा तो मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार किसी की जायदाद को लूटती हुई नहीं देख सकती न किसी की दुकान लुटती हुई देख सकती है। इसलिये जो कुछ कार्य किया वह उचित था पुलिस की स्ट्रोसिटीज के लिये जो कुछ कहा गया है उसमें मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

इसके बाद तस्कर व्योपार के बारे में बात की गई।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir,

सभापति महोदय, पुलिस विभाग के बारे में माननीय उपमंत्री बोल रहे हैं। क्या इसका अर्थ मैं यह समझूं कि गृह मंत्री इस सम्बन्ध में कोई भाषण नहीं देंगे। अगर नहीं देते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि गृह विभाग के बारे में माननीय मंत्री महोदय ही कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे बहुत खुशी होगी, अगर मुझे कहने का समय मिलेगा।

श्री सभापति : मैंने पहले ही इसके लिये चार बजकर २५ मिनट पर सदस्यों के भाषण समाप्त होने के लिये निर्णय कर लिया था और उसके बाद सरकार की तरफ से जबाव होंगे। This is all upto the Hon ble Ministers to arrange time.

श्री रामकिशोर व्यास : आध घन्टे में समय...

श्री सभापति : इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आध घन्टे में किसी तरह से जबाव दिया जावे। इसकी व्यवस्था कर लीजिये।

The Honble Minister could have asked for some more time and I could have given him.

Page No.106

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जयपुर हाईकोर्ट आन्दोलन के बारे में यदि माननीय गृह मंत्री कुछ प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। पब्लिक आपका भाषण सुनने की इच्छुक है।

श्री सभापति : यहां पर पब्लिक का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : हम पब्लिक के आदमी हैं और हमारे थ्रू पब्लिक जानकारी चाहती हैं

श्रीरिखबचन्द धारीवाल (उपवित्त मंत्री) (जारी) : तस्कर व्यापार को रोकने के सिलसिले में एस. पी. बाड़मेर के खिलाफ जो कुछ भी कहा गया, मै माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी एस. पी. बाड़मेर के खिलाफ कहा गया है कि दो लाख रुपये का तस्कर सोना उसने ले लिया है या दबा लिया, उसके सिलसिले में बम्बा वाले को नियुक्त कर दिया गया है और उसकी जानकारी बराबर कर रहें हैं, माननीय सदस्य ने जो फर्माया उनको खुद को भी एवीडेन्स देने के लिए कहा गया और वे गये भी है। इस सिलसिले में यह कार्यवाही हो रही है।

इसके बाद कहा गया पुलिस कर्मचारियों की मंहगाई के सिलसिले में तथा कंडेला व अरांई में जो कुछ घटनायें हुई उनके बारे में। मैं यह निवेदन करूं कि यदि यह सही है कि इस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस कर्मचारी की कोई ज्यादती है और उसने इस किस्म की कार्यवाही की है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कदम उठायेगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा। सरकार यदि कोई पुलिस कर्मचारी ज्यादती करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बराबर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

उसके बाद में जो कुछ बातें कही गई उनके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। एक माननीय सदस्य ने फाइनेन्शियल कार्पोरेशन के सम्बन्ध में बातें कही। फाइनेन्शियल कार्पोरेशन की पूंजी १ करोड़ रुपये की है और उसके अन्दर करीब करीब ६० लाख रुपया सरकार का है। (विराम) आई एम सोरी। ३६ लाख रुपया सरकार का है आमदनी ३,६७,८२६) के करीब हुई लेकिन इसमें से इन्कम टैक्स देना पड़ता है और दो लाख रुपया उसके लिए जाता है चुनाचे इसमें जो ३॥ पर्सेन्ट गारन्टीड इन्ट्रेस्ट देने की बात है उसमें कमी पड़ जाने से सब्सिडी देने की बात आती है। फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन की जो कुछ भी व्यवस्था है, क्या प्रगति हुई, क्या काम किया वह सदन के सामने रखा जाना चाहिये ? मैं उस सिलसिले में निवेदन करूंगा कि वैसे १ करोड़ की पूंजी में गवर्नमेन्ट के ३६, २ शेयर्स हैं। जब तक उसकी शेयर केपिटल दो तीन करोड़ न हो जाय तब तक जो करीबन दो लाख रुपया इन्कम टैक्स की रकम देनी पड़ती है उससे घाटा होगा लेकिन दो लाख रुपया इन्कम टैक्स के देते हैं वह भी तो सरकार के पास आता हैं। और उसका एक हिस्सा हमको भी मिलता है। तो देखा जाय तो सरकार को रकम बराबर मिल जाती है लेकिन फिर भी As a commerical venture it ought to have been on a profitable concerns there is no doubt about it. मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी स्थिति जैसा मैंने निवेदन किया उस प्रकार है....

श्री पी० के० चौधरी : ६० लाख का लोन भी सरकार ने दिया है।

Page No.107

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लोन इसको नहीं दिया हैं।

श्री पी० के० चौधरी : रिपोर्ट में है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लोन को सेन्क्शन किया। जो उन्होंने ६५ लाख का लोन सेन्क्शन किया दूसरे लोगों को उसके बारे में है गवर्नमेन्ट ने थोड़े ही लोन दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : गवर्नमेंट ने भी दिया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं मैं इस सिलसिले में यह निवेदन कर रहा था कि फाइनेन्सियल कार्पोरेशन की जो बात कही गई उसमें कुछ तो....

श्री पी० के० चौधरी : इस रिपोर्ट में लिखा है "लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार ने और अधिक ६० लाख का लोन दे रखा है और बैंक में, फिक्स्ड डिपोजिट में उनका रुपया जमा है।"

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is wrong.

श्री भैरोंसिंह : यह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की दी हुई रिपोर्ट है आप यों ही नहीं कहिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There might have been some misunderstanding.

श्री सभापति : किस की बात कर रहे हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : How can it be wrong ?

श्री श्रीभानसिंह : I will request th Hon ble. Minister to look into it...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have information that there is no loan granted to the Financial Corporation, I will look into it.

श्री पी० के० चौधरी : This is this report of P. A. C. which cannot be wrong.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : So far as the information given to me, there is no such loan.

श्री सभापति : Let me Hon'ble Minister confirm about it.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I am definite that no loan was given.

श्री पी० के० चौधरी : Whethe the report of the P. A. C. is correct or the version of the Hon'ble Minister ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I will equire there can be some misprint.

श्री श्रीभानसिंह : I will request Mr. Chairman, that this information has been submitte to the P. A. C. by the Government and the Hon'ble Minister may look into the question before making a denial of the fact.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have been informated that this is a a misprint.

श्री पी० के० चौधरी : So do'nt make a categorical statement in the House.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have been informed that no loan was granted.

श्री श्रीभानसिंह : What figures were placed before the Public Accounts Committee ?

श्री पी० के० चौधरी : Is it so that the figures are not correct ? इसमें यह लिखा है कि "राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन के सम्बन्ध में यह बताया गया कि अभी तो कॉर्पोरेशन में कोई नफा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एसे तो कॉर्पोरेशन में नफा है, किन्तु सरकार द्वारा साढ़े तीन प्रतिशत डिविडेन्ड की गारन्टी देने के कारण सरकार को उस हद तक कमी पूरी करनी पड़ती है। लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार ने और अधिक ६० लाख का लोन दे रखा है और बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट में उनका रुपया जमा है, किन्तु अभी पूरा रुपया लोन पर नहीं उठ रहा है"...

श्री सभापति : I have been given to understand that the loan amounted to......

श्री पी० के० चौधरी : How can be ? We are not juggling with the figures. That is the P. A. C. report. How can we take it as wrong ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is 1·9 subsidy granted to the Financial Corporation as long but no loan to the tune of 90 lacs was granted. But so far as the information given to me I definitely say that 90 lacs was never given.

श्री पी० के० चौधरी : There is no such correction made in the P. A. C. report, and unless there is an eretta we can not take as wrong.

श्री सभापति : यस, यस। आप जारी रखिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि सीड डिस्ट्रीब्युशन के बारे में ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई और रबी अभियान के बारे में...

श्री पी० के० चौधरी : I asked for these annual returns, the returns of the Financial Corporation. Will the Hon'ble Minister make it convenient for this House to have a look at this ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : You can certainly come to me and I will show it all to you.

श्री पी० के० चौधरी : I requested the Hon'ble Minister for placing the annual copy of the Fincancial Corporation at the table of this House. We are entitled to discuss its figures.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is not a Government Company.

श्री पी० के० चौधरी : Then why are you giving subsidy to it ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : These are only majority shares there......

श्री रिखबचन्द धारीलाल : सीड डिस्ट्रीब्युशन के सिलसिले में कहा गया है। सीड डिस्ट्रीब्युशन के सिलसिले

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

में, रबी अभियान के मौके पर, यह कहा गया कि ठीक व्यवस्था नहीं की गई । सीड डिस्ट्रिब्युशन के सिलसिले में और रबी अभियान के बारे में कहा गया कि ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं की गई उचित मात्रा में सीड़ उपलब्ध नहीं किया गया और जो सीड़ दिया गया वह ठीक प्रकार का नहीं दिया गया । अब तक जो सीड़ दिये जाने की व्यवस्था थी उसके अनुसार पहले तकावी के रूप में दिया जाता था, केश तकावी उसके लिये दी जाती थी । अब रबी अभियान के सिलसिले में पंजाब से कुछ गेहूं मंगाने की बातचीत की हैं उस सिलसिले में जितना हम चाहते थे उतना गेंहू हमें नहीं मिल सका । ऐसी सूरत के अन्दर वह सीड जो अधिक मात्रा में देना चाहते थे उतना नहीं दे सके, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो सीड उपलब्ध किया गया था वह सीड अच्छा था और वक्त पर लोगों को दे दिया था । पूरा सीड न मिलने की बात हो सकती लेकिन जो भी सीड दिया गया वह ठीक समय पर दिया गया ।

श्री पी० के० चौधरी : जो सीड दिया गया वह अच्छा सीड़ नहीं था फ्रसोजन सीड था ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिये हमारे पास जो बहुत अच्छा सीड था वह दिया गया । यह बात जरूर है कि इस बारे में किसानों में मिस अन्डर स्टेडिंग रही है जिसमें यह कहा गया कि सरकार सारा सीड देगी यह बात नहीं थी, अधिक से अधिक सीड रबी अभियान के सिलसिले में दिये जाने की बात थी उसी का प्रबन्ध किया गया । में यह भी निवेदन कर दूं इस मौके पर जिन बोहरे लोगों के पास पहले सीड मौजूद था उन्होंने भी बाड़ी पर बीज न देकर जब उन्होंने देखा मार्केट के भाव ज्यादा है अन्त उस सीड़ को उन्होंने मार्केट में बेचा । पच्चीस, छब्बीस रुपये गेहूँ का भाव था तो उन्होंने भी बाड़ी लेना ठीक नहीं समझा और बाजार में उस माल को बेचा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : बोहरों ने बेचा है वह बहुत ऊंचे भाव पर बेचा है और किसानों को उसे खरीदना पड़ा है ।

श्री सभापति : लेस इन्टरप्शन प्लीज़ ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तो मैं यह अर्ज कर रहा था, बोहरे लोगों ने काश्तकारों को बीज न देकर उसको बाजार में बेचा । बाड़ी के रूप में जो लेना चाहते थे उनको नहीं दिया गया । लेकिन सरकार द्वारा जितना भी हो सका बीज उपलब्ध किया गया, गेहूं की कमी की वजह से पूरी तौर पर सरकार भी बीज उपलब्ध नहीं कर सकी ।

इसके बाद में जो कुछ फूड सिच्युएशन के बारे में माननीय सदस्य ने फर्माया है उसके लिये यह निवेदन है कि खाद्य की समस्या केवल राजस्थान में ही नहीं है यह सारे भारतवर्ष की समस्या है और उसी के कारण उसका असर हमारे यहां पर भी हुआ और यहां पर गेहूं का भाव पच्चीस और छब्बीस रुपया मन बढ़ गया । इसके बाद में सरकार ने कदम उठाया और पहले लाईसेन्सिंग ऑर्डर जारी किया एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट के तहत ऐसे ऑर्डर्स जारी किये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कलेक्टर्स को गेन सीज करने के पॉवर्स दिये। इसके फलस्वरूप फूड ग्रेन्स की कीमतों में काफी गिरावट आयी....

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं जब स्केअरसिटी की बात होती है तो जैसा कि अभी छबड़ा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा एक डिस्ट्रिक्ट से उसी डिस्ट्रिक्ट में मंगाने के लिये क्यों पर्मिट देते हैं तो ऐसी हालत में राजस्थान में फूड के मूवमेन्ट को बन्द करना या रोकना कभी भी उचित नहीं हो सकता...

श्री दयाकृष्ण विजय : एक ओर तो आप पर्मिट दे रहे हैं...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभापति महोदय, मुझे बोलते समय डिस्टर्ब न किया जाय आप जब बोल चुके मुझे भी बोलने दिया जाय। जो कुछ भी फूड के बारे में कहा जा रहा है एक तरफ तो यह कहा जाता है कि एक जगह पर जहां गेहूं मिलता है राजस्थान सरकार ने पर्मिट दे दिया था कि वहां से ले आये तो इस प्रकार से पर्मिट जारी क्यों कर दिया गया ? अगर हम राजस्थान के अन्दर डिस्ट्रिक्ट वाइज मूवमेन्ट बन्द कर देते तो प्राइजेज के ज्यादा होने का अन्देशा होता। ऐसी हालत में जब हम रिक्वीजिशन करने पर तुले हुए हैं उसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान से फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट बन्द हो गया। हम एक्सपोर्ट तो बन्द नहीं कर सकते जोन के अन्दर एक्सपोर्ट करना खुला है। कलेक्टर्स को गल्ला सीज करने के पॉवर दे देने की वजह से राजस्थान का गल्ला बाहर जाने से रुक गया। इस प्रकार की स्पष्ट नीति के आधार पर गल्ले के भाव डाउन गये हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। कुछ जगहों पर अनाज की कमी हो सकती है लेकिन हम उनको एक्सपोर्ट वीट दे रहे हैं जिसे वे लेते नहीं है जहां पर नाज की कमी है उन सब इलाकों में फेअर प्राइज शॉप्स खुली हुई हैं लेकिन वहां वह वीट खपता नहीं है। जिस भरतपुर के लिये बात कही गई वहां पर ऐसी बात हो सकती है, दो-चार स्थानों पर ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उन इलाकों के लिये भी पूरा प्रबन्ध करेगी। वहां पर अगर अनाज की कमी है तो बाजरा आदि जो भी अनाज उपलब्ध होगा भेजने का प्रयत्न करेगी।

इसके अलावा मैं सदन को यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारी खरीफ की क्रोप बम्फर क्रोप के रूप में हैं काफी अधिक मात्रा के अन्दर ज्वार आदि की क्राप हुई है इसका असर भी गल्ले के भावों पर पड़ने वाला है और हमें आशा है कि इससे काफी मात्रा में गल्ले के भावों पर असर पड़ेगा।

इसके अलावा स्टेट ट्रेडिंग की बात भी कही गई इसके लिये मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान स्टेट की जो फूड पोलिसी है वह भारत की फूड पॉलिसी से भिन्न नहीं हो सकती। राजस्थान की अलग नीति नहीं हो सकती उसको भी सेन्टर के आदेश पर चलना होता है। अगर भारत सरकार द्वारा यह निर्णय होता है कि स्टेट ट्रेडिंग करना है तो उसके लिये हम मेथड प्रेस्क्राइब करेंगे स्टेट खुद अपनी एजेन्सीज कायम करे या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना-कर स्टेट ट्रेडिंग करे जो कुछ भी नीति होगी

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

स्टेट उसकी घोषणा बाद में करेगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार केवल केन्द्रीय सरकार की नकल ही करती है या स्टेट खुद अपनी पोलिसी भी इस बारे में रखती है । उनके आदेश के अलावा भी स्टेट कुछ निर्णय लेती है या नहीं, यह आप बतलाइये....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : (जारी रखते हुए), इस सिलसिले में सारी स्थिति का निरीक्षण हो रहा है एक फूड कमेटी हमने मुकर्रर करदी है । जब कमेटी के सामने इस प्रकार के सवाल आयेंगे तो उस समय निर्णय लिया जायगा । अभी तो यह कमेटी बनी है उसके बाद जो उचित कार्यवाही होगी की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी तो आपने बना दी किन्तु लोग केले खा खाकर अपना जीवन चला रहे हैं उसके लिये आपने क्या सोचा । कमेटी के बनने के बाद उसकी मीटिंग भी हुई या नहीं लेकिन जो मसला सामने है उसका तो तुरन्त उपचार किया जाय ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : केले खाना तो अच्छा है । सब लोग ही केले खाना शुरू कर दें तो अन्न की काफी समस्या हल हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके राज्य में और हो भी क्या सकता है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : (जारी) हमने अनाज की सस्ती दुकानें खोल रक्खी हैं बहुत सी जगहों पर अनाज को रिक्विजिशन भी किया गया है । जो कुछ भी कदम सरकार ने उठाये हैं उससे यह स्पष्टतया मालूम हुआ है कि गल्ले के भाव गिरे हैं । इस सिलसिले में आगे हमें क्या करना है, खरीफ की जो बम्फर क्रोप है उसको लेना है या नहीं, स्टाक कायम करना या नहीं करना, इस सम्बन्ध में अभी पूरे निर्णय नहीं ले पाये हैं । राजस्थान सरकार अनाज की स्थिति के बारे में काफी जागरू है इस बारे में अभी शीघ्र ही निर्णय लिया जाने वाला है ताकि फूड की सिच्युएशन है वह इम्प्रूव हो और उसके भाव गिरे ।

इस तरह से जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया इस सिलसिले के अन्दर जो भी मांगे प्रस्तुत की गई हैं जिसके बारे में जो भी माननीय सदस्यों ने एतराजात उठाये हैं उनका जवाब मैंने दे दिया है । ये सब मांगे हैं इसलिये मैं समझता हूं सदन इन्हें मन्जूर करेगा ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मै आपके सामने यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन नम्बर ३ बिल, १९५८ को पारित किया जावे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : रिलीफ कार्य के बारे में आपने कुछ नहीं बताया कि लोगों को मुफ्त भी सहायता मिली है या नहीं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने फेमिन के सिलसिले में बताया कि २,८०,०००) वितरित नहीं हुआ । इसके बारे में चैकअप करावेंगे । वैसे तो राजस्व मन्त्री जी ने कह दिया है कि यह रिलीफ देना है । आप कहते हैं कि कमिश्नर नहीं दे रहा है या वितरण नहीं कर रहा है तो शीघ्र इसकी जांच कराकर प्रबन्ध करेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : एक इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी। कैटेगरिकल स्टेटमेन्ट चाहिये या राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन की एन्युअल रिटर्न उपलब्ध हैं या नहीं और है तो आप उसको सदन की मेज पर रक्खेंगे या नहीं और इसके डिस्कशन के लिये एक दिन मुकरर करने को तैयार हैं या नहीं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि अभी डिस्कशन का सवाल नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्यों? आप इन्कार करते हैं!

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोई जरूरत नहीं समझता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : पर सदन तो जरूरत महसूस करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन नम्बर ३ बिल, १९५८ बिल नम्बर ६७ को पारित किया जावे।

श्री भैरोंसिंह : कन्सीडरेशन स्टेज पर लिया जावे। इसी स्टेज पर डिबेट हो रही थी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने मूव कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने मूव कर दिया पर कन्सीडरेशन के लिये किया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने पहले ही कन्सीडरेशन के लिये मूव कर दिया था।

श्री सभापति : विचारार्थ लिया जावे यह प्रश्न था। प्रश्न यह है कि इसे विचारार्थ लिया जावे।

प्रश्न यह है कि एप्रोप्रियेशन बिल को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर ५३ मिनिट पर कल दिनांक १८ दिसम्बर, १९५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार १७ दिसम्बर, १९५८)

स्कम्भ

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

तकावी वितरण।

नेशनल इन्जीनिरिंग इन्डस्ट्री के प्रबन्धक और कर्मचारियों में संघर्ष।

बीकानेर पॉवर हाउस की उत्पादन क्षमता।

भरतपुर जिले में बाढ़ का नियंत्रण।

वैद्यों तथा हकीमों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर्स बनाया जाना।

स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, जयपुर।

स्क्रुटिनी ऑफिसर से एक साल तक कोई काम न लिया जाना।
ग्राम मोहनपुर, तहसील किशनगढ़ के पास के बन के रुखाले के विरुद्ध शिकायत ?

कोटा चम्बल प्रोजेक्ट की गाड़ियों का दुरुपयोग।

यातायात विभाग में दूसरे विभागों के व्यक्तियों की विभिन्न पदों पर नियुक्तियां।

कोटड़ी (तहसील भीलवाड़ा) की

६८६६ गवर्नमेंट डिस्पेन्सरी के हेतु भवन निर्माण।

भरतपुर जिले में चोरी व डाके।

पंचायत ४२ जी० बी० तहसील अनूपगढ़ के सरपंच का चुनाव।

कोटा–जयपुर व कोटा–अजमेर बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण।

तहसील पींडवाड़ा, ग्राम भावरी में गायों को चराने हेतु जमीन।

बांसवाड़ा जिले के तालाब एवं बांध।

तिजारा से फीरोजपुर झिरका तक की सड़क का निर्माण।

अध्यक्ष जन सम्पर्क विभाग की शैक्षणिक योग्यता।

डूंगरपुर नगरपालिका द्वारा ट्रेक्टर खरीदने हेतु ऋण।

फुलाद स्टेशन (जिला पाली) पर कोयले का डिपो।

नाथद्वारा तहसील में सिंचाई के तालाब।

ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़, जिला अलवर द्वारा चमारों के मोहल्लों की जमीन को बेचना।

बस सर्विस।

बाडमेर के जसोल व तिलावड़ा गांवों के बीच सड़क निर्माण।

लाड़वाना तहसील के गांवों में सिंचाई का प्रबंध।

पीपाड़ नगरपालिका का चुनाव।

पडासोली एग्रीकल्चर फार्म।

ग्राम पंचायत पानसल (भीलवाड़ा तहसील) द्वारा बेची गई जमीन पर भवन निर्माण पर प्रतिबन्ध।

तहसील सिवाना में लघु सिंचाई योजना।

ग्राम पंचायत कानोड का चुनाव।

चित्तौड़ जिले में सड़कों एवं तहसील भवन का निर्माण।

डाकुओं को मारने के फलस्वरूप पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन।

देवगढ़ (जिला उदयपुर) में डॉक्टर की नियुक्ति।

बूंदी जिले में प्रथम एवं द्वितीय। योजना में निर्मित बांध।

तहसील पंचायत सुजानगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत चांडवास की शिकायत।

गम्भीरी बांध के पीछे नदी—नालों में पानी बढ़ने से आवागमन में रुकावट।

नगरपालिका सुजानगढ़ द्वारा सीमा-बन्दी की मांग।

तारानगर—नोहर सड़क के ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही।

जन—सम्पर्क अधिकारी—जिला सवाई माधोपुर।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री फतेहसिंह, सदस्य विधान सभा, को दिनांक १७-१२-५८ से सत्र के अन्त तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

विशेषाधिकार प्रश्न

श्री श्रीभानसिंह, सदस्य विधान सभा, द्वारा प्रस्तावित दैनिक पत्र 'नवयुग' के अंक दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ में 'अनुचित' शीर्षक के नाम से प्रकाशित एक लेख से सम्बन्धित प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया।

अनुपूरक अनुदानों की मांग १९५८-५९ (प्रथम खण्ड), पर मतदान

निम्नांकित मांगे आज सदन द्वारा स्वीकार की गई :—

१	मांग सं० ४५	मुख्य शीर्षक	२७ न्याय प्रशासन
२.	,,	४६	२९-पुलिस
३.	,,	४८ ,,	३८-चिकित्सा
४.	,,	५० ,,	४०-कृषि

स्कम्भ

५. ,, ५३ ,, ५४-दर्मित

६. ,, ५४ ,, ५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

७. ,, ५५ ,, ५७-विविध

८. ,, ५७ ,, ७२-ओद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

९. ,, ५८ ,, ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्य ।

तदुपरान्त उप-मंत्री, वित्त विभाग ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित किया ।

उप-मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, निम्नांकित सदस्यों ने उस पर की गई बहस में भाग लिया:—

१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

२. ,, तनसिंह ।

३. रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

४. राव राजा श्री सरदारसिंह ।

५. श्री भैरोंसिंह (१४)

६. मुक्तिलाल मोदी

स्कम्भ

७. ,, शंकरलाल

८. ,, भैरवलाल 'काला बादल'

९. ,, पी० के० चौधरी

१०. ,, डॉ० बहादुरसिंह ।

११. ,, सोहनलाल ।

१२. ,, युगलकिशोर चतुर्वेदी ।

१३. ,, दयाकृष्ण विजय ।

१४. ,, पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

उप-मंत्री, वित्त विभाग, ने बहस का उत्तर दिया ।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

—×—

गुरुवार, १८ दिसम्बर, ५८ की कार्य सूची विधेयक, १९५८

(खंडश विचार विमर्श)

१. राष्ट्रपति व राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक ।

२. पुरःस्थापित किये गये विधेयक ।

(अ) राजस्थान बीज-बीज पौध विधेयक, १९५८

(ब) राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्यूटी लॉज (एक्सटेंशन) संशोधन विधेयक १९५८ ।

Page No.116

स्कम्भ

(स) राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन और जागीरस (१० वां संशोधन) विधेयक १९५८।

स्कम्भ

३. राजस्थान टिनेन्सी (पांचवा संशोधन, विधेयक १९५८ खण्डश (विचार विमर्श) ।

———

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १२८८ का उत्तर देखिये)

श्रमिक महिलाओं की सूची

क्रम संख्या	टोकिन नम्बर	नाम	सेवा काल की अवधि वर्ष माह दिन
१९४७			वर्ष माह दिन
१.	८	नत्थी भौवरीलाल	११–६–२१
२.	१७	ग्यारसी कल्याण	११–६–१
३.	६५	छगनी नानगा	१०–११–११
१९४८			
४.	२१	धापा काना	१०–८–२१
५.	१२	काहेरी प्रताप	१०–६–२१
६.	२२	मणी भेरू	१०–४–२१
७.	७	धोटी रामनाथ	१०–२–२१
८.	२६	नारायणी रामचन्द्र	१०–२–२१
९.	२७	लादी जीवन	१०–०–१९
१०.	६	दाखा गोपी	१०–०–८
१९४९			
११.	१५८	धीसी नारायण	९–७–१६
१२.	१५५	तीजा लादू	९–७–७
१३.	१०	मनी भूरा	९–६–२०
१४.	४२	धनी भूरा	९–६–२०
१५.	२८	कस्तूरी मोहरी	९–५–११
१६.	५२	सोनी रामकुमार	९–५–६
१७.	३०	गलखू मोती	९–३–२१
१९५०			
१८.	३८	गेंदी लादू	८–८–२१

Page No.118

१६.	३६	मोहरी सोहन	८–८–२१
२०	४०	तीजा रामचन्द्र	८–८–२१
२१.	४१	नारायणी भूरा	८–८–२१
२२.	४३	लाड़ा भेरू	८–८–२१
२३.	४८	गूली घीसा	८–७–१८
२४.	८५	दाखा भीवा	८–७–१८
२५.	५८	गंगा जीवन	६–४–११
२६.	६१	ककेली भेरू	८–४–७
२७.	६७	सुनदरी नाथूलाल	८–१–२१
२८.	६८	रामा मूलचन्द रामचन्द्र	८–१–२१
२६.	७१	नागी गनपत	८–१–२१
३०.	७२	प्रभाती घीसा	८–१–२१
३१.	७४	नारायण छोटू	८–१–२१
३२,	७५	सकीरी चौथमल	८–१–२१
३३.	७४	सोनी रामलाल	८–१–२१
३४.	७६	गंगा कजौड़	८–१–२१
३५.	८२	गंगली भेरू	८–१–२१
३६.	११२	नारायण घासीलां	८–१–६
३७.	६०	हीरा छोटू	७–११–२५
३८.	८६	मतफली देव	७–११–२४
३६.	६८	सरजू लक्ष्मीनारायण	७–११–१४
४०.	१०१	मोरी सेहडू	७–११–२
४१.	५४	भूरी चौथमल	८–१–२१
	१६५१		
४२.	११३	केसर रामू	७–६–२१
४३.	२१४	नाथी लक्ष्मीनारायण	७–६–२१
४४.	४६	भोरी भवरलाल	७–६–६
४५.	५६	नाथी जानकीलाल	३–६–६
४६.	८१	सोनी भागीरथ	७–८–१५
४७.	१०२	ढ़ापा विरदा	७–६–२०

४८.	१०३	नीला रामदेव	७–६–२०
४९.	५१	राधावक्सा	७–६–११
५०.	१०५	केसर रामजीवन	७–६–७
५१.	६२	धोटी रामनाथ	७–५–२१
५२.	७०	रामकली भेरू	७–५–२१
५३.	४५	धापा लाला	७–५–२१
५४.	११७	जान्या कल्याण	७–४–१६
५५.	११६	फूला गंगाराम	७–४–२५
५६.	१२२	मोता कल्याण	७—३–२०
५७.	१२३	आदमी भूरा	७–३–२०
५८.	१२५	नाथी मंगला	७–३–२०
५९.	१२६	छोटी बदरी	७–३–२०
६०.	१४०	गुलाब धन्ना	७–१३–१६
६१.	१४७	सुन्दरी सुरजमल	७–३–१४
६२.	१३६	मन्ती देवा	७–३–०
६३.	४७	सरजू नानकराम	७–२–१६
६४.	१३८	तारा नारायण	७–२–१६
६५.	१५०	मनी लाला	७–२–१४
६६.	३३	लक्ष्मी चौथमल	७–२–११
६७.	१२४	केसर नाथू	७–२–१०
६८.	१५१	गेरी गनेश	७–१–२१
६९.	१५७	मोहरी ईसर	७–०–२१
७०.	१६४	धापा शिवराम	७–०–२०
७१.	१७३	ग्यारसी नाथू	७–०–१०
७२.	६६	नारायणी विरधा	७–०–११
७३.	१६२	नारायणी भन्ना	७–०–७
७४.	५५	गटूहर दलबक्सा	६–११–२७
७५.	१५६	गुलाब लखमा	६–१०–२८
७६.	१२७	केरी लादू	६–१०–२७
७७.	३७	पाची नानगा	६–१०–२७
५८.	१८	धन्नी हुकना	६–१०–२३

१६५२

७९.	१६१	ग्यारसी बालू	६–१०–२१
८०.	१४	चौथी वकसा	६–६–१५
८१.	११	केसर पदमा	६–८–१५
८२.	१६	दाखां भूरा	६–८–८
८३.	२४	गुल्ली नानगा	६–८–७
८४.	४४	चौथी वीजा	६–७–२०
८५.	७३	गोपन्दी कन्हैया	६–६–७
८६.	१०४	सुन्दरी मूगा	६–३–११
८७.	२६	देबू प्रताप	६–२–२८
८८.	६५	तीजा चन्द्र	६–२७–२६
८९.	५७	लछमा जगन्नाथ	५–११–४
९०.	६०	गंगा भैरू	५–११–४
	१९५३		
९१.	६६	घीसी हनुमान	५–८–१८
९२.	६३	वाली हजारी	५–७–१८
९३.	१३०	रामप्यारी सरदार	५–७–१२
९४.	२३	वीरदी सुखराम	५–५–२१
९५.	१८	भूरणी कन्हैयालाल	५–४–१६
९६.	३४	चन्दी काना	५–४–२१
९७.	६३	गुलाब सोहालाल	५–४–२१
९८.	६४	किशनी बुदराम	५–४–२१
९९.	८३	भूल्ली कन्हैयालाल	५–१–२१
१००.	९९	छोटी कजौड़	५–०–२१
१०१.	१००	सुन्दरी छोटू	५–०–२१
१०२.	१०८	ग्यासी रामदेव	५–०–२१
१०३.	११५	गनेशी मगला	५–०–२१
१०४.	११६	सुन्दरी गणेश	५–०–२१
१०५.	१२८	ब्रजी नरायण	४–११–१७
	१९५४		
१०६.	५१	नानगी कालू	४–१–२१

१०७.	३१	ग्यारसी भूरा	४-६-२१
१०८.	८८	गुलाब रामू	४-६-२१
१०९.	१४१	छोटी शंकरलाल	४-८-२१
११०.	८०	मोहरी किशनलाल	४-७-२१
१११.	७६	केसर गंगाराम	४-७-२१
११२.	१२०	जुड़ाव मालू	४-६-२१
११३.	१४५	वरीं काना	४-५-२१
११४.	१४४	सरजू मोहरी	४-५-२१
११५.	१४३	नन्दू भेरू	४-५-२१
११६.	१४२	लक्ष्मी हीरालाल	४-५-२१
११७.	१४८	केशर रघुनाथ	४-४-२१
११८	१३४	भुरी भंवरलाल	४-४-२१
११९.	१०६	गणेशी जोदा	४-४-२१
१२०.	७७	रुडी गिरधारी	४-४-२१
१२१.	१०७	धापा मनफूल	४-३-२१
१२२.	१५६	धन्नी लाधू	४-३-२१
१२३.	१५२	तीजा गंगाराम	४-३-२१
१२४.	७९	मनभरी नानगा	४-३-२१
१२५.	५६	प्रभाती हनुमान	४-३-२१
१२६.	६५	फूला मालू	४-२-२६
१२७.	४६	नाथी छीतर	४-२-२६
१२८.	१५४	मोता लाधू	४-२-२१
१२९.	१३६	दाता नाथू	४-४-२१
१३०.	१३७	नाथी महादेव	४-२-२१
१३१.	१३२	धापा मन्ना	४-२-२१
१३२.	१२६	धापा गोविंदा	४-२-२१
१३३.	११८	प्रभाती कल्याण	४-२-२१
१३४.	१११	मन्नी भेरू	४-२-२१
१३५.	११०	ब्रजी चंद्री	४-२-२१
१३६.	१०९	रामप्यारी लक्ष्मीनरायण	४-२-२१

१३७.	६२	शान्ती सीताराम	४-२-२१
१३८.	६१	गुलाब रामसुख	४-२-२१
१३६.	८८	प्रभाती धन्नाँ	४-२-२१
१४०.	८४	प्रभाती केसरा	४-२-२१
१४१.	१५	घीसा हीरालाल	४-०-२१
१४२.	२०	महोरी हीरालाल	४-११-२१
१४३.	१३३	दूदी गणेश	३-१०-२१
१४४.	१३५	दाला रामचन्द्र	३-१०-२१
१४५.	१४६	मोहरी प्रताप	३-१०-२१
१४६.	१०७	सरजू नरसिंह	३-१०-२१
१४७	५०	केशर जगन्नाथ	३-१०-२१
१४८.	३२	नारायणी रेवण	३-१०-२१
१४६.	१६	तीजा नंदा	३-६-२१

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT (A)

S. No.	Name	Designation.	From which Deptt. Transfered to Transport Deptt.	Place of Posting.	Date of Posting.
1.	Nil	A. R. T. O's.	Nil.	Nil.	Nil.
2.	Shri Hari Singh Rathore	Inspector.	Jail Department.	R.T.O's Office Jaipur.	19. 12. 55
3.	Shri Bhura Ram.	Sub-Inspector.	Agriculture Department	A.R.T.O. Office Ajmer.	8. 5. 57.
4.	Shri Ram Karan.	Sub-Inspector.	Agriculture Department	R.T.O. Office Jaipur.	12. 1 57.
5.	Shri Ramesh Shanker,	Sub-Inspector.	Rajasthan Secretariate.	A.R.T O. Office Ajmer.	February 1958.
6.	Shri Chandra Prakash	Sub-Inspector.	Elec. & Mech. Department.	R.T.O. Office Jaipur.	29. 10. 58.
7.	Shri Panch Ram.	U. D. C.	Agriculture Department	A.R.T.O. Office Kota.	12. 11. 55.

१	२	३	४	५
8. Shri Ram Karan.	L. D. C.	Supdt. Polic Anti-Corruption Deptt.	Head Office Jaipur.	16. 5. 58.
9. Shri Gordhan Singh.	L. D. C.	Jagir Commissioner.	R.T.O. Office Jaipur.	7. 6. 58.
10. Shri Sukh Ram.	Inspector.	Agriculture Deptt.	A' R.T.O. Office Bikaner.	Reverted to Agriculture Deptt.
11. Shri Bishamber Dayal.	L. D. C.	Commissioner Office Jaipur.	D.T.C. Jaipur (Disrrict. Transport Clerk.	24. 6. 57.

SENIORITY LIST OF MOTOR VEHICLES SUB-INSPECTORS.

S. No.	Name.	
1.	Shri Imad Uddin	Promoted as Transport Inspectors.
2.	,, Laxmi Narain Gujarati.	
3.	,, Narain Singh.	
4.	,, Mohd. Ishacqe.	
5.	,, Chandri Pal Singh	
6.	,, Anoop Singh.	
7.	,, Laxmi Narain Gupta.	
8.	,, Ham Singh.	
9.	,, Asha Ram.	
10.	,, Laxmi Nath.	
11.	,, Shimbhu Nath.	
12.	,, K. L. Daima.	
13.	,, Heera Lal.	
14.	,, Lal Singh.	
15.	,, Hari Singh.	
16.	,, Jagdish Prashad.	
17.	,, Ram Pratap.	
18.	,, Hazari Lal.	
19.	,, Mustaq Hohd. Khan.	
20.	,, Bagh Singh.	
21.	,, Om Prakash.	
22.	,, RamJi Lal.	
23.	,, Atma Ram.	
24.	,, Gopendra Saran.	
25.	,, Suraj Bhan Singh.	
26.	,, Nand Lal Singh.	
27.	,, Mahabir Prasad.	
28.	,, Prem Kishore.	

परिशिष्ट [७१४०

SENIORITY LSIT OF URPER DIVISION CLERKS.

S. No.	Name	Dated of appoiotment.
1.	Shre Moti Roop,	16.10.1928.
2.	„ Samarath Singh.	12.3.1929.
3.	„ Gopal Dass.	5.9.1930.
4.	„ Bal Kishan.	6.9.1930.
5.	„ Prem Behari Lal.	1.8.1934.
6.	„ Kailash Narain.	9.9.19.35.
7.	„ T. N. Bhargave.	26.9.1935.
8.	„ Gagga Sehai.	11.6.1938.
9.	„ Nirbhy Lal.	22.10.1938.
10.	„ Amar Datta.	2.9.1940.
11.	„ Roop Singh.	4.12.1940.
12.	„ Har Swaroop (Ajmer)	1.7.1944.
13.	„ Mohd. Atteque.	1.10.1946. Selected as T. I. by P. S. C.
14.	„ Vijai Dayal Saxena.	4.4.1949. Promoted as T. I.
15.	„ Ram Swaroop.	6.9.1950.
16.	„ Rajendre Gupta (Ajmer)	13.11.1950.
17.	„ Nand Lal.	9.5.1951.
18.	„ Kunj Behari Singh.	1.8.1951.
19.	„ Gopal Prasad.	19.3.1952.
20.	„ Kanti Chand.	1.11.1952.
21.	„ Gordhan Lal.	1.11.1952.
22.	„ Prahlad Dass.	1.11.1952.
23.	„ Nar Singh Lal.	13.3.19.54. Selected as T. I. by P. S. C.
24.	„ Amar Chand.	1.4.1954.
25.	„ Ghisi Lal	1.4.1955.
26.	„ Har Dayal Singh.	1.4.1954.
27.	„ F. Farupqe.	1.4.1954.
28.	„ Munshi Lal. (Ajmer)	1.8.1954.
29.	„ Mohan Lal.	19.10.1954.
30.	„ B. N. Chamaria.	19.7.1955.
31.	„ Pancha Ram.	12.11.1955

परिशिष्ट [७१४१

LIST OF SENOIRITY OF LOWER DIVISION CLERKS.

Sl. No.	Name		Date of Appointment
1.	Shri Kishan Ram Retired.		17.5.1923.
2.	„ Gordhan Lal.	Promoted As U. D. Cs.	1.7.1935.
3.	„ Mannak Lal.		15.11.1938.
4.	„ Girraj Prasad.		1.11.1943.
5.	„ Iswar Lal.		1.11.1945.
6.	„ Bhanwar Lal		17.2.1945.
7.	„ Hasti Mal.		5.6.1945.
8.	„ Badri Prasad.		1.2.1946.
9.	„ Shiv Lal.		1.2.1946.
10.	„ Aildas Thanvi.		5.2.1946.
11.	„ Nand Kishore.		22.4.1947.
12.	„ Nav Neet Lal.		23.7.1947.
13.	„ Omkar Lal		20.3.1948.
14.	„ Daulat Raj	Promoted as Mech. I.	30.7.1948.
15.	„ Laxman Singh.		22.10.1948.
16.	„ Shiv Prasad.		22.10.1948.
17.	„ Inder Dass.		1.11.1948.
18.	„ Prahelad Rai		24.11.1948.
19.	„ Ram Chanbra.		13.12.1948.
20.	„ Maryad Singh.		22.12.1948.
21.	„ Laxman Swaroop.		19.1.1949.
22.	„ Robin.		1.2.1949.
23.	„ Bishambhar Dayal.		1.4.1950.
24.	„ Bhopal Singh.		14.4.1949.
25.	„ Sukhdeo Prasad (Ajmer)		20.4.1949.
26.	„ Shakti Singh.		24.9.1949.
27.	„ Om Prakash.		8.11.1949.
28.	„ Ummed Khan.		
29.	„ Naval Kishore.		20.11.1949
30.	„ Babu Lal		26.11.1949.
31	„ Karneswar Lal		22.12.50.

परिशिष्ट

32.	,,	Magan Raj.	16.2.1950.
33.	,,	Amar Chand	13.4.1950.
34.	,,	Raj Kumar.	10.6.1950.
35.	,,	Hari Narain.	28.6.1950.
36.	,,	Ram Singh.	6.7.1950.
37.	,,	Surya Prakash	1.8.1950.
38.	,,	Mata Din.	3.8.1950.
39.	,,	Kishan Behari.	5.8.1950.
40.	,,	Arjun Singh.	6.9.1950.
41.	,,	Bherun Ram.	6.9.1950.
42.	,,	Shiv Charan.	13.9.1950.
43.	,,	Kanhiya Lal	20.11.1950.
44.	,,	Ghasi Lal.	5.2.1951.
45.	,,	Naimuddin.	7.3.1951.
46.	,,	Surendra Gupta (Ajmer)	9.5.1951.
47.	,,	Thakur Dass.	16.7.1951.
48.	,,	Bhanwar Singh (Ajmer)	7.11.1951
49.	,,	Ganpat Mal.	12.1.1952.
50.	,,	Brijendra Singh.	6.6.1952.
51.	,,	Iaxman Dass.	30.7.1952.
52.	,,	Kailash Chandra.	21.11.1952.
53.	,,	Inder Singh.	24.11.1952.
54.	,,	Narain Singh.	24.12.1952
55.	,,	Shiv Dan Singh.	9.12.1952.
56.	,,	Madan Lal.	24.12.1952.
57.	,,	Guman Singh.	31.12.1952.
58.	,,	Dhanna Lal.	31.12.1952.
59.	,,	Jalam Singh.	31.12.1952.
60.	,,	Bhagwan Singh	20.1.1953.
61.	,,	Daulat Singh.	18.1.1953.
62.	,,	Radha Kishan.	6.4.1953.
63.	,,	P. C. Baidya.	1.5.1953.
64.	,,	Brijendra Behari.	9.9.1954.
65.	,,	Swaroop Narain.	10.12.1954.

66.	,,	Shyam Sunder.	22.12.1954.
67.	,,	Tikam Chand.	24.12.1954.
68.	,,	Maha Singh.	4.4.1955.
69.	,,	Nand Kishore Chaturvedi.	9.6.1955.
70.	,,	Bhadur Singh.	13.10.1956.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३१० का उत्तर देखिये)

JAIPUR–GANGAPUR.

Departure from Jaipur.	Arrival at Gangapur.
1. 8 A.M.	1. 00. P. M.
2. 11. A. M.	4. P. M.
3. 1. 30. P. M.	7. 15. P. M.
4. 4. 00. P. M.	9. 00. P. M.
5. 5. 30. P. M.	10. 30. P. M.
Departure from Gangapur.	**Arrival at Jaipur.**
1. 6. 30. A. M.	11. 30. A. M.
2. 11, 00 A. M.	4. 00. P. M.
3. 1. 00. P. M.	6. 00, P. M.
4. 5. 00. P. M.	10. 00. P. M.

DAUSA–GANGAPUR.

Departure from Dausa.	Arrival at Gangapur.
1, 8. 00. A. M.	11, 30. A. M.
2. 11. 30. A. M.	3. 00. P. M.
3. 2. 45. P. M.	6. 15. P. M.
4. 7. 30. P. M.	11. 00. P. M.
Departure from Gangapur.	**Arrival at Dausa.**
1. 5. 30. A. M.	9. 00. P. M.
2. 8. 00. A. M.	11. 30. P. M.
3. 9. 35. A. M.	1. 30. P. M.
4. 3. 00. P. M.	6. 30. P. M.

HINDAUN–GANGHPUR.

Departure from Hindaun.	Arrival at Gangapur.
1. 10. 00. A. M.	12. 00. P. M.
2. 4. 00. P. M.	6. 00. P. M.
Departure from Gangapur.	**Arrival at Hindnun.**
1. 9. 30. A. M.	11. 30. A. M.
2. 4. 00. P. M.	6. 00. P. M.

GANGAPUR–SAPOTARA ROUTE.

Departure from Gangapur.	Arrival at Sapotara.
1. 4. 00. P. M.	5. 30. P. M.
Departure from Sapotara.	**Arrival at Gangapur.**
9. 00. A. M.	10. 30. A. M.

GAGAPUR—GHUDA CHANDRA JI ROUTE.

Departure from Gangapur.	Arrival at Ghuda Chandra Ji.
(1) 4. 00. P. M.	7. 30. P. M.
Ghuda Chandra Ji (Departure.)	Arrival at Gangapur.
(2) 8. 00. A. M.	12. 00. P. M.

GANGAPUR—GADHMONRA.

1. 4. 30. A. M.	7. 00. P. M.
Departure from Gadhmonra.	Arrival at Gangapur.
1. 7. 30. A. M.	9. 30. A. M.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३२२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE INCRRED ON ROADS & BUILDING EXPECT STATE, NATIONAL HIGHWAY DURING THE YEARS 1955—56, 56—57 & 57—58

S.I No.	Head & name of works 50 Civil works (a) O.W. Buildings.	Expenditure during 1955—56	56-57	57—58	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	FOREST BUILDINGS.				
1.	Construction of Forest guard quarters at Natzasar.	17	29	-	46
2.	Construction of Forest-guards quarters at Kanera.	1,991	2,959	-	4950
3.	Construction of Office of Ranger and Forester at Partapgarh.	1,870	9003	-	10,873
4.	Construction of Office for Ranger and Forester at Baisrorgarh.	564	6,717/-	2548/-	9829/-
	Total	4442	18708	2548	25698
5.	50 A. Capital outlay on Civil Works				
	(a) Original works buildings Revenue and administrative building.				
1.	Construction of Tehsil & S. D. Os office at Begun.	44,062	55,435	11,984	111481/-
2.	Construction of New Tehsil building Bari-sadri.	28,254	23.880	8314	10448/-

1	2	3	4	5	5
3.	Construction of B. Class Bungalow at Chittor.	2,846/-	-	-	2,815
4.	Construction of an office room and Store room at B. Class bunga-low at Chittorgarh.	5689	-	-	5639
5.	Additional and Alteration to Secretariate buildings at Chittor.	1,689	-	-	1689
6.	Constracting Collectriate Building at Chittor.	-	15,856	1,26,014	141,880
7.	Constracting S.D.O. Building. at Kapasin.	-	15,720	74176	89896
	Total	82,540,	1,10901	2,20488	413929
	JUDICIAL BUILDINGS.				
6	A/A to Civil Judge's court at Partapgarh.	3619/-	-	-	3619
	POLICE BUILDINGS.				
7.	Police Station at Bari Sadri.	50	41,493	10	141553
8.	-do- at Kapasin.	16,202/-	23,463	4539	44,204
9.	-do- at Loharia.	10,037	-	-	10,037
11.	-do- at Gangrar	6,539	34782	2423	43,744
12.	-do- at Bijapur	15,404	13,196	27534	56,134
13.	-do- at Salamgarh.	6,366	7733	20491	34590
14.	-do- at Bhamotar	6,447	8,567	1453	16467
		61,045	129234	56450	2,46,729
	JAIL & LOCK UP BUILDINGS.				
15.	Construction of lock up at Chittor.	906	7041	33306	41253

Page No.134

1	2	3	4	5	5
17.	-do- at Begun.	13,065	8332	11,636	33033
18.	A/A to Jail building Partapgarh.	6356	-	-	6356
19.	Remodelling Lock up Chhotisadri.	-	996	-	996
		20327	16369	44942	81638
	EDUCATIONAL BUILDINGS 81 CIVIL ACCOUNTS,				
1.	Construction of Commercial group at Partapgarh.	10,766	9900	363	21,029
2.	Science Block at M. P. School Partahgarh,	-	220	3695	3915
3.	High School Begun A/A	-	12,876	13058	25934
4.	-do- Doongla A/A	-	9114	1010	10124
5.	-do- Nimbahera. (Additional of 3 more rooms)	-	-	2149	2149
		10766	32110	20275	63151
	MEDICAL BUILDINDS				
1.	A/A in Distt. Hospital Partapgarh.	-	2649	5678	8327
2.	Construction of X-Ray Block in Hospital Partahgarh.	-	-	9041	9041
3.	Construction of quarters for Nurse, Compounders and Class IV Servants at Hospital, Partapgarh.	-	-	9233	9233
4.	Primary Health Centre at Kapasin.	-	-	93	93
		-	2649	24,045	26694
	AGRICULTURE.				
1.	Construction of Distt. Seed Store at Chittorgarh.	-	12482	4178	16660
2.	Construction of Seed Multiplication Farm at Chittorgarh.	-	-	68	68

1	8	3	4	5	6
3.	Construction of Tehsil Seed Store at Begun.	–	–	1778	1778
4.	-do- at Nimbahera.	–	–	748	748
5.	-do- at Partapgarh.	–	–	2924	2924
		–	12,482	9696	22178
	INDUSTRIES				
1.	Building for Central workshop products cum training center for Gadia Lohar at Chittor.	–	21,105	12,647	33,753
	BLOCKS.				
1.	Buildings in Block at Kapasin	–	–	2446	2445
2.	-do- at Partapgarh.	–	–	19,142	19,142
3.	-do- at Begun.	–	–	2129	2129
4.	-do- at Chittorgarh.	–	–	12,008/-	12,008/-
		–	–	35,725	35725
	50 CIVIL WORKS				
	(b) Original Work Communication				
1.	Construction of landing ground at Chittorgarh.	2393	–	–	2393
	81 CIVIL ACCOUNT OF CIVIL WORKS				
	(b) Original Works Communication.				
1.	Mangalwar Nimbahera Gravelled road.	74,994	15,831	3005	93830
2.	Chitor Kapain Metalled road.	22,025	5652	33,057	60734
3.	Partapgarh Arnod Piploda Gravelled road.	17,056	7182	22,024	46262
4.	Metalling unmetalled portion of Udaipur Chittorgarh road.	1,40,124	2,23,800	68,326	4,32,250
5.	Metailing Bad portion of Bundi Chittor road.	324288	106182	45,294	475764

1	2	3	4	5	6
6.	Singoli Bhidor Rcad.	20.363	8,631	3538	32,532
7.	Chhoti Sadri Bari Sadri.	76,320	47,325	77,322	2,00967
8.	Begun Katunda Road.	24,516	18,433	-	42,949
9.	B/T of Udaipur Chittor road.	13,574	40,647	49610	2,26,004
10.	Laslawan village to Nimbahera Mangalwar road.	-	266	49,613	9879
11.	Metalled rcad from Bundi to Chittor (II Plan)	-	-	50,493	50493
12.	Metalled road from Doongha to Kanod.	-	-	500	500
13.	Road from Mangalwar village to Udaipur Chittorgarh road.	-	-	8079	8079
		8,35,433	473949	410861	17,20,243

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३२३ का उत्तर देखिये)

मृतक डाकू का नाम	अधिकारी का नाम व ओहदा	पदोन्नति की तारीख
श्री श्योनाथ मीना	श्री मातादीन कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	१०-६-५१
	श्री माताबक्स ”	”
	श्री लक्ष्मणसिंह हैड कॉन्स्टेबल से सब-इन्सपेक्टर	१६-५-५२
श्री पाबूदानसिंह पुत्र	श्री मुलसिंह एस० आई० से इन्सपेक्टर	१९५२
श्री भूरसिंह गुन्दुसर	श्री चन्दनसिंह हैड कॉन्स्टेबल से सब-इन्सपेक्टर	१९५२
(बीकानेर)	श्री मोटाराम कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	”
	श्री गुमानसिंह ”	”
	श्री हरदेवाराम ”	”
	श्री सुगनसिंह ”	”
	श्री सुर्जनसिंह ”	”
	श्री पैपसिंह ”	”
श्री भूरदान	श्री मानसिंह सब-इन्सपेक्टर से सी० आई०	१७-७-५२
श्री भीकसिंह	श्री गनपतसिंह कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	१६-३-५३
	श्री गजेसिंह ”	मार्च
	श्री लाल खां ट्रैकर से हैड कॉन्स्टेबल	१९५८
श्री मंगलसिंह	श्री समरथसिंह कॉन्स्टेबल से हेड कॉन्स्टेबल	अप्रैल, १९५३
श्री चन्दरसिंह	श्री महबूब खां कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	२६-११-५३
	श्री डालूसिंह ”	”
	श्री भोपालसिंह हैड कॉन्स्टेबल से सब-इन्सपेक्टर	”
श्री पाबूदानसिंह (झाड़ली)	श्री मोटाराम ”	११-८-५४
व उसके दो साथी खंगारसिंह		
व जस्सूसिंह ।	श्री रामकुमारसिंह ”	१०-८-५५
	श्री पीपाराम कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	६-७-५४
	श्री सालेमोहम्मदखां ”	”
श्री मूलियो	श्री उदयसिंह कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	१८-५-५५
	श्री बड्ढा ”	१-५-५५

	श्री मोतीसिंह कॉन्स्टेबिल से हैड कॉन्स्टेबिल	१–५–५५
श्री मेघला।	श्री पदमसिंह पी० सी० से सी० सी०	१३–७–५५
	श्री धन्नेसिंह हैड कॉन्स्टेबल से पी० सी०	"
	श्री रामसिंह एस० सी० से हैड कॉन्स्टेबल	२३–७–५५
श्री गल्लूमियां व उसके	श्री बलवन्तसिंह बी० जे० से सब-इन्स्पेक्टर	१ अगस्त, १९५६
साथी।	श्री इदू खां कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	जुलाई, १९५६
श्री सवेला	श्री हमीरसिंह कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	१–१–५७
देयावासी तरातरा	श्री मेघसिंह बी० जे० से सब-इन्स्पेक्टर	८–४–५७
२०–१–५७		
श्री मोहम्मद दिया	श्री कुम्भसिंह कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	"
श्री भीभीयासाद	श्री हीरदान हैड कॉन्स्टेबल से बी० से०	२९–६–५७
	श्री हीरदान कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	"
	श्री अर्जुनसिंह "	"
श्री मदनसिंह वासी हरणाया	श्री अब्दुलसिबखां सब-इन्स्पेक्टर से इन्स्पेक्टर	१५–८–५७
व उसके दो साथी हनुमानसिंह	श्री दीपाराम कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	२६–१०–५८
व शैतानसिंह रामला।	श्री शम्भूदान कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	"
	श्री सरदारारामसिंह कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	२०–६–५८
	श्री विरदसिंह एस० आई० से इन्स्पेक्टर	२८–४–५८
श्री भीठिया	श्री अनूपसिंह हैड कॉन्स्टेबल से बी० जे०	"
श्री कल्याणसिंह	श्री तेजासिंह "	"
	श्री रमन्नखां "	"
	श्री पदमसिंह "	"
	श्री उनालूराम "	"
	श्री देवीसिंह "	"
	श्र उम्मेदराम "	"
	श्री कानाराम "	"
	श्री राजपालसिंह "	"
	श्री रामपालसिंह "	६–५–५८

Page No.139

	श्री रखाड़ीसिंह ”	”
श्री फतेहदान	श्री सुखसिंह सब-इन्स्पेक्टर से इन्स्पेक्टर	१६–११–५८
	श्री जयसिंह हैड कॉन्स्टेबल से बी० जे०	२५–११–५८
	श्री नरपतसिंह ”	”
	श्री दुर्गासिंह कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल	”
	श्री जुगतसिंह ”	”
	श्री रामनीदन ”	”
	श्री मुल्तानसिंह ”	”
श्री कानियां एवं वेलिया	श्री भवरसिंह सब-इन्स्पेक्टर से इन्स्पेक्टर	६–८–५८

परिशिष्ट ५

(प्रश्नकाल में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

नगरपालिका सुजानगढ़ द्वारा सीमाबन्दी की मांग

१३२८. **कुमारी शन्नोदेवी** (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

नगरपालिका सुजानगढ़, जिला चूरू ने सीमा-बन्दी की कब मांग की थी व अब तक उस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

नगरपालिका सुजानगढ़ की सीमा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव सरकार को १६-५-५५ को प्राप्त हुआ था किन्तु उस समय नगरपालिका के आम चुनावों के लिए वार्डों का विस्तृत विवरण प्रकाशित हो जाने के कारण, उस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही न की जा सकी।

प्रश्न

तारानगर-नोहर सड़क के ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही

१३२६. **श्री मोहरसिंह** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू जिले की तारानगर-नोहर सड़क पर किस किस ठेकेदार को कितने कितने काम करने का ठेका कितनी कितनी रकम में दिया गया था और कब कब ठेके की अवधि समाप्त हुई ?

(२) क्या उपरोक्त ठेकों का काम समाप्त हो चुका है ?

(३) यदि हां, तो क्या उनका कार्य सन्तोष जनक हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा बालू रेत पर एक एक इन्च सफेद मिट्टी बिछाकर बनाई गई सड़क हवा तथा वर्षा से कभी की छिन्न-भिन्न हो चुकी है ?

(५) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

नाम ठेकेदार	रकम	काम समाप्त करने की तारीख

१. श्री बख्तावरलाल मील ० से ६ और १६ से २५,	६३७६०	१२-१-५५
२. श्री पूनमचन्द मील ७ से १२,	६२१४१	४-६-५५
३. श्री पूनमचन्द शेष कार्य,	७५,०००	२२-८-५८

(२) जी हां, सिवाय मील ७ से १२ के,

(३) जी हां, सिवाय मील ७ से १२ के,

(४) जी नहीं, सिर्फ मील ७ से में खड्डे पड़ गये हैं और काम अच्छा नहीं है।

(५) ७ मील से १२ को पुन: ठेकेदार ने अपने पैसों से चालू कर दिया है और जब तक यह सन्तोषजनक रूप से नहीं हो जायेगा, कोई पेमेन्ट नहीं किया जावेगा और इसके अलावा अवधि के अन्दर पूरा न करने के कारण जुर्माना भी किया जावेगा।

प्रश्न

जन सम्पर्क अधिकारी-जिला सवाई माधोपुर

१३३०. श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु) : क्या यह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जन-सम्पर्क अधिकारी, जिला सवाई माधोपुर की कब नियुक्ति हुई ?

(२) इस कार्यालय ने जिले में अब तक कितने डिमॉन्स्ट्रेशन किए तथा अन्य क्या क्या कार्य किए ? विस्तृत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) १७ जुलाई, १९५८ को।

(२) इस कार्यालय ने कोई डिमान्स्ट्रेशन अब तक नहीं दिए। अन्य जो जो कार्य किए गए वे निम्न प्रकार है।

(क) जिले पर अभी तक विविध विषयों पर तीन लेख और भी अन्य फीचर लिखे गए हैं।

(ख) जिले के विकास कार्यों के समाचार प्रकाशनार्थ भेजे जा रहे हैं।

(ग) रणथम्भोर में गणेश मेले पर कृषि प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

(घ) रबी अभियान के अन्तर्गत जिले के विभिन्न विकास खंडों में कुल आठ कृषि मुखिया प्रतिक्षण शिविर में भाग लिया।

(ङ) जिले के विभिन्न अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के प्रचारार्थ भ्रमण किया।

(च) जिले व विकास खंडों में सूचना केंद्र नियम से खोलने की व्यवस्था की गई।

(छ) जिले में विकास कार्यों सम्बन्धित सभाओं में उपस्थित रहे।

(ज) प्रचारार्थ आई हुई सामग्री का जिले में वितरण किया गया।

(झ) ग्रामवासियों को पंचवर्षीय योजना, सामाजिक कुरीतियों, शिक्षा के लाभ, परिवार नियोजन इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श किया एवं उन्हें इन योजनाओं से होने वाले लाभ से अवगत कराया।

———

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १७ दिसम्बर, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्ध
१	२	३	४
६९०१	६	श्री ।ाथूराम मिर्धा	(श्री नाथूराम मिर्धा)
६९०२	२०	manegemant	management
६९०३	नीचे से ६	Workmen's	workmen's
६९०३	नीचे से ७	accordins	according
६९०६	३०	(श्री दामोदरलाल व्यास) श्री विद्युत मन्त्री की अनुपस्थिति में	(श्री दामोदरलाल व्यास— विद्युत मंत्री की अनुपस्थिति में)
६९१२	१	के जिये	के लिए
६९१६	२२	प्रेविटस	प्रेक्टिस
६९१७,	१६–१७	असंदिग्धरूर	असंदिग्ध रूप
६९२०	शीर्ष	६६२०	६९२०
,,	१६	स्कडिनी	स्क्टिनी
,,	२१	श्री भैंरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
६९२५	८	दुंरप्रयोग	दुरुपयोग
,,	१६	(३)	(२)
६९२७	नीचे से ७	निर्पुक्त	नियुक्त
६९३७	६	२०००	२००
६९३८	अन्तिम	नयगा	जायेगा

१	२	४	५
६६४२	१०	सर्वजननिक	सार्वजनिक
६६४४	नीचे से २	प्रकार	प्रश्न
६६४५	,, ४	श्री नाथराम	श्री नाथूराम
६६४७	५	लक्ष्मनगढ़	लक्ष्मनगढ़
६६४८	८	बेश्नोई	विश्नोई
,,	नीचे से ३	१४६७	१६५७
६६५०	१०	मेजा बांध	मेजा बांध
,,	१६	श्रीमती कमला श्रोतिंय	श्रीमती कमला श्रोत्रिय
६६५१	१८	त्रन्त्री	मन्त्री
६६५२	२	पाड़सोली	पड़ासोल
,,	नीचे से ८		संवत्
,,	,, ७	१०१० : ११	२०१० : ११
६६५६	,, ७	१३२८	१३१८
६६५९	४	११२२	१३२२
६६६०	१५	२३२३	१३२३
६६६१	,,	(कुम्मनगढ)	(कुम्भलगढ़)
६६६७	१	नें लिये	में न लिये
,,	२	परिशिष्ट ६	परिशिष्ट ५
,,	६	ptivileges	privieleges
६६६८	शीर्ष	नवयुग सम्बन्धी प्रस्ताव	नवयुग सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव
,,	२३	point	print

१	२	३	४
६६६८	नीचे से ८	mokng	invoking
६६६६	,, ११	Naw	Nav
६६६६	,, ६	Dity	Duty
६६७०	८	becuse	because
,,	१२	सद्स्य	सदस्यों
,,	१३	स्वार्थों	स्वार्थों
,,	नीचे से ४	consure	Censure
६६७१	८	atuntion	attention
,,	नीचे से ११	consemplated	contemplated
६६७२	नीचे	Hon'lbe	Hon'ble
६६७७	६	वैले	वैल
,,	नीचे से ८	member of	member or of
६६७६	११	श्री नाथूराम मिर्धा : कृषि मंत्री	श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री)
,,	नीचे से ७	श्री नाथूराम मिर्धा	,, ,,
६६८२	६	श्रीनाथूराम मिर्धा: यातायात मंत्री	श्रीनाथूराम मिर्धा (यातायातमंत्री)
,,	नीचे से १०	श्री नाथूराम मिर्धा कृषि मंत्री	श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री)
६६८४	नीचे	५८ शीर्षक	५८, मुख्य शीर्षक
६६८८	१५	पुलिस डिमान्ड	पुलिस की डिमान्ड
,,	१८	बिल एक	बिल में एक
६६६७	१४	Deposeg	Deposed
,,	१४	entereg	entered

१	२	३	४
६६६७	१६	Suspicion	suspicion
	२१	tried	tried
६६६८	१	उन	उंन
,,	१६	घेर	घेर
,,	नीचे से २	दखे	देखें
७०००	८	कहीं	कहां
७००४	नीचे से ६	तीत–तीन	तीन–तीन
७०१४	६	ै	है
,,	१३	कॉन्स्टेटबुलिरी	कॉन्स्टेबुलिटी
,,	नीचे से ११	जयपुर एजीटेशन	जयपुर में एजीटेशन
,,	,, ६	कान्स्बुटेलरी	कॉन्स्टेबुलिटी
७०१६	१६	postins	portions
७०२१	१६	कन्विंक्ट्स	कन्विक्टस
,,	नीचे से ३	thissa	this as
७०२२	१०	obsrvations	observations
७०२३	१५	debat	bebate
७०२६	नीचे से ३	कन्स्ट्रीब्यूशन	कन्ट्रीब्यूशन
७०२७	१	आवंश्यकता	आवश्यकता
७०३२	नीचे से ८	producd	produced
७०३५	६	भी कोई	भी कोई
७०३८	नीचे	बैरोमीटर	बैरोमीटर

१	२	३	४
७०३६	८	क	का
७०४०	८	स्पोंसिबिलिटी	रस्पोन्सिबिलिटी
७०४३	८	नंत्रीमंडल	मंत्री मंडल
,,	नीचे	roozanmcha	rozanamcha
७०४८	६	rtise	rise
,,	८	सब क्लाज है	सब–क्लाज ४ है
,,	१६	चुकि	चुकी है
७०५१	२	ने	से
७०५६	१	उपाध्यात्त	उपाध्यक्ष
७०५९	१८	सब इन्सपेक्टरों	सब-इन्सपेक्टरों
,,	नीचे से ७	बयानों को	बयानों को दोहराने लग गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप उसके बयानों को
,,	,, ३	लो े का	लोगों को
७०६०	९	को घेरं कर	को घेर कर
७०६१	नीचे से ४	उनको न	उनको फी न
७०६३	१०	काम कीं	काम की ?
७०६४	२२	कापोेशन	कार्पोरेशन
७०६५	१०	गान्टेड	ग्रान्टेड
७०६६	नीचे से ५	एजीस्टेन्स	एग्जीस्टेन्स
७०६८	२	हरेएक	हर एक
७०६९	२३	प्राइज़ेज	प्राइसेज

१	२	३	४
७०७०	३१०,२८	,,	,,
,,	१८	ऊपपा	ऊपर
७०६४ से ७०६७	प्रत्येक स्थान पर	कोआॅपरेशन	कोर्पोरेशन
७०७१	७	फिारश	सिफारिश
,,	११	प्रपोशनेटली	प्रपोर्शनेटली
७०७४	२	पढेगा	पड़ेगा
,,	२१	प्राइजेज	प्राइसेज
७०७५	२३	मनो	मेन
७०७७	नीचे से ८	में	मैं
७०७६	१२	और	ओर
,,	१६	पांच-पच	पांच-पांच
७०८०	२	क	क्या
,	१३	वा	का
७०८१	१२	में	मैं
७०६१	१	आकार	आधार
७०६४	१२	होर्डड	होर्डेड
७०६७	१३	एक्सपोर्ट	एक्सपोर्ट
	१४	सर ार	सरकार
,,	नीचे से ६	राजस्थान	राजस्थान
७०६८	नीचे से ३	थू	थ्रू
७०६६	नीचे से ६	आनाज	अनाज
,,	नीचे से ६	सरकार को	सरकार स्वयं करे
७१००	१८-१६	जिम्मा पुलिस	जिम्मा जिस पुलिस

१	२	३	४
७१०१	३	श्री पुरुषोत्मलाल शर्मा	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
७१०१	५	ख्सत वदम	सख्त कदम
७१०१	८	राय है।	राय यह है
७१०२	नीचे से ८	श्री पुरुषोतमर्लाल शर्मा	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
७१०३	१६	चाइता	चाहता
७१०५	७	व्यापारा	व्यापार
७१०५	२३	चीप	कोई चीप
७११२	नीचे से ६	snbmitte	submitted
७११२	,, ४	imformated	informed
७११३	,, ६	1.9	1·9
७११५	४	कहां	कहा।
७११८	६	प्राइज	प्राइस
७११८	११	विश्वास	विश्वास
७१२०	८	जागरू	जागरुक
७१२०	१०	म्प्रूव	इम्प्रूव
७१२०	१६	मै	मैं
७१२१	शीर्षक	नवयुग संम्बधी विशेषाधिकार प्रस्ताव	अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान
७१२१	२	कैटेगरिकल	केटेगरिकल
७१२१	७	मुकरर	मुकर्रर
७१२२	नीचे से ३	मिनिट	मिनट
७१२८	,, ५	बीज-वीज	बीज व बीज

१	२	३	४
७१३०	३	खण्डश (विचार विमर्श)	खण्डशः विचार विमर्श
७१३३	१०	बादमी भूरा	बादामी भूरा
७१३३	अन्तिम	धन्नी हुकना	धन्नी हुकमा
७१३९	६	Mohd. Ishacque	Mohd. Ishaque
७१४०	१	urper	upper
७१४०	२९	F. Farupqe	F. Faruque
७१४०	३१	19. 10. 1954	16. 10. 1954
७१४०	३३	12. 19 1955	12 11. 1955.
७१४१	१	Senoirity	Seniority
७१४१	७	1. 11. 1945	1. 1. 1945
७१४६	अन्तिम	२४. 25 f	28, 254
७१४७	२	28 1 =	2846
७१४७	७	568 ,	5689
७१४७	११	Constracting	Constructing
७१४७	१३	,,	,,
७१४७	१६	6	1
७१४७	१९	7	1
७१४७	२०	8	2
७१४७	२१	9	3
७१४७	२२	11	4
७१४७	२३	12	5

१	२	३	४
७१४७	२४	13	6
७१४७	२५	14	7
७१४७	२६	15	1
७१४८	१	17	2
७१४८	२	18	3
७१४८	४	19	4
७१४८	११	partahgarh	Partapgarh
७१४८	१८	,,	,,
७१५०	६	9879	49,879
७१५१	१५	कॉम्स्टेवल	कॉन्स्टेवल
७१५१	१६	कॉन्स्टेवल	कॉन्स्टेवल
७१५३	६	श्री रामनीदन	श्री रानीदान
७१५५	अन्तिम	प्रतिक्षण	प्रशिक्षण